खण्ड-237, अंक-9
शुक्रवार, 23 अग्रहायण, शक संवत् 1884
(14 दिसम्बर, 1962 ई0)

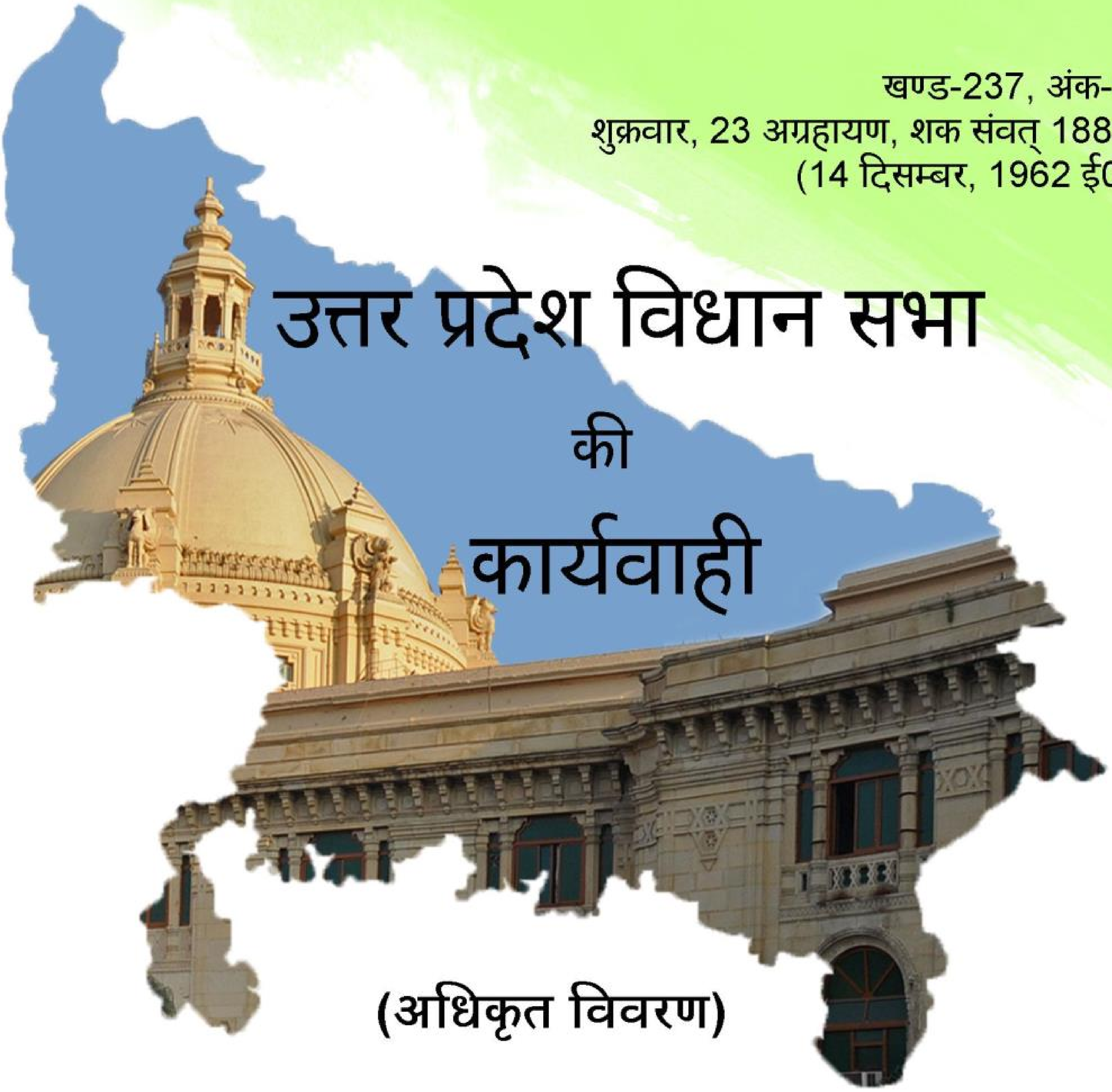

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 237 में 9 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६३

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	१००५–१००९
प्रश्नोत्तर	१००९–१०५७
विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न के सम्बन्ध में जानकारी	१०५७
नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ सूचनाएं	१०५७
उन्नाव जिलान्तर्गत जिला परिषद् के अध्यापकों को वेतन न मिलने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य	१०५७–१०६०
भारत सरकार द्वारा वर्तमान वर्ष में निर्धारित चीनी नीति के गन्ने के मूल्य पर प्रभाव के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य	१०६१–१०६५
गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़ तथा बस्ती जिलों के बाढ़पीड़ितों के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य	१०६५–१०६९
१० दिसम्बर, १९६२ के तारांकित प्रश्न २० के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन	१०६९
टेक्निकल शिक्षा पर व्यय के सम्बन्ध में सूचना	१०६९
राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में दिये गये धन के सम्बन्ध में घोषणा	१०७०
प्रजा सोशलिस्ट तथा सोशलिस्ट पार्टी के विलयन के सम्बन्ध में व्यवस्था ..	१०७०
वीरगति प्राप्त सैनिकों के प्रति श्रद्धांजलि	१०७१–१०७३
विधान सभा का सत्रावसान	१०७३
नत्थियां	१०७४–१०९८

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, १४ दिसम्बर, १९६२

विधान सभा की बैठक सभा मंडप, लखनऊ में १० १/२ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य--३७२

अक्षयवरसिंह, श्री
अखण्डप्रतापसिंह, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अयोध्याप्रसाद, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अवधेशप्रताप, राजा
अशरफ अली खां, श्री
अष्टभुजा, श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओंकारनाथ द्विवेदी, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्पनार्थसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री (उपनाम छुन्नन गुरु)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथबहादुर पाल, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा, बेगम
कृष्णचन्द, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णा, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशभान, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
केशवगुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री

उत्तर प्रदेश सभा

गणेशप्रसाद, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविंदसहाय, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीतयादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रबलीसिंह , श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्र सिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
चैतन्यराजसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदम्बाप्रसाद, श्री
जगदीश, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जमादारसिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम वक्कन)
जुगलकिशोर, श्री
जेड०ए०अहमद, श्री
जे०पी०मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखंडेराय, श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्बेश्वरीप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तेजनारायण त्रिवेदी, श्री
तेजसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल करवरिया, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवीदत्त, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पांडेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवरंगसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पाण्डेय, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नियामतुल्ला अन्सारी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
नौरंगलाल, श्री
पंचमदास, श्री
परमाईलाल, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री

पूरनलाल, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनवारीलाल विप्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजभूषणशरण, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वरसहाय, श्री
बेचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवानसहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भानुप्रताप सिंह, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगल, श्री (देवरिया)
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद अली खां, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महादेव, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधोनारायण, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्तानसिंह, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेघनाथसिंह शिशोदिया, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मैनेजरसिंह, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीरसहाय कंथवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री

रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजदेव, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामचरण शाह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरती, श्रीमती
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
विक्रमशाह, राजा
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव', श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषणसिंह, श्री
शांतिचन्द्र शुक्ल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शारदाभक्तसिंह, श्री
शिवचरण, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवसम्पति शर्मा, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री

सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सालिग्राम जैसवाल, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सूबेदारसिंह, श्री
सूरजपालसिंह, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेतरामसिंह, श्री
हेमराज, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट--नियोजन मंत्री, श्री हरगोविंदसिंह भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, १४ दिसम्बर, १९६२

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

कानपुर बस सर्विस कर्मचारियों में छटनी

**१--श्री बिपिनबिहारी तिवारी (जिला सीतापुर) तथा श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कानपुर नगर में वर्तमान बस सर्विस में काम करने वाले लगभग १,००० कर्मचारियों को नौकरी से पृथक् करने का नोटिस दे दिया गया है और इसके अनुसार ३१ दिसम्बर, १९६२ को वह सभी सेवा मुक्त हो जायेंगे ?

विद्युत् उपमन्त्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)--क्योंकि नगर महापालिका की बस सर्विस को १ फरवरी, १९६३ से बन्द करने का निर्णय हो गया है इसलिये ११९ कर्मचारियों को नौकरी से पृथक् करने का नोटिस दिया गया है। उनमें से जितने आदमी महापालिका के दूसरे विभागों में नियुक्त हो सकेंगे उन्हें लिया जायगा। शेष को Retrenchment benefit देकर रिटायर कर दिया जायगा।

**२--श्री बिपिनबिहारी तिवारी तथा श्री हिम्मतसिंह--क्या सरकार १ फरवरी से उक्त नगर में सरकार द्वारा संचालित रोडवेज की नयी सेवा में उक्त सेवा मुक्त कर्मचारियों को ही स्थान देने का विचार कर रही है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--जी नहीं।

**३--श्री बिपिनबिहारी तिवारी तथा श्री हिम्मतसिंह--यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—परिवहन विभाग के लिये यह सम्भव नहीं है कि वह स्थानीय निकाय के कर्मचारियों का दायित्व अपने ऊपर ले सके। रोडवेज द्वारा नई सेवा संचालन में केवल उन्हीं कर्मचारियों को लिये जाने का विचार होना सम्भव हो सकेगा जो निर्धारित योग्यता रखते हों और जिनका रिकार्ड ठीक हो। परन्तु उन्हें उनकी पुरानी सेवाओं का कोई लाभ राजकीय सेवा में दिया जाना सम्भव नहीं होगा।

श्री बिपिनबिहारी तिवारी—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि नगरपालिका बस सर्विस में कितने कर्मचारी काम करते हैं और ११९ कर्मचारियों को किस आधार पर नौकरी से पृथक करने का नोटिस दिया गया है?

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—इस विषय में जब नगरपालिका के अधिकारीगण और नगरपालिका के अध्यक्ष महोदय बातचीत करने के लिये आये थे तो उस समय आपस में मिल कर यह फैसला हुआ था कि हम सारे जो कर्मचारी हैं उनको नौकरी देने की जिम्मेदारी लेने के लिये उद्यत नहीं हैं। उनमें जो हमारे हिसाब से योग्यता रखते होंगे, उनको लेने का प्रयास करेंगे और जो हमारे हिसाब से योग्यता नहीं रखते होंगे, उन्हें हम नहीं लेंगे। इन्हीं शर्तों की बुनियाद पर हमारा उनका फैसला हुआ कि हम वहां पर ट्रांसपोर्ट सर्विस चलावें। हमारे ट्रांसपोर्ट विभाग का कथन था कि वहां की सिटी बस सर्विस घाटे पर चल रही है और वे बहुत इच्छुक नहीं थे। परन्तु इस सदन के माननीय सदस्यों का भी कुछ आग्रह था और जनता की भी यह मांग थी जिसको सामने रखते हुए हमने विभाग की आपत्ति को स्वीकार नहीं किया। इन्हीं शर्तों के साथ जिन्हें थोड़े शब्दों में अभी मैंने वर्णन किया है, हमने उस नगरी में नयी ट्रांसपोर्ट बस सर्विस को चलाने का उत्तरदायित्व अपने कंधे पर लेना स्वीकार किया है। तो जहां तक कर्मचारियों का सम्बन्ध है, वे तो उसी हिसाब से लिये जायेंगे और उसी नुक्तेनजर को सामने रख कर लिये जायेंगे जिनकी तरफ अभी मैंने आपके सामने संकेत किया है।

श्री बिपिनबिहारी तिवारी—क्या यह सही है कि ११९ कर्मचारी जिन्हें कार्य-भार से मुक्त होने का नोटिस दिया गया है वे परिवहन विभाग द्वारा मांगी गयी योग्यता रखते हैं और उन सारे कर्मचारियों के सर्विस रेकार्डस् भी अच्छे हैं?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इस विषय में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है। माननीय मन्त्री जी अब आ गये हैं, माननीय सदस्य अपने प्रश्न को दोबारा कह दें तो उसका उत्तर दे दिया जाय। मुझे मालूम था कि माननीय मन्त्री जी बीमार हैं, इसलिये मैं उनकी तरफ से उत्तर दे रहा था।

श्री बिपिनबिहारी तिवारी—मेरा प्रश्न यह है कि जिन ११९ कर्मचारियों को कार्य-भार से मुक्त होने का नोटिस दिया गया है क्या परिवहन विभाग द्वारा मांगी गयी निर्धारित योग्यता भी रखते हैं और उन सभी कर्मचारियों के सभी रेकार्डस् भी सही हैं?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)—नगरपालिका का परिवहन विभाग वहां बस सर्विस चलाने में मुद्दत से नुकसान देता आ रहा था। वहां से प्रार्थना की गयी कि रोडवेज अपनी बस सर्विसेज चलावे। कानपुर जैसे शहर में सर्विसेज का चलना बहुत आवश्यक था, परिवहन विभाग तैयार नहीं था चूंकि सिटी सर्विस हानि से चलती थी। उन्होंने कहा कि यह हानि वहां के जिन कार्यकर्ताओं के कारण बराबर हो रही है उनको हम लेने को तैयार नहीं हैं और न उनकी बसेज ही लेने को तैयार हैं। महापालिका के सामने यह प्रश्न आया कि अब हम घाटा नहीं दे सकते हैं और इसको बन्द करें और इसीलिये वह अलग किये जा रहे हैं और कोई दूसरा प्रश्न नहीं है।

श्री हिम्मतसिंह—क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि कानपुर महापालिका में कितने आदमी एब्जार्व किये जायंगे और रोडवेज विभाग में कितने लिये जायंगे?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—इस समय यह कहना कठिन है क्योंकि पता नहीं किस की क्या योग्यता है और कितनों को ले सकेंगे और कहां तक उनकी कन्डीशन्स को सैटिसफाई कर सकेंगे यह सब अभी नहीं कहा जा सकता।

श्रीमती सुशीला रोहतगी (जिला कानपुर)—क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो नई बस सर्विसेज वहां चालू हो रही हैं उन के अन्तर्गत कितनी नई बसें वहां १ फरवरी से चालू होंगी ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—प्रश्न तो यह है कि वहां पर यह काम सुचारु रूप से चल सके लेकिन रोडवेज के पास भी अभी बसेज की बेहद कमी है और उन को मोल लेने और तैयारी करने में वक्त लगेगा। वह कोशिश कर रहे हैं अभी तो कुछ कमी उन में रहेगी लेकिन धीरे-धीरे उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे।

श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर)—क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस बात को देखते हुए कि इन कर्मचारियों ने काफी अर्से तक महापालिका की सेवा की है और मन्त्री जी को भी उनसे सहानुभूति मालूम होती है जैसा कि उन्होंने उत्तर में बताया। तो क्या उनकी सेवाओं का कोई पुनर्वीक्षण किया जा रहा है जिस के आधार पर कि कहा जा सके कि ११९में से कितने कर्मचारी ऐसे हैं जो परिवहन विभाग में ले लियेजायेंगे और उन कर्मचारियों में से जिन में शैक्षिक योग्यता की कमी है और उन को अनुभव काफी है तो क्या उन को शैक्षिक योग्यता से एग्जेम्प्शन भी मिल सकेगा ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जब तक इनडिविजुअल केसेज एग्जामिन नहीं हो सकेंगे अभी नहीं कहा जा सकता कि क्या हो सकेगा, कितनों की कन्डीशन्स पूरी की जा सकेंगी और कितनों की आवश्यकता होगी। अभी नहीं कहा जा सकता, रेग्युलर कोर्स में देखा जायगा, यह जरूर है कि कोशिश की जायगी और महापालिका और सरकार की सहानुभूति उनके साथ है।

श्री बिपिनबिहारी तिवारी—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इन कर्मचारियों को रिटायरमेन्ट बेनिफिट देकर रिटायर करने का अर्थ क्या है और उससे कर्मचारियों का क्या लाभ होगा ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जो कंडीशन्स उनकी हैं और जो लेबरलाज के मुताबिक उनका ड्यू होगा वह उन को दिया जायगा और देना पड़ेगा।

श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर (जिला गढ़वाल)—यह देखते हुये रोडवेज की नई बसें कानपुर में चलाई जायंगी क्या सरकार जो अनुभवी हमारे कर्मचारी हैं उनको इन नई बसों में लगायेगी जो महापालिका की बसों में अभी तक काम करते रहे हैं ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—मैं ज्यादा इस विषय में नहीं कहना चाहता था लेकिन चूंकि इस कन्सर्न में मुतवातिर कई साल से नुकसान होता आया है इसलिये यह भी कहा जाता है कि साधारणतया जो लोग उसमें काम करते थे उन्होंने योग्यतापूर्वक काम नहीं किया। लेकिन उससे भी प्रीजुडिस न हो करके जो उचित होंगे, जो कंडीशन्स पूरी करेंगे उनको लेने की कोशिश की जायगी, लेकिन कोई कमिटल रोडवेज इसके लिये देने को तैयार नहीं है।

राज्य कर्मचारियों को सेना में भर्ती के लिए सुविधाएं

४—श्री मैनेजरसिंह** (जिला बलिया)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि केन्द्रीय सरकार ने जिस प्रकार अपने स्थायी और अस्थायी कर्मचारियों को फौज में भर्ती होने की सुविधा प्रदान की है उसी प्रकार की सुविधा वह अपने कर्मचारियों को देने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—यह प्रश्न विचाराधीन है।

श्री मैनेजरसिंह—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि केन्द्रीय सरकार ने अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को कौन-सी सुविधायें प्रदान की हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इस विषय में अखबार में काफी खबरें आयी हैं। हमारे पास कोई लिखित केन्द्रीय सरकार के आदेश तो आये नहीं, तो हमने केन्द्रीय सरकार को लिखकर भेजा है और शीघ्र ही जो उन्होंने इस सम्बन्ध में सुविधायें देने के लिये व्यवस्था की है उनकी जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया है। ज्यों ही वह जानकारी हमें उपलब्ध हो जायेंगी हम भी इन तमाम विषयों पर विचार-विनिमय करके वह निर्णय लेंगे जो उस दिशा में हमें ले जायेंगे जिस दिशा में केन्द्रीय सरकार ने चलने के लिये घोषणा की है।

श्री मैनेजरसिंह—क्या मंत्री जी ऐसे सरकारी कर्मचारियों को भी फौज में भर्ती की सुविधा देंगे जो ३५ साल के ऊपर हैं और स्वस्थ हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—अब यह तो ब्योरे की बातें हैं अभी विचार-विनिमय नहीं किया है। ज्यों ही हमें केन्द्रीय सरकार की नीति ब्योरे के साथ में मिल जायगी, जो उन्होंने निर्णय लिये हैं, तो हम भी उन निर्णयों के अनुरूप चलने का प्रयास करेंगे।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—क्या मुख्य मंत्री जी इस बात से सदन को आश्वस्त कराने की कृपा करेंगे कि क्या उनके यहां के स्थायी और अस्थायी कर्मचारियों ने, जो विभिन्न प्रान्तीय विभागों में काम करने वाले हैं, आवेदन-पत्र दिये हैं कि वे मिलिटरी में इमरजेंसी ड्यूटी पर जाना चाहते हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मेरे पास तो ऐसा कोई आवेदन-पत्र नहीं है। हो सकता है डायरेक्टर आफ सिविल डिफेंस के पास हो या चीफ सेक्रेटरी के पास हो, मेरे सामने नहीं आया है। लेकिन ऐसी बातें मैंने अवश्य बाहर सुनीं कि कुछ हमारे कर्मचारीगण अवश्य फौज में जाना चाहते हैं।

श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर—क्या सरकार इस सदन के उन सदस्यों को जिनकी आयु ३५ साल से कम है, सलाह देगी कि वे फौज में भर्ती हों ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३९ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये स्थगित तारांकित प्रश्न]

नदी गांव क्षेत्र के अध्यापकों का वेतन-क्रम

*१—**श्री विजयसिंह** (जिला जालौन)—क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नदी गांव क्षेत्र के जिला जालौन में विलीन होने पर उस विलीन क्षेत्र के अध्यापकों को क्या विलीनीकरण के दिनांक से उत्तर प्रदेश के अध्यापकों का ग्रेड दिया गया ? यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है ?

शिक्षा उपमंत्री (श्री केशभान)—जी नहीं। विलीनीकरण के एग्रीमेंट के अनुसार यह अध्यापक उसी वेतन-क्रम में एब्जार्ब होने के अधिकारी थे जो इन्हें पहले से मिल रहे थे। इन्हें उत्तर प्रदेश का वेतनक्रम जो इनके पूर्व वेतन-क्रम से अधिक था दिया जाना एक वित्तीय सुविधा थी जिसे ये पूर्व तिथि से पाने के अधिकारी नहीं थे। यह वेतन-क्रम १-४-५५ से स्वीकृत किया गया।

*२—श्री विजयसिंह—क्या शिक्षा मंत्री को यह भी ज्ञात है बांदा, झांसी, हमीरपुर में जो क्षेत्र विलीन हुये उनके अध्यापकों को यू० पी० के अध्यापकों का ग्रेड दिया गया और उनको विलीनी करण के दिनांक से एरियर भी दिया गया ? यदि हां, तो नदी गांव विलीन क्षेत्र जिला जालौन के उसी प्रकार के अध्यापकों को विलीनीकरण के दिनांक से एरियर क्यों नहीं दिया गया और अब सरकार उसकी क्या व्यवस्था कर रही है ?

श्री केशभान—जी हां, ग्रेड तो दिया गया। परन्तु यह ग्रेड विलीनीकरण की तिथि से नहीं दिया गया। इसलिये इस सम्बन्ध में एरियर देने का प्रश्न नहीं उठता।

जैसा प्रश्न एक के उत्तर में कहा गया है, विलीनीकृत क्षेत्रों के अध्यापकों को उत्तर प्रदेश वेतन-क्रम स्वीकृत करना एक वित्तीय सुविधा थी, जो सामान्यतया retrospective effect से नहीं दी जाती है। इसलिये उसे नन्दीगांव के अध्यापकों को पूर्व तिथि अर्थात विलीनीकरण की तिथि से प्रदान करने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री विजयसिंह—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह निर्णय, इस वेतन-क्रम का १—४—५५ से जो स्वीकृत हुआ, यह किस दिन से लिया गया और इसकी सूचना जिलाधिकारियों को कब दी गयी ?

श्री केशभान—यह निर्णय १९५५—५६ में लिया गया और तभी सूचना भी दी गई।

श्री विजयसिंह—मेरा तात्पर्य एरियर देने के सम्बन्ध से था। जो निर्णय लिया गया और जिलाधिकारियों को जो सूचना दी गई और तनख्वाह जिस तारीख से लगी है उसके पूर्व १—४—५५ और निर्णय के बीच का जो समय था उसका एरियर नहीं मिला है, वह कब तक मिल जायगा ?

श्री केशभान—१—४—५५ को जो स्वीकृत हुआ है उसको देने के लिये मार्च, १९५६ में ही सेंक्शन हो चुकी थी।

श्री विजयसिंह—मेरी बात को सूचना मानकर कि उनको पिछले एरियर का पैसा नहीं मिला है सरकार इसकी जांच करायेगी ताकि उनको जल्द से जल्द एरियर मिल जाय ?

श्री केशभान—यदि उनको नहीं मिला है तो देने का प्रयास किया जायगा।

गाजीपुर जिले में सिंचाई कूप

*३—श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सन् १९५७ से १९६० तक गाजीपुर जिले में सिंचाई का कुआं बनाने के लिये चकबन्दी विभाग द्वारा या उनकी सिफारिश पर किन-किन लोगों को कुआं बनाने के लिये रुपया दिया गया और उसमें कितने कुंये अब तक बन कर तैयार हो गये हैं ? क्या सरकार इसकी एक तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

माल मंत्री के सभा सचिव (श्री बृजबिहारी)—कथित अवधि के अन्दर गाजीपुर जिले में सिंचाई के कुयें बनाने के लिये खातेदारों को चकबन्दी विभाग द्वारा कोई तकावी नहीं बांटी गई। केवल वित्तीय वर्ष १९५८—५९ में ८,११,४३० रुपये की तकावी ९७८ व्यक्तियों को सम्बन्धित चकबन्दी कर्मचारियों की सिफारिश पर दी गई थी जिसके विवरण की सूची मेरे कार्यालय में देखी जा सकती है। इन सभी व्यक्तियों ने कुएं बना लिये।

श्री कमलासिंह यादव—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि कुओं को बनाने का जहां तक सम्बन्ध है उसकी जांच किस अधिकारी के द्वारा करायी गई और उसकी रिपोर्ट क्या है ?

माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—इसके लिये नोटिस चाहिये।

श्री कमलासिंह यादव—क्या यह सही है कि सदन को गलत सूचना दी गई है और अभी तक ५० परसेंट कुएं ऐसे हैं जो नहीं बने हैं, क्या सरकार इसकी जांच अधिकारी द्वारा करायेगी और जिसने यह लिखा है कि सब कुएं बन गये हैं उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही करेगी?

श्री हुकुमसिंह विसेन—हमारे पास यही सूचना है कि सब बन गये। अगर सदस्य लिख कर दें तो हम जांच करा लेंगे।

श्री रघुवीर (जिला गाजीपुर)—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जितने कुएं तकावी द्वारा बनाये गये हैं और जिन किसानों को जितना रुपया दिया गया है उस रकम में से किसानों को छूट देने की व्यवस्था है अथवा कि नहीं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—कुएं बने और छूट का सवाल पहले पहल पैदा हो गया।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि कुएं पर कितनी रकम दी गई और जो आदेश गया है तकावी देने के लिये क्या उसमें कोई प्रावीजन है कि कुआं बन जाने के बाद इतनी छूट दी जायगी ?

श्री हुकुम सिंह विसेन—इस डिटेल के लिये सूचना चाहिये।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—क्या मंत्री जी इस प्रश्न पर विचार करेंगे कि अधिक अन्न उपजाओ-योजना के अन्तर्गत कुआं बनाने के लिये, पम्पिंग सेट के लिये काफी रुपया १९५३-५४, १९५५-५६ तक और अब भी, मैं एक ब्लाक का हवाला दे रहा हूं, पिंडारा ब्लाक में एक लाख के करीब खर्चा किया गया लेकिन न पम्पिंग सेट लगा, न कुएं बने, मेरे पास रेकार्ड है, तो क्या उसकी बुनियाद पर पूरे प्रान्त की जांच कराकर सारा रुपया वापस करेंगे जिन्होंने नहीं बनाया है?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जिस बात के बारे में हमारे मित्र ने सवाल किया उसकी जानकारी मेरे पास नहीं है, न इस सवाल का इससे सम्बन्ध है। अगर कोई स्पेसिफिक केस दिया जाय तो इनक्वायरी करा सकते हैं।

चकबन्दी मुकदमे

*४—**श्री कमलासिंह यादव**—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में चकबन्दी द्वारा जिलेवार कितने मुकदमे, अपील तथा निगरानी दाखिल हुये और उसमें कितने मंजूर हुये और कितने बिना सुने खारिज किये गये ? क्या उसकी एक तालिका १९६०-६१, १९६१-६२ की सरकार सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री बृजबिहारी—सूचना अभी एकत्र की जा रही है।

श्री कमलासिंह यादव—मंत्री जी बतायेंगे यह सूचना कब तक एकत्रित हो जायगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—इसमें बड़ा टाइम लगेगा।

श्री अध्यक्ष—बड़ा लम्बा सवाल आप कर देते हैं, हमारे आफिस की भी गलती है।

श्री कमलासिंह यादव—हर महीने रिपोर्ट राजस्व मंत्री को आती है। मैंने संख्या पूछी है। किसी खास फाइल की बाबत नहीं पूछा है। पता लगाना नहीं चाहते, न सदन को सूचना देना चाहते हैं।

श्री हुकुमसिंह विसेन—लगाना तो हम चाहते हैं। लेकिन टाइम लगेगा।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है "उत्तर प्रदेश में चकबन्दी द्वारा जिलेवार कितने मुकदमे, अपील तथा निगरानी दाखिल हुए ?" मेरा ख्याल यह है कि स्पेसिफिक क्वेश्चन हो किसी विशेष जिले का, किसी विशेष स्थान का हो तो जवाब दे दिया जाय लेकिन सारे प्रदेश की जिलेवार संख्या मालूम करना मुश्किल होता है।

टेक्निकल सेल

*५—श्री जगदीशप्रसाद (जिला बहराइच)—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बतायेंगे कि अब तक कितना रुपया Technical cell के ऊपर व्यय हुआ है और कितना रुपया Penalty के रूप में प्राप्त हुआ है ?

परिवहन मंत्री के सभा सचिव (श्री गनेशीलाल चौधरी)—व्यय—२,८०,२१०·८२ रुपया। वसूली—कुल ४,७१,००० रुपये की वसूली होना है उस में से १,१७,१९७·६९ रुपया वसूल हो चुका है।

श्री जगदीशप्रसाद—३,५३,८०३ रुपये बाकी हैं तो यह किस-किस पीरियड का बाकी है और उसके वसूल न होने का क्या कारण है ?

श्री गनेशीलाल चौधरी—यह सेल १९५९ में बना था और उसके बाद एग्जामिन करना शुरू हुआ। यह डिटेल हमारे पास मौजूद नहीं हैं कब के हैं। लेकिन शीघ्र वसूली हो रही है।

फैजाबाद जिले में घाघरा के कटाव से प्रभावित गांवों के लगान में छूट

*६—श्री धूमप्रसाद (जिला फैजाबाद) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि फैजाबाद जिले की नदियों के किनारे घाघरा के रामनगर, धौरहरा, सीखार, हाजीपुर, महोली, सैदपुर आदि की डूबी हुई भूमि की नाप के लिये कोई प्रबन्ध करके उन्हें क्षतिपूर्ति की व्यवस्था कर सकती है ? यदि हां, तो क्या ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—घाघरा नदी के कटाव के कारण इन ग्रामों में पिछले वर्षों में जो क्षति हुई उसके अनुरूप लगान में छूट दी गई। उसके आंकड़े सूत्रो 'क' में संलग्न हैं।

क्षति पूर्ति का न तो कोई प्राविधान ही है और न शासन के लिये ऐसा करना संभव ही है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ १०७४ पर)

*७—श्री धूमप्रसाद (अनुपस्थित)—क्या नदी गोमती की बाढ़ से पीड़ित फैजाबाद के दक्षिण भाग में घोड़वल के, पूरे लाल खां रुस्तम का पूरा-पूरा दहमेल अदिलपुर की आराजी की उचित जांच के लिये कोई व्यवस्था सरकार करेगी ? यदि हां, तो कब और कैसे व्यवस्था होगी जब कि सारे घर और भूमि का संहार हो गया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—यह कहना ठीक नहीं है कि घोड़ वलके, पूरे लाल खां, रुस्तम का पूरा, पूरा दहमेल आदिलपुर ग्रामों के सारे घर और भूमि का संहार हो गया। इन ग्रामों के आंशिक क्षेत्रों की लगभग ३०० एकड़ भूमि की फसल क्षति-ग्रस्त हुई है। पानी भर जाने के कारण क्षति के वास्तविक आंकड़े अब तक तैयार न हो सके। अब पानी हट चुका है और उनको तैयार किया जा रहा है।

*८—श्री धूमप्रसाद (अनुपस्थित)—क्या अभी तक ग्रामीण बेचारों के निकालने के लिये कोई नाव का प्रबन्ध भी नहीं है जब कि घर के चारों ओर कमर तक पानी आ गया जैसा कि मैंने अपनी आंखों से निरीक्षण किया है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—तहसील बीकापुर के गोमती क्षेत्र में चार निजी नावें हैं जिनका उपयोग किया गया था। इसके अतिरिक्त २ नावें और किराये पर ली गई थीं। बाढ़ का पानी ६ अक्तूबर, १९६२ तक रहा, और नावों के कारण कोई कठिनाई नहीं पड़ी।

वाराणसी कलेक्टरी में परिगणित जातीय लिपिक

*९—श्री हरिगैनराम (जिला वाराणसी)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वाराणसी जिले के कलक्ट्रेट में कुल कितने अस्थायी व स्थायी क्लर्क व चपरासी हैं? उसमें कितने परिगणित जाति के हैं?

श्री बृजबिहारी—सूचना निम्न प्रकार है :—

पद का नाम	अस्थायी कर्मचारी	परिगणित जाति के कर्मचारी	स्थायी कर्मचारी	परिगणित जाति के कर्मचारी
लिपिक	६९	१	१०२	३
चपरासी	१२२	५	११०	५

*१०—श्री हरिगैनराम—सन् १९६१ में उक्त कलक्ट्रेट में मास रिटायरमेंट के समय कितनी जगहें रिक्त हुईं और उनकी पूर्ति किस प्रकार की गयी तथा कितने परिगणित जाति के लिये गये?

श्री बृजबिहारी—लिपिकों के १२ स्थान रिक्त हुये। उनकी पूर्ति हेतु अस्थायी प्रबन्ध किया गया क्योंकि पेड अप्रेंटिसों की सूची निर्णीत नहीं की जा सकी है। उपरोक्त प्रबन्ध में दो व्यक्ति परिगणित जाति के हैं।

श्री हरिगैनराम—अस्थायी लिपिकों में १८ फीसदी संरक्षण के अनुसार अभ्यर्थियों की भर्ती न होने का क्या कारण है?

श्री हुकुमसिंह विसेन—प्रयास कर रहे हैं। फिर उसके लिये कुछ रूल्स और रेगुलेशंस हैं। पेड एप्रेन्टिस होते हैं उनको भी कंसीडर करना पड़ता है। उनकी सूची नहीं थी इसलिये भी कुछ देर लगी।

श्री विजयसिंह—क्या सरकार अब भी यह रिकार्ड जातिवाद सर्विस बुक में रखती है?

श्री हुकुमसिंह विसेन—परिगणित जातियों के लिये कोई रिजर्वेशन नहीं है लिहाजा सब देखा जाता है। हम तो अपना सब मिला लेते हैं।

श्री सुरजनराम विशारद (जिला आजमगढ़)—जो १८ फीसदी सुरक्षित स्थान रखे गये हैं हरिजनों के लिये उसकी जो पूर्ति अधिकारी हैं वे उनका ध्यान रखते हैं? अगर नहीं रखते हैं, तो उसका क्या कारण है?

श्री हुकुमसिंह विसेन—रखते हैं। बोर्ड आफ रेवेन्यू वक्तन-फवक्तन आदेश भी जारी करता रहा है कि इसका ध्यान रहे।

श्री हिम्मतसिंह—माननीय मंत्री जी ने जो परिगणित जातियों का परसेंटेज बताया यह जब से १८ परसेंट का नियम हुआ है तब से बताया है या इसमें जो पुराने कर्मचारी थे वे भी शामिल कर लिये गये हैं?

श्री हुकुमसिंह विसेन—हमने परसेंटेज कहां बताया? हमने तो तादाद बतायी।

श्री हरिगैनराम—क्या राजस्व परिषद् ने जून, १९५६ में कोई ऐसा आदेश जारी किया था कि जिसमें जिलाधीश वाराणसी को यह कहा गया था कि हरिजन अभ्यर्थियों को तब तक भर्ती करते रहें जब तक उनका कोटा पूरा नहीं हो जाता?

श्री हुकुमसिंह विसेन—चपरासियों के लिये ऐसी हिदायत है कि वेटिंग लिस्ट भी हरिजनों की रखी जाय ताकि उनका कोटा पूरा हो जाय।

श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर)—क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पेड एपरेंटिस की लिस्ट बनाने का क्या आधार है?

श्री हुकुमसिंह विसेन—उसमें कम्पिटीटिव एग्जामिनेशन होता है।

फर्रुखाबाद जिले में दलित तथा पिछड़े वर्ग के प्रशिक्षार्थी अध्यापक

*११—डाक्टर सियाराम गंगवार (जिला फर्रुखाबाद)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस वर्ष एल० टी०, जे० टी० सी० अथवा एच० टी० सी० के विद्यार्थियों के चुनाव में फर्रुखाबाद जिले में कितने विद्यार्थी लिये गये हैं? उसमें दलितवर्ग और पिछड़े वर्ग का क्या अनुपात है?

श्री केशभान—जी हां।

एल० टी० में कुल १३ विद्यार्थी चुने गये जिसमें दलित वर्ग के अभ्यर्थियों की संख्या शून्य एवं पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों की संख्या ४ है। पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों का अनुपात लगभग ३१ प्रतिशत है।

जे० टी० सी० में २३ विद्यार्थी चुने गये जिसमें दलित वर्ग तथा पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों की संख्या क्रमशः २ तथा १५ है। दलित वर्ग का अनुपात लगभग ८ प्रतिशत और पिछड़े वर्ग का लगभग ६५ प्रतिशत है।

एच० टी० सी० में १०१ अभ्यर्थी फर्रुखाबाद जिले से चुने गये जिनमें दलित वर्ग का अनुपात लगभग १२ प्रतिशत तथा पिछड़े वर्ग का अनुपात लगभग ३१ प्रतिशत है।

डाक्टर सियाराम गंगवार—क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि एल० टी० में जो कोई विद्यार्थी हरिजन वर्ग से नहीं लिया गया तो हरिजन वर्ग की कितनी दरख्वास्तें थीं?

श्री केशभान—यह सूचना तो जिले से प्राप्त नहीं हुई है।

*१२-१३—श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह (जिला गोंडा) तथा श्री विजयसिंह—[१७वें सोमवार के लिये प्रश्न संख्या ८-९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

गोरखपुर जिले में देशी शराब की दुकानों का ठेका

*१४—श्री कल्पनाथसिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विधान सभा के वर्तमान सत्र के प्रश्न संख्या ११२-११३ जो नवें शुक्रवार के लिये तारांकित प्रश्न के रूप में निर्धारित था, यह बताने का कष्ट करेंगे कि गोरखपुर शहर की देशी शराब की दुकान अलहदपुर, हासपुर, हजारीपुर, जटेपुर, जफराबाजार, नखास और उर्दू बाजार सन् १९५८ से लेकर सन् १९६२ तक प्रायः उन्हीं व्यक्तियों के हाथ में क्यों रही है तथा यही हालत नौतनवां और निचलौल की भी रही है? इसका क्या कारण है कि सन् १९५९-६०, १९६०-६१, १९६१-६२ तथा १९६२-६३ में भी प्रायः एक ही या दो फर्मों ने उपरोक्त दुकानों का ठेका एक-आध नाम बदल कर या बढ़ा-घटा कर लिये?

आबकारी राज्य मंत्री (डाक्टर सीताराम)—यह सही नहीं है कि कथित शराब दुकानों का ठेका १९५८-५९ से लेकर १९६२-६३ तक प्रायः एक ही व्यक्ति के पास रहा जैसा संलग्न तालिका से स्पष्ट होगा।

नीलाम के समय जिनकी बोली अधिक थी दुकान उनको ही जिलाधीश द्वारा दी गई। यह नियम नहीं है कि एक ही व्यक्ति या फर्म को दुकानों का ठेका दोबारा न दिया जाए।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ १०७६—१०७७ पर)

*१५—श्री कल्पनार्थसिंह—इसका क्या कारण है कि उपरोक्त दुकानों पर सम्बन्धित वर्षों में प्रायः उतने रुपये की बोली हर वर्ष रही अगर सबका जोड़ देखा जाय ?

डाक्टर सीताराम—यह सत्य नहीं है कि उपरोक्त दुकानों पर सम्बन्धित वर्षों में प्रायः उतने ही रुपये की ही बोली प्रत्येक वर्ष रही।

श्री कल्पनार्थसिंह—उपरोक्त तालिका से जैसी कि संलग्न है, मैं यह समझता हूं कि मन्त्री जी को कुछ जानकारी हुई होगी तो क्या मन्त्री जी आश्वासन देने के लिये तैयार हैं कि उक्त स्थानों पर कड़ी निगाह रखने की कृपा करेंगे ?

डाक्टर सीताराम—यह तो प्रश्नोत्तर से ही स्पष्ट है। लेकिन जहां तक काफी निगरानी रखने का प्रश्न है मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आबकारी विभाग में गोरखपुर जिले की इन ९ दुकानों में जहां आक्शन हुआ है वह तीन सालों में ४.३ प्रतिशत से लेकर २३ प्रतिशत आक्शन बढ़ गया है।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—क्या मन्त्री जी बतायेंगे या जांच कराकर सदन को आश्वस्त करेंगे कि जो दूकानें नीलाम की गई हैं उनमें एक ही फर्म ऐसी है जो विभिन्न नामों से ठेका लिये हुये है और उनका एक ही मैनेजिंग प्रोप्राइटर है और उसी के अन्तर्गत सब दूकानें चलाई जा रही हैं ?

डाक्टर सीताराम—यह कहना सत्य नहीं है। चार पार्टियां हैं और एक्साइज मैनुअल के पैरा ३५७/३५८ के अन्तर्गत जिलाधीश को अधिकार है कि जिनकी हाईयेस्ट बिड हो उसको दे सकता है। अगर माननीय सदस्य इंटरेस्टेड हों और वे हिस्सा लें और जो पार्टी बैठी हुई है उसको आउस्ट करें तो हम खुशी होंगे।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—माननीय मन्त्री जी ने जैसा कहा कि अगर माननीय सदस्य को दिलचस्पी हो तो उस प्रकार की बात कर सकते हैं तो क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि अगर उनको दिलचस्पी हो जैसा कि मैं बता रहा हूं कि हजारीबाग के हजारी साहब हैं और एक ठाकुर साहब और हैं जो बांसगांव के रहने वाले हैं उन्होंने एक कम्पनी बना ली है और यह खुद मालिक बन बैठे हैं और मन्त्री जी का भी विशेष हाथ है तो क्या इस बात को सूचना मानकर उनको कैंसिल करने की कृपा करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जहां तक मेरा ख्याल है न आपको दिलचस्पी है और न मुझे है। लेकिन यह तो इत्फाक है कि जिसकी हाईयेस्ट बिड होती है उसके नाम बोली खत्म की जाती है।

किसरोली ग्राम के मिहीलाल की जमीन का पट्टा

*१६—श्री दयाराम शाक्य (जिला फर्रुखाबाद)—क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उनको इस बात की जानकारी है कि ग्राम किसरोली, तहसील कायमगंज, जिला फर्रुखाबाद के एक काश्तकार मिहीलाल की लावारिस मौत हो गई और उसकी लगभग ३६ बीघा काश्त का गलत इन्दराज लेखपाल ने कर दिया ? यदि हां, तो इस विषय में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री बृजबिहारी—काश्तकार मिहीलाल लावारिस नहीं मरा था, उसका वारिस उसका चचाजाद भाई श्यामलाल था जिसके नाम लेखपाल द्वारा नियत अधिकारी के आदेशानुसार धारा १७१ जमींदारी उन्मूलन व भूमि-व्यवस्था अधिनियम के अन्तर्गत इन्दराज किया गया।

श्री दयाराम शाक्य—क्या मन्त्री जी को उसकी पैडिग्री ज्ञात है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—हम उनके खानदान के भाट नहीं हैं, लेकिन थोड़ा बता सकते हैं कि यह चाचा का लड़का है श्यामलाल और उसकी भांजी के दरमियान मुकदमा हुआ उन का यह करीबतर वारिस था लिहाजा उसके नाम फैसला हो गया।

श्री दयाराम शाक्य—जहां तक मेरी जानकारी है ये दोनों व्यक्ति जिनकी प्रापर्टी का उसके नाम इंदराज हुआ उनके बाबा के सगे भाई थे। इससे यह प्रापर्टी उन पर डिवोल्व नहीं करती है, इसलिये मन्त्री जी जानकारी प्राप्त करने की कृपा करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—यह तो किसी कानूनदां से पूछिये, हम क्या बतायें।

बाढ़ एवं टिड्डियों से नष्ट फसल के लगान में छूट

*१७—**श्री बलवानसिंह** (जिला कानपुर)—क्या सरकार बाढ़ व टिड्डियों से विध्वंसित किसानों को लगान की छूट दे रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बृजबिहारी—बाढ़ एवं टिड्डियों से नष्ट हुई खरीफ १३७० फसली में पीड़ित किसानों को नियमों के अन्तर्गत छूट के प्रस्ताव आने पर यथासमय लगान में छूट दी जायगी।

श्री बलवानसिंह—श्रीमन्, मैं जानना चाहता हूं कि छूट देने के क्या नियम हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—नियम पढ़ लें तो मालूम हो जायगा। हमें जबानी याद नहीं है।

श्री बलवानसिंह—किन जिलों से बाढ़ और टिड्डी के नुकसान के क्या क्या प्रस्ताव आये हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—बाढ़ और टिड्डी के बारे में कई मर्तबा बयान दे चुका हूं। छपा हुआ बयान दिया है। उसको पढ़ लें तो मालूम हो जायगा। जबानी बताना दुश्वार है।

श्री बलवानसिंह—मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि छूट देने में किसान की मेहनत और बीज का भी नुकसान लेकर छूट दी जाती है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—मोटा कायदा यह है कि आठ आने से ज्यादा नुकसान होता है वहां रेमिशन होता है। आठ आने से कम नुकसान पर छूट नहीं दी जाती।

सुपरवाइजर कानूनगो ट्रेनिंग स्कूल

*१८—**श्री चन्द्रबलीसिंह** (जिला देवरिया)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सरकारी सुपरवाइजर कानूनगो, ट्रेनिंग स्कूल चल रहा है ? यदि हां, तो कब तक चलेगा ? यदि नहीं, तो बन्द करने का कारण क्या है ?

श्री बृजबिहारी—जी हां। इस समय यह नहीं कहा जा सकता कि कब तक चलेगा।

*१९—**श्री चन्द्रबलीसिंह**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि राज्य भर में कितने सुपरवाइजर कानूनगो सर्किल हैं तथा इस समय ट्रेनिंग में सुपरवाइजर कानूनगो कितने हैं ?

श्री बृजबिहारी—राज्य भर में कुल ७६० सुपरवाइजर कानूनगो सर्किल हैं और इस समय ट्रेनिंग में कोई सुपरवाइजर कानूनगो कैन्डीडेट नहीं है।

श्री चन्द्रबलीसिंह—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो ७६० सुपरवाइजर कानूनगो सर्किल हैं, इन सर्किलों में कितने ट्रेंड सुपरवाइजर हैं और कितने अन-ट्रेंड ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—सुपरवाइजर अनट्रेंड नहीं होता है, जहांतक मेरी जानकारी है।

श्री चन्द्रबलीसिंह—माननीय मंत्री जी ने प्रश्न १८ में उत्तर दिया है कि सरकारी सुपरवाइजर कानूनगो ट्रेनिंग स्कूल चल रहा है और यह नहीं पता है कि कब तक चलेगा। प्रश्न १९ में उत्तर दिया है कि ७६० सुपरवाइजर कानूनगो सर्किल हैं और इस समय ट्रेनिंग में कोई सुपरवाइजर कानूनगो कैंडीडेट नहीं है। तो एक तरफ स्कूल भी चल रहा है और दूसरी तरफ सुपरवाइजरी कानूनगो का कोई कैंडीडेट भी नहीं है, इन दोनों उत्तरों में कौन-सा उत्तर सही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—दोनों ठीक हैं। नायब तहसीलदारों की उस कालेज में ट्रेनिंग हो रही है, रेग्युलर और कलेक्शन नायब तहसीलदार जिनका मर्जर हुआ है। इस वजह से कालेज चल रहा है लेकिन सुपरवाइजर कानूनगो ट्रेन्ड नहीं किये जाते हैं।

बिन्दकी तहसील में पानी जमाव से क्षति

*२०—**श्री रामकिशोर वर्मा** (जिला फतेहपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि फतेहपुर जिले की बिन्दकी तहसील के जिन ३५ ग्रामों में पानी के जमाव से इस वर्ष क्षति पहुंची है, वह कौन-कौन से ग्राम हैं तथा प्रत्येक क्षतिग्रस्त ग्राम को सरकार की ओर से सहायतार्थ किस-किस प्रकार की और कितनी-कितनी सहायता दी गई और कितनी-कितनी तकावी सहायतार्थ दी गई है ? यदि दी गई है, तो किस-किस निमित्त ?

श्री बृजबिहारी—फतेहपुर जिले की बिंदकी तहसील में पानी के जमाव से इस वर्ष ७३ ग्राम प्रभावित हुये जिनमें से ३५ ग्रामों में मकानों को क्षति पहुंची। इन ३५ ग्रामों की सूची संलग्न तालिका में प्रस्तुत है। इनमें से केवल एक ग्राम हजरतपुर में पीड़ित व्यक्तियों को ५८० रु० की अहेतुक सहायता बांटी गई। तकावी, गृह निर्माण तथा अन्य किसी सहायता की मांग नहीं की गई न आवश्यकता समझी गई।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ १०७८ पर)

*२१—**श्री रामकिशोर वर्मा**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि संबंधित ग्रामों में पानी जमाव की समस्या स्थायी है ? यदि हां, तो इस समस्या के निराकरण हेतु क्या सरकार किसी ऐसी योजना पर विचार कर रही है कि भविष्य में इस प्रकार की समस्या पैदा न हो ? यदि हां, तो वह कौन सी योजना है तथा कब तक पूरी हो जावेगी ?

श्री बृजबिहारी—पानी के जमाव की समस्या केवल कुछ ही ग्रामों में लगभग स्थायी है जिसके निराकरण हेतु डीघ नाला, सिलवा नाला तथा कोखा नामक तीन नाले बनाने की योजना सिंचाई विभाग के विचाराधीन हैं। इनके पूर्ण होने की अवधि बताना अभी संभव नहीं है क्योंकि उक्त क्षेत्रों में पानी भरा होने के कारण तत्काल सर्वेक्षण करना संभव नहीं हो सका है।

*२२—**श्री रामकिशोर वर्मा**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिन ग्रामों की फसल का पानी के जमाव से नुकसान हुआ है उनकी जांच कराई जा रही है ? यदि हां, तो क्या किसानों को छूट मालगुजारी तथा आबपाशी की व अन्य सहायता अर्थात् फसलों का मुआवजा देने जा रही है ?

श्री बृजबिहारी—प्रभावित ग्रामों में पानी के जमाव के फलस्वरूप हुई फसल की क्षति की संबंधित जिला अधिकारी जांच कर रहे हैं तथा उनमें नियमों के अन्तर्गत मालगुजारी एवं आबपाशी कर में जहां आवश्यक होगा छूट दी जायेगी। सरकार द्वारा कोई मुआवजा देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री रामकिशोर वर्मा—माननीय मंत्री जी ने यह बताया कि बिन्दकी तहसील के ७३ गांव बाढ़ से प्रभावित हुये और ३५ गांवों में मकानों को क्षति पहुंची लेकिन केवल एक हजरतपुर गांव को ही सहायता दी गई, तो मैं जानना चाहता हूं कि जब ३५ गांवों में मकान ध्वस्त हुये तो उनको सहायता न देने का कारण क्या है ? और जिन अधिकारियों ने उनकी जांच की और जांच के बाद बताया कि मकानों को नुकसान हुआ और फसल को नुकसान हुआ उसके बाद उन्होंने उनको कोई सहायता देने का प्रयास नहीं किया तो उनके खिलाफ क्या कार्यवाही करने का सरकार विचार रखती है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—क्योंकि सहायता की कोई डिमांड नहीं थी तो सहायता देने का कोई सवाल पैदा नहीं होता ।

श्री रामकिशोर वर्मा—माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि उन तीन नालों से जिनका जिक्र सरकार ने किया जिन गांवों की समस्या हल नहीं होती जैसे बहरौली, पारादान, सेलावन, मडरांव और बागबादशाही, इनके पानी की निकासी की समस्या के हल के लिये कौन-सा प्रयास वह कर रहे हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—अब सिंचाई विभाग द्वारा इन तीन नालों को बनाने का प्रश्न जेरेगौर है और औरों के मुताबिक कोई बात जेरेगौर नहीं है ।

श्री विजयसिंह—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि लैंड इम्प्रूवमेंट के लिये जहां पर पानी भर जाता है, वहां के लिये सरकार की क्या पालिसी है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—नाले वगैरह बनाकर पानी निकाल दिया जाय ।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)—अध्यक्ष महोदय, यह समस्या केवल इसी वर्ष की नहीं है, प्रतिवर्ष यह समस्या आ जाती है, तो क्या सरकार कोई ठोस योजना तैयार करायेगी कि जिससे यह गांव प्रति वर्ष बाढ़ से बच सकें ? यदि हां, तो वह कौन सी योजना है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—इर्रीगेशन डिपार्टमेंट तमाम सुबे के लिये विचार करता रहता है और जहां-जहां वह जरूरत समझता है और बनाना सम्भव समझता है वहां-वहां उसका प्रयास करता है ।

एल० टी० ट्रेनिंग

*२३—**श्री कल्याणचन्द मोहिले** (जिला इलाहाबाद)—क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतलावेंगे कि प्रदेश में किन-किन जिलों में एल० टी० ट्रेनिंग हेतु स्कूल हैं तथा १९६०–६१, १९६१–६२ में कितने छात्र तथा छात्रायें इन स्कूलों में उत्तीर्ण हुयीं तथा कितनी असफल हुयीं ?

श्री केशभान—प्रदेश के एल० टी० ट्रेनिंग स्कूलों की सूची सदन के मेज पर है । इन स्कूलों में सन् १९६०–६१ में ७२६ छात्र तथा छात्रायें उत्तीर्ण हुयीं और १८१ असफल हुयीं । सन् १९६१–६२ में ६२३ छात्र तथा छात्रायें उत्तीर्ण हुयीं और १४६ असफल हुयीं ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ १०७९ पर)

*२४—**श्री कल्याणचन्द मोहिले**—क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि जिन स्कूलों में एल० टी० की ट्रेनिंग दी जाती है उनमें पढ़ने वाले छात्रों तथा छात्राओं का चुनाव १९६२–६३ में किस आधार पर किया गया ?

श्री केशभान—अभ्यर्थियों का चुनाव सन् १९६२–६३ में लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार के आधार पर किया गया ।

श्री कल्याणचन्द मोहिले--क्या माननीय शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि १९६२-६३ में जो चुनाव हुये उसमें कितने छात्र और छात्रायें चुनी गईं और शिक्षा मंत्री ने अपने चुनाव में कितने छात्रों और छात्राओं का चुनाव किया और किस आधार पर किया ?

श्री केशभान--श्रीमन्, इसमें गवर्नमेंट द्वारा नामिनेशंस का प्रश्न नहीं था। केवल सेलेक्शन कमेटी द्वारा जो चुनाव होता है उसी की सूचना मांगी गई थी, यह सूचना दे दी गई है।

कुआर में जूनियर हाई स्कूल की मांग

*२५--**श्री जमादारसिंह** (जिला मेरठ) (अनुपस्थित) तथा **श्री ऊदल**--क्या सरकार ५वें शुक्रवार (१-६-६२) के तारांकित प्रश्न संख्या ६ के उत्तर के संदर्भ में बताने की कृपा करेगी कि कुआर, परगना कोल असला, वाराणसी में जो जूनियर हाई स्कूल सरकार ने मंजूर किया है वह कब तक खुल जायेगा ? क्या सरकार उसे स्वयं चलाने पर विचार कर रही है ?

श्री केशभान--कुआर, परगना कोल असला, वाराणसी में सरकारी जूनियर हाई स्कूल मंजूर नहीं हुई है और न सम्प्रति सम्भव है।

श्री ऊदल--क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि १-६-६२ को सदन में शिक्षा मंत्री की तरफ से उत्तर दिया गया था, सभा सचिव जी ने उत्तर दिया था कि वहां जूनियर हाई स्कूल मंजूर हो गया है, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री जी उस दिन की कार्यवाही को निकालकर के देखने की कृपा करेंगे ?

श्री केशभान--ऐसी कोई सूचना नहीं दी गई है कि मंजूर हो गया है।

श्री ऊदल--१-६-६२ के प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने उत्तर में कहा था कि यह स्कूल मन्जूर है। इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार उसको जिला परिषद् से चलवायेगी या किसी और तरह से ?

श्री अध्यक्ष--मंत्री जी ने कहा कि वह मन्जूर नहीं है। पिछली तारीख में यह स्वीकार किया था कि वहां पर यह योजना मन्जूर हो चुकी है और आज कह रहे हैं कि वह मन्जूर नहीं हुई है। तो आप कृपया इसको देख लें।

श्री केशभान--ऐसा नहीं कहा था कि मन्जूर है। उस समय यह प्रश्न था कि क्या सरकार गांव कुआर परगना कोल असला में कोई जूनियर हाई स्कूल खोलने पर विचार करने जा रही है। इसका उत्तर उस समय दिया गया था कि "जी हां" अब उसके बाद मन्जूर होने की सम्भावना नहीं है।

श्री ऊदल--तो, जी हां, का क्या मतलब है ?

श्री अध्यक्ष--विचार कर रहे हैं।

सहसवां के तहसीलदार का स्थानान्तरण

*२६--**श्री उल्फतसिंह** (जिला बदायूं) (अनुपस्थित)--विधान सभा के प्रथम सत्र १९६२ के ९वें शुक्रवार के (७-९-६२) के अतारांकित प्रश्न संख्या २७ के उत्तर के प्रसंग में क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त तहसीलदार का स्थानान्तरण एक बार इसके पूर्व भी हुआ था परन्तु क्यों रोक दिया गया था ? अब दुबारा उनके स्थान पर जो तहसीलदार अपनी पत्नी की गर्भावस्था के कारण न आये वह कब तक आ जायेंगे और उक्त तहसीलदार कब तक चले जायेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी हां। उनकी स्त्री का आपरेशन हुआ था और वह बिस्तर से उठ नहीं सकती थीं। इस कारण उनका ट्रान्सफर स्थगित कर दिया गया था। अब उनको ट्रान्सफर कर दिया गया है और २५ अक्तूबर, १९६२ को उन्होंने चार्ज भी दे दिया है।

मछलीशहर तहसील में कलेक्शन अमीन द्वारा गोलमाल

*२७—**श्री जमादारसिंह** (अनुपस्थित) तथा **श्री ऊदल**—क्या सरकार को पता है कि श्री गिरवर अमीन तहसील मछलीशहर, जिला जौनपुर ने १९६०-६१ की वसूली में ३० हजार रुपये का गबन किया है जिसका कूपन नायब तहसीलदार के पास है? यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई? क्या इस मामले को सरकार ने पुलिस को दे दिया है?

श्री बृजबिहारी—जिला जौनपुर की तहसील मछलीशहर में श्री गिरवर प्रसाद, कलेक्शन अमीन ने ९०७.९५ रु० का अस्थायी अपहरण (temporary embezzelmen) किया था, जिसे उन्होंने दिनांक २८ अप्रैल, १९६२ को उपकोष मछलीशहर में जमा कर दिया था। इस संबंध में उक्त अमीन को तुरन्त निलम्बित (suspend) कर दिया गया तथा उसके विरुद्ध आनुशासनिक कार्यवाही की गयी। निलम्बन की अवधि का न तो कोई वेतन ही दिया गया वरन् दो वर्ष के लिये वेतन वृद्धि भी रोक दी गयी और उसकी चरित्र पंजी में विपरीत अंकन भी कर दिया गया।

अमीन ने सारा रुपया जमा कर दिया था और उसकी पिछली सेवायें अच्छी थीं इसके अतिरिक्त चूंकि वैभागिक कार्यवाही भी कर ली गयी थी, अतएव मामला पुलिस में सौंपना उपयुक्त नहीं समझा गया।

श्री ऊदल—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि ९०७.९५ रु० जिसको उसने जमा नहीं किया था और उसके अपराध में ससपेन्ड किया गया तो...

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैं समझता हूं कि जब सदन की कार्यवाही चल रही हो उस समय श्री मित्थल, जो विधान सभा के सचिव हैं, उनको मुख्य मंत्री जी के पास नहीं जाना चाहिये। इस पर आप व्यवस्था दें क्योंकि उनके वहां जाने से, मैं यह समझता हूं, कि सदन की कार्यवाही पर असर पड़ सकता है। इस विषय में मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं?

श्री अध्यक्ष—सचिव असेम्बली की कार्यवाही से संबंधित व्यवस्था करते हैं और वह केवल मुख्य मंत्री के पास ही नहीं जाते, आपके पास भी जाते हैं और जा सकते हैं।

श्री ऊदल—मैं यह जानना चाहता हूं कि उस अमीन ने इतनी बड़ी गलती की थी जिसकी वजह से उसको ससपेन्ड किया गया और उसकी तनख्वाह रोक ली गई तो क्या सरकार उस अमीन को अब काम पर लगा देगी?

श्री अध्यक्ष—वह काम करते हैं शायद दो वर्ष के लिये उनकी तरक्की रोक दी गई है और उनके करेक्टर रोल में एन्ट्री करदी गई है।

श्री ऊदल—इस गबन के संबंध में मेरी जानकारी है कि वह ३० हजार रुपये का था और उसका कूपन जो था वह नायब तहसीलदार के पास था तो मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि इसकी जांच सरकार ने किस के द्वारा कराई?

श्री हुकुमसिंह विसेन—माल के अहलकारों ने की।

वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में विज्ञान

*२८—श्री गंगाधर मैठाणी (जिला चमोली) (अनुपस्थित)—क्या सरकार को मालूम है कि वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में विज्ञान भी है? यदि हां, तो उत्तर प्रदेश के कितने संस्कृत विद्यालयों में विज्ञान के अध्यापन की व्यवस्था है और क्या अभी तक किसी संस्कृत विद्यालय को विज्ञान के लिये कोई अनुदान भी दिया गया है?

शिक्षा मंत्री (आचार्य जुगलकिशोर)—जी हां।

किसी में नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

दुद्धी गवर्नमेंट इस्टेट के अध्यापकों का वेतन-क्रम

*२९—श्री रामप्यारे (जिला मिर्जापुर)—क्या राजस्व मंत्री ऐसे अध्यापकों को जो दुद्धी गवर्नमेंट इस्टेट की प्राइमरी पाठशालाओं में सेवा कर रहे हैं वही ग्रेड देने की व्यवस्था करेंगे जिसको अन्तरिम जिला परिषद् अपने प्राइमरी पाठशालाओं को दे रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बृजबिहारी—दुद्धी गवर्नमेंट इस्टेट की पाठशालाओं के अध्यापकों और परिषद् की पाठशालाओं के अध्यापकों की सेवायें शर्तें (Service conditions) भिन्न हैं। फिर भी इस्टेट की पाठशालाओं के अध्यापकों के वेतन-क्रम को बढ़ाये जाने के प्रश्न की परीक्षा करवाई जायगी।

*३०—श्री रामप्यारे—क्या राजस्व मंत्री को पता है कि प्रशिक्षित सीनियर तथा प्रशिक्षित जूनियर दोनों प्रकार के अध्यापकों का एक ही ग्रेड है? यदि हां, तो क्यों?

श्री बृजबिहारी—जी हां। एक ही श्रेणी के अध्यापकों के सीनियर तथा जूनियर होने के नाते भिन्न-भिन्न ग्रेड दिया जाना सरकार आवश्यक नहीं समझती है।

श्री रामप्यारे—क्या माननीय राजस्व मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि परिषद् के अध्यापकों और स्टेट स्कूल्स के अध्यापकों में कितना अंतर है और वह वेतनक्रम बढ़ाये जाने की परीक्षा कब तक करायेंगे?

श्री हुकुमसिंह विसेन—अन्तर है और इसकी कोशिश की जायगी।

श्री रामप्यारे—क्या राजस्व मंत्री जी मेरे सुझाव पर विचार करेंगे कि जो स्टेट द्वारा स्कूल चलाये जा रहे हैं वह परिषद् को पूरे खर्च के साथ दे दिये जायं जिससे कि शिक्षा में जो दोहरा शासन है दुद्धी तहसील में वह समाप्त हो जाय?

श्री हुकुमसिंह विसेन—यह बहुत बड़ा प्रश्न है और बिना विचार किये हुए कोई बात कह देना उचित न होगा।

*३१-३३—श्री गिरधारीलाल (जिला वाराणसी)—[हटा दिये गये।]

[१४ दिसम्बर, १९६२ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

गंगा पर चील्हघाट पुल की आवश्यकता

*१—श्री ऊदल—क्या सरकार बतायेगी कि मिर्जापुर में चील्हघाट पर गंगा नदी में पुल बनाने के लिये भारत सरकार ने डेढ़ करोड़ रु० प्रदेश की सरकार को दिया है या इसी योजना में देने जा रही है? यदि हां, तो उक्त पुल पर कार्य कब शुरू होगा?

श्री गनेशीलाल चौधरी---जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री ऊदल---क्या सरकार ने चील्हघाट पर गंगा नदी में पुल बनाने की किसी योजना पर विचार किया है या विचार करने की कृपा करेगी ?

श्री गनेशीलाल चौधरी---विचार तो है ही।

श्री ऊदल---क्या इस संबंध में भारत सरकार का भी कोई पत्र सरकार के पास आया था कि इस के लिये प्रदेशीय सरकार कोई योजना तैयार करे और उसमें भारत सरकार काफी रुपया देगी ?

श्री गनेशीलाल चौधरी---सन् १९५६ में लिखा-पढ़ी हुई थी और गंगा में फर्रुखाबाद में एक पुल बनने के लिये हाइयेस्ट प्रायरिटी दी गयी थी थर्ड फाइव इयर प्लान में, लेकिन धन न होने के कारण वह नहीं हो सकता।

मड़ुआडीह रेलवे क्रासिंग ओवर ब्रिज निर्माण पर विचार

*२---श्री ऊदल---क्या सरकार वाराणसी जिले के मड़ुआडीह रेलवे क्रासिंग पर ऊपर से (ओवर ब्रिज) पुल बनाने जा रही है ? क्या इसके संबंध में भारत सरकार से भी कोई लिखा-पढ़ी अब तक हुई है ? क्या भारत सरकार इस पुल के लिये दो बटे तीन लागत का हिस्सा देने को तैयार है ?

श्री गनेशीलाल चौधरी---यह विषय अभी विचाराधीन है। भारत सरकार से भी लिखा पढ़ी हुई है। अभी तक भारत सरकार ने पुल की लागत का २/३ भाग देने की स्वीकृति प्रदेशीय सरकार के पास नहीं भेजी है।

श्री ऊदल---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि यह जो पुल सरकार के विचाराधीन है इसमें जो इस्टीमेट बना है उसमें कितना रुपया लगने की संभावना है ?

श्री गनेशीलाल चौधरी---१ लाख रुपया लगेगा ब्रिज पर और एप्रोच रोड बनाने में ४ लाख रुपया लगेगा।

पिंडरा नेशनल इन्टर कालेज, वाराणसी की प्रबन्ध समिति

*३---श्री ऊदल---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पिंडरा नेशनल इंटर कालेज, वाराणसी की प्रबन्ध समिति का गठन अब तक न होने का कारण क्या है। क्या जिला विद्यालय निरीक्षक, वाराणसी ने कोई कार्यवाही अब तक इस संबंध में की है ? यदि हां, तो क्या ?

श्री केशभान---प्रशासन योजना स्वीकृत न होने के कारण प्रबन्ध समिति का पुनर्गठन नहीं हो सका है।

जिला विद्यालय निरीक्षक, वाराणसी ने प्रबन्धक को लिखा है कि वे प्रशासन योजना स्वीकृत करा कर प्रबन्ध समिति का पुनर्गठन शीघ्र करायें।

माध्यमिक विद्यालयों को प्रारम्भिक सहायता

*४---श्री रामसुन्दर पांडेय तथा श्री मंगलदेव (जिला आजमगढ़)---क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितने मान्यता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हैं जिन्हें अब तक प्रारम्भिक सहायता (Preliminary Grant) भी नहीं मिलती है ?

श्री केशभान---३७२।

*५—श्री रामसुन्दर पांडेय तथा श्री मंगलदेव—क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष १९६१–६२ में किस सन् तक मान्यता प्राप्त विद्यालयों को प्रारम्भिक अनुदान दिया जा चुका है और वित्तीय वर्ष १९६२–६३ में किस सन् तक मान्यता प्राप्त विद्यालयों को प्रारंभिक अनुदान दिया जा सकेगा ?

श्री केशभान—वित्तीय वर्ष १९६१–६२ में इस बात का प्रयत्न किया गया था कि १९५७ तक के मान्यता प्राप्त विद्यालय, यदि उनका कार्य संतोषजनक हो, तो उन्हें अनुदान सूची पर लाया जाय। परन्तु ऐसे २७ विद्यालय कुछ कमियों के कारण अनुदान सूची पर लाये नहीं जा सके।

इसी प्रकार १९६२–६३ में यह प्रयत्न किया जा रहा है कि १९६१ तक के विद्यालयों को यदि वे प्रतिबन्धों को पूरा करें तो अनुदान सूची पर ले लिया जाय।

*६—श्री रामसुन्दर पांडेय तथा श्री मंगलदेव—क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की किन-किन नगरपालिकाओं में अनिवार्य शिक्षा योजना चालू होने वाली है और उन पर अलग-अलग कितना व्यय होगा तथा प्रत्येक में सरकार द्वारा कितना-कितना अनुदान दिया जायगा ?

श्री केशभान—किसी भी नगरपालिका में नहीं।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि १९६१–६२ में कुल कितने हायर सेकेंड्री स्कूलों को अनुदान दिया गया था ?

श्री केशभान—श्रीमन्, इस समय यह ठीक-ठीक संख्या तो नहीं बतलाई जा सकती है कि १९६१–६२ में कितनों को दिया गया ?

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि १९६२–६३ में कितने हायर सेकेंड्री स्कूलों को अनुदान देने के लिये उनके पास धन रहा ?

श्री केशभान—श्रीमन्, वहां पर योजना में ३६० विद्यालयों के लिये प्राविधान था पर अभी यह ठीक से नहीं कहा जा सकता कि कितना काटा जायगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि शिक्षा मद में अनुदान काटने के संबंध में कोई सरकार द्वारा निश्चय किया जा चुका है ?

श्री केशभान—श्रीमन्, अभी यह निश्चय नहीं हुआ है।

श्री माताप्रसाद—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५७ के पहले जौनपुर जिले में कितने मान्यता प्राप्त स्कूल हैं जिन्हें अभी तक सहायता नहीं दी गई ?

श्री केशभान—श्रीमन्, जौनपुर जिले में ३ स्कूल हैं।

श्री बृजेश्वरसहाय (जिला मैनपुरी)—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि १९६२–६३ में जिन विद्यालयों को लिस्ट में नहीं लाया गया है वह विद्यालय कब से काम कर रहे हैं और कौन-कौन से हैं ?

श्री केशभान—५२३ लिस्ट में नहीं है और अनुदान देने का प्रश्न विचाराधीन है।

श्री माताप्रसाद—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि जौनपुर के किन-किन विद्यालयों को ग्रांट नहीं मिली है ?

श्री केशभान—श्रीमन्, वह पब्लिक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, सराय हरख और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, नीमापुर कुटीर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के चक्के हैं।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नीमापुर को अब तक ग्रांट नहीं मिली, उसका क्या कारण है ?

श्री केशभान—इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी। कुछ कार्य असंतोषजनक रहा, इसीलिये नहीं मिली।

श्री जगदम्बाप्रसाद (जिला फैजाबाद)—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि पटेल माध्यमिक विद्यालय, आजमगढ़ को आज तक प्रारम्भिक सहायता नहीं मिली तो इस प्रिलिमिनरी ग्रांट न मिलने के क्या कारण हैं ? वह क्यों नहीं दी गई ?

श्री केशभान—श्रीमन्, इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि मान्यता प्राप्त हो जाने के बाद किन-किन प्रतिबन्धों को पूर्ण कर लेने के बाद सरकार प्रारम्भिक सहायता देती है ?

श्री केशभान—इसके तो नियम बने हुए हैं और वह आप देख सकते हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय—श्रीमन्, इसमें तो नियम हैं नहीं और उसमें तो बड़ी रद्दोबदल है। वह नियत भी नहीं है कि किस ढंग से दिया जायगा और कब दिया जायगा। यदि कोई नयी योजना हो तो .....

श्री केशभान—श्रीमन्, ऐसा है कि जब मान्यता दी जाती है तो साधारणतया कुछ कंडीशन्स पर ही दी जाती है तो उनमें जितनी कंडीशन्स हैं अनुदान देने के लिये वह जरूर पूरी होनी चाहिये। यह सुरक्षित कोष इंडाउमेंट फंड पूरा होना चाहिये और प्रशासन योजना प्रस्तुत कर दी जानी चाहिये।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, नीमापुर के बारे में यह उत्तर दिया गया कि उसका प्रशासन ठीक नहीं रखा गया, इसलिये उसको सहायता नहीं दी गई। तो यह उत्तर क्या काल्पनिक नहीं माना जा सकता है। यदि वास्तविक हो तो उसके आपके पास क्या आधार हैं ?

श्री अध्यक्ष—उनके पास डिटेल्स नहीं हैं। उन्होंने कहा कि रह गया होगा।

श्री केशभान—इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी।

*७—श्री मैनेजरसिंह—[हटा दिया गया।]

सेवामुक्त सब-डिप्टी इन्सपेक्टर आफ स्कूल्स

*८—श्री रामसुन्दर पांडेय तथा श्री मंगलदेव—क्या शिक्षा मंत्री दिनांक १४ सितम्बर, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या ३९ के उत्तर के संदर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि इन सेवा मुक्त सब-डिप्टी इंस्पेक्टर आफ स्कूल में से कितने ऐसे सज्जन हैं जिन्हें सरकार की सेवा करते हुए ३ वर्ष से ऊपर हुये थे ?

*९—क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त प्रकार के सज्जनों में से कितने सज्जन ऐसे हैं जिनकी अवस्था २८ वर्ष से ऊपर है और सेवा मुक्त सज्जनों में से कितने सरकारी नौकरी में रख लिये गये हैं ?

*१०—क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिन स्थानों पर नई नियुक्तियां की गई हैं ये स्थान कब से रिक्त रहे हैं और क्यों ?

श्री केशभान—सूचना एकत्र की जा रही है।

नोट—तारांकित प्रश्न १० के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

इलाहाबाद बोर्ड का परीक्षाफल रोकना

*११—श्री चन्द्रपाल (जिला बस्ती) तथा श्री हिम्मतसिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १९६२ की इलाहाबाद बोर्ड की परीक्षा में कुल कितने परीक्षार्थियों का परीक्षाफल नकल के कारण रोक दिया गया है ?

आचार्य जुगलकिशोर—४,७७४ परीक्षार्थियों का।

*१२—श्री चन्द्रपाल तथा श्री हिम्मतसिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इनमें से कितने छात्रों का परीक्षाफल घोषित कर दिया गया है तथा कितनों का अभी विचाराधीन है ?

आचार्य जुगलकिशोर—१५-११-६२ तक ४,०४९ परीक्षार्थियों के संबंध में अंतिम निर्णय लिया जा चुका है। ७२५ परीक्षार्थियों के विषय अभी विचाराधीन हैं।

*१३—श्री चन्द्रपाल तथा श्री हिम्मतसिंह—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि विचाराधीन केसों को कब तक घोषित कर दिया जायेगा ?

आचार्य जुगलकिशोर—विचाराधीन विषयों में अंतिम निर्णय दिसम्बर मास के मध्य तक हो जाने की संभावना है।

माध्यमिक विद्यालयों में मैटरनिटी लीव, प्रधानाध्यापकों का एक्सटेंशन

*१४—श्री हिम्मतसिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १२ जुलाई, १९६२ से १५ सितम्बर, १९६२ तक गैर-सरकारी माध्यमिक विद्यालयों के कितने प्रधानाध्यापकों के प्रार्थना-पत्र शिक्षा मंत्री को रिटायर होने के बाद इक्सटेंशन के लिये प्राप्त हुए ?

आचार्य जुगलकिशोर—नियमित मार्ग द्वारा केवल ४ (चार)।

*१५—श्री हिम्मतसिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में महिला अध्यापक के लिये मैटरनिटी लीव का क्या नियम है तथा गैर-सरकारी मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में उक्त संबंध में क्या नियम हैं ?

आचार्य जुगलकिशोर—राजकीय विद्यालयों में महिला अध्यापिकाओं को मैटरनिटी लीव देने का प्राविधान सबसीडियरी रूल १५३, फाइनेंशियल हैन्ड बुक भाग २, खंड २-४ में उल्लिखित है।

गैर-सरकारी मान्यता प्राप्त विद्यालयों में महिला अध्यापिकाओं को मैटरनिटी लीव देने के लिए कोई प्राविधान नहीं है।

*१६—श्री हिम्मतसिंह—क्या सरकार इस विषमता को समाप्त करने का प्रयत्न करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

आचार्य जुगलकिशोर—गैर-सरकारी विद्यालयों में छुट्टी के नियम विचाराधीन हैं।

प्रारम्भिक पाठशालाओं के अस्थायी अध्यापक

*१७—श्री लोकपालसिंह (जिला एटा)—क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन मिडिल पास अध्यापकों के संबंध में क्या निर्णय किया जाने वाला है जोकि पिछले ३ वर्षों से एक वर्ष तक के अस्थायी अध्यापकों के रूप में प्रारम्भिक पाठशालाओं में काम कर रहे हैं जब कि केवल इस वर्ष से कम से कम १० कक्षा पास अध्यापक नियुक्त किये जाने की प्रणाली चल पड़ी है ?

आचार्य जुगलकिशोर—ऐसे अस्थायी अध्यापकों के संबंध में सरकार द्वारा कोई निर्णय करने का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि न्यूनतम योग्यता अध्यापकी हेतु जूनियर हाई स्कूल परीक्षा ही है।

घाटमपुर ब्लाक के प्राइमरी स्कूल

*१८—श्री शिवनाथसिंह (जिला कानपुर)—क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला कानपुर के ब्लाक घाटमपुर पतारा, भीतरगांव में कितनी और कौन-कौन सी प्राइमरी पाठशालायें हैं तथा प्रत्येक पाठशाला में कितने छात्र हैं और कितने मास्टरों की नियुक्ति है?

आचार्य जुगलकिशोर—सूची संलग्न† है।

*१९—श्री शिवनाथसिंह—क्या यह सही है कि उक्त ब्लाकों के अन्तर्गत कुछ ऐसे स्कूल हैं जहां शिक्षक न होने के कारण प्राइमरी पाठशाला के विद्यार्थी वार्षिक परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सके तथा कुछ ऐसे स्कूल हैं जहां अब तक शिक्षक की नियुक्ति नहीं हो सकी है?

आचार्य जुगलकिशोर—जी नहीं।

*२०—श्री शिवनाथसिंह—[२० वें गुरुवार के लिये प्रश्न ७७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

आजमगढ़ जिले में माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों का प्राविडेण्ट फंड

*२१—श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)—क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले के राजकीय अनुदान पाने वाले उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के स्थायी सभी अध्यापकों का Provident Fund के कटने के बारे में जिला विद्यालय निरीक्षक, आजमगढ़ के पास कोई सरकारी आदेश गया है? यदि हां, तो उसका पालन जिले में कहां कहां हो रहा है? यदि नहीं हो रहा है, तो क्यों?

आचार्य जुगलकिशोर—सूचना एकत्र की जा रही है।

*२२—श्री उमाशंकर—क्या शिक्षा मंत्री आदेश का पालन न करने वाले कर्मचारियों को अविलम्ब कोई चेतावनी देंगे और आदेश का पालन करा कर Provident Fund तुरन्त कटवाने की व्यवस्था करेंगे?

आचार्य जुगलकिशोर—सूचना उपलब्ध होने पर आवश्यक कार्यवाही की जायगी।

होरीलाल स्मारक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, भरौली के अध्यापकों का प्राविडेण्ट फंड

*२३—श्री होरीलाल यादव (जिला इटावा), श्री नौनिहालसिंह चौधरी (जिला इलाहाबाद) तथा श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि होरीलाल स्मारक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, भरौली, जिला आजमगढ़ के १३ अध्यापकों का प्राविडेन्ट फंड सन् १९५५ से सरकारी खजाने में जमा नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों? क्या वित्तीय वर्ष १९६१-६२ से वेतन वृद्धि रोकी गई है?

---

†छापी नहीं गई।

*२४—क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त स्कूल के अध्यापकों ने ५ दिसम्बर, १९६१ को उक्त शिकायत को दूर करने के लिये जो प्रार्थना-पत्र उप-शिक्षा संचालक, सप्तम मंडल, गोरखपुर तथा जिला विद्यालय निरीक्षक, आजमगढ़ को दिये उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

आचार्य जुगलकिशोर—सूचना एकत्र की जा रही है ।

खसरा में कैफियत के खाने में कब्जा इन्दराज का अख्तियार

*२५—**श्री महादेव** (जिला फैजाबाद)—क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९५० ई० के मुकाबिले में जून, सन् १९६२ तक जमीन का सरकिल रेट कितने प्रतिशत बढ़ाया गया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—इस प्रदेश में कहीं भी जमीन का सरकिल रेट सन् १९५० से जून, सन् १९६२ के बीच नहीं बढ़ाया गया ।

*२६—**श्री महादेव**—क्या सरकार खसरा के कैफियत के खाने में कब्जा लिखने के अधिकार को लेखपाल से ले लेने की बात सोच रही है ? यदि हां, तो क्या ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी हां । यह प्रश्न विचाराधीन है ।

तुलसीपुर-नचौरा सड़क

*२७—**श्री सुखदेवप्रसाद** (जिला गोंडा) तथा **सरदार बलदेवसिंह** (जिला गोंडा)—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तुलसीपुर, जिला गोंडा के अन्तर्गत पाटन से लालनगर, तुलसीपुर से नचौरा तक सड़क बनने के लिये स्वीकृति द्वितीय योजना में हुई थी ? यदि हां, तो कितनी सड़क बनी है और शेष कब तक बन कर तैयार हो जायेगी ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री गिरधारीलाल)—पाटन से लालनगर तक सड़क बनने की स्वीकृति द्वितीय पंच वर्षीय योजना में नहीं दी गई थी । तुलसीपुर-नचौरा सड़क का निर्माण दो भागों में स्वीकृत हुआ था, १—तुलसीपुर से गंधवा, २—गंधवा से नचौरा । पहिले भाग के दो मील बन चुके हैं और शेष आधे मील की लगभग १ साल में बन जाने की आशा है । दूसरे भाग में सी० सी० ट्रैक बनना स्वीकृत हो चुका है । इसके निर्माण में लगभग तीन साल लगने का अनुमान है ।

*२८—**श्री सुखदेवप्रसाद** तथा **सरदार बलदेवसिंह**—क्या सरकार उपरोक्त सड़क को तृतीय योजना के अन्तर्गत बनाने का विचार कर रही है ?

श्री गिरधारीलाल—तुलसीपुर-नचौरा सड़क बनाई जा रही है । पाटन तथा लालनगर गांव तुलसीपुर-हैरया सड़क पर पड़ते हैं । इस सड़क का निर्माण चीनी मिलों के क्षेत्र में सड़क निर्माण के प्रस्ताव के अन्तर्गत विचाराधीन है ।

गवर्नमेंट हाई स्कूल होस्टल, बस्ती में मेस

*२९—**श्री श्यामलाल** (जिला बस्ती)—क्या सरकार को मालूम है कि गवर्नमेंट हाई स्कूल होस्टल, बस्ती में हरिजन और सवर्ण दो मेसेज चलते हैं और बहुत बड़े पैमाने पर विद्यार्थियों में भेद-भाव बढ़ता जाता है ?

आचार्य जुगलकिशोर—जी हां, दो मेस चलते हैं परन्तु भेदभाव के बढ़ने की कोई शिकायत नहीं है और न कोई संभावना ही प्रतीत होती है ।

*३०—श्री श्यामलाल—यदि यह सही है तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कौन-सा कदम सरकार उठा रही है ?

आचार्य जुगलकिशोर—प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री सुमित्रानन्दन पन्त का जन्म-स्थान

*३१—श्री गयाप्रसाद (जिला वाराणसी)—क्या सरकार को यह पता है कि कौसानी, जिला अल्मोड़ा में कविवर श्री सुमित्रानन्दन पन्त का जन्म जिस मकान में हुआ था उसमें दर्जी की दुकान है और वह मकान बहुत जर्जर अवस्था में है ?

डाक्टर सीताराम—जी हां ।

*३२—श्री गयाप्रसाद—क्या सरकार उस मकान को राष्ट्रीय सम्पत्ति के रूप में लेकर कवि पन्त का सम्मान करेगी ?

डाक्टर सीताराम—अभी ऐसा कोई विचार नहीं है ।

अन्तरिम जिला परिषदों में अध्यापकों की नियुक्ति व स्थानान्तरण

*३३—श्री शान्तिचन्द्र शुक्ल (जिला गोंडा)—क्या सरकार को ज्ञात है कि अन्तरिम जिला परिषदों में अध्यापकों की नियुक्ति तथा स्थानान्तरण आदि करने का अधिकार किसको है ?

आचार्य जुगलकिशोर—क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम के अन्तर्गत अध्यापकों के स्वीकृत पदों पर नियुक्त करने का अधिकार अध्यक्ष को इस प्रतिबन्ध के साथ है कि वे ये नियुक्तियां चुनाव समिति के परामर्श से करें । जहां तक स्थानान्तरण का प्रश्न है क्षेत्र के अन्तर्गत अध्यापकों के स्थानान्तरण का अधिकार क्षेत्र समितियों को तथा क्षेत्र के बाहर उनके स्थानान्तरण का अधिकार अध्यक्ष को इस प्रतिबन्ध के साथ है कि वे उनके स्थानान्तरण शिक्षा अधीक्षक के परामर्श से करें । किन्तु क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम के अन्तर्गत शिक्षा संबंधी नियम न बनने के कारण अभी यू० पी० डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स ऐक्ट, १९२२ के अन्तर्गत बने हुये नियम लागू हैं, जिनके अनुसार अध्यापकों की नियुक्ति एवं स्थानान्तरण अध्यक्ष द्वारा उप-विद्यालय निरीक्षक की राय से किये जाते हैं ।

अर जकीय हायर सेकेण्डरी स्कूलों को अनुदान

*३४—श्री जगन्नाथ चौधरी (जिला बलिया)—क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मान्यता प्राप्त अराजकीय हायर सेकेन्डरी स्कूलों की अनुदान राशि को घटाने-बढ़ाने का आधार संबंधित विद्यालयों के परीक्षाफलों को ही रखा गया है या कुछ और ?

आचार्य जुगलकिशोर—जी नहीं । अनुपालन अनुदान का आगणन शिक्षा संहिता की धारा ३०८ के आधार पर होता है ।

ग्राम समाज पचपुती की सम्पत्ति पर अधिकार

*३५—श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह तथा श्री विजयसिंह—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि क्या ग्राम समाज पचपुती जगतापुर, परगना मनकापुर, तहसील उतरौला जिला गोंडा के चेयरमैन ने कोई शिकायत कई बार और हाल में जिलाधीश गोंडा, हाकिम तहसील, उतरौला तथा तहसीलदार, उतरौला को दिनांक ९ मार्च, १९६२ को की तथा एक रिपोर्ट इसी विषय की थाना मनकापुर में दिनांक २५ फरवरी, १९६२ को इस बात के बारे में की कि ग्राम समाज की संपत्ति जैसे पेड़ इत्यादि या परती जमीन लोगों ने नाजायज तौर पर काट ली या कब्जा कर लिया है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--जी हां। शिकायत के आवेदन-पत्र दिनांक ९-३-६२ वाले को छोड़कर दिये गये।

*३६--**श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह** तथा **श्री विजयसिंह**--यदि हां, तो क्या सरकार, जो शिकायत की गई है उसकी एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी और बतायेगी कि सरकार ने उस संबंध में क्या कार्यवाही की ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--शिकायती पत्रों की प्रतियां मेरे कमरे में इच्छुक सदस्य आकर देख सकते हैं। जिलाधीश ने पुलिस को की हुई रिपोर्ट पर जांच करने के आदेश थानाध्यक्ष को दे दिये हैं। अन्य शिकायतों पर भी जांच हो रही है।

रायबरेली जिले में लेखपाल

*३७--**श्री रतीपाल** (जिला रायबरेली)--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि रायबरेली जिले में कितने लेखपाल इस समय कार्य कर रहे हैं ? उनमें से कितने स्थायी और कितने अस्थायी हैं ? अस्थायी लेखपालों को कितने वर्ष सेवा करते हुये हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--३३० जिनमें से २४५ स्थायी, २ प्रोबेशन पर, ६७ अस्थायी और १६ स्थानापन्न (officiating) हैं। अस्थायी लेखपालों में तीन १९५४ से, नौ १९५५ से, तीस १९५६ से, तेरह १९५७ से, पांच १९५८ से, एक १९५९ से तथा छः १९६१ से कार्य कर रहे हैं।

*३८-४०--**श्री बालोजी अग्रवाल** (जिला आगरा)--[हटा दिये गये।]

पोस्ट ग्रेजुएटों को डिवीजन सुधारने के लिए आगरा विश्वविद्यालय का प्रस्ताव

*४१--**श्री हमीद खां** (जिला कानपुर)--क्या शिक्षा मंत्री को यह जानकारी है कि आगरा विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी ने अप्रैल, १९६२ में एक बैठक में यह निश्चय किया कि किसी भी एम० ए० पास व्यक्ति को अपना डिवीजन (परीक्षा श्रेणी) सुधारने के लिये अपने पूर्व विषय में पुनः परीक्षा देने की अनुमति दी जा सकती है और उपरोक्त प्रस्ताव चांसलर महोदय की स्वीकृति के लिये भेजा गया था ?

आचार्य जुगलकिशोर--आगरा विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी ने मार्च, १९६२ की बैठक में एक समिति तथा एकेडेमिक कौंसिल के निर्णयों को स्वीकार किया। समिति ने अपने निर्णयों में निश्चय किया था कि किसी भी एम० ए० उत्तीर्ण व्यक्ति को, जिसने पहले अपनी एम० ए० परीक्षा तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण की हो, उसको उसी विषय में पुनः एम० ए० परीक्षा देने का एक अवसर दिया जाय जिससे कि वह अपनी श्रेणी को सुधार सके। इस निर्णय को कार्यान्वित करने के लिये विश्वविद्यालय के नियमों में संशोधन की आवश्यकता थी। इस संबंध में आवश्यक संशोधन किये गये हैं जिनको कार्यकारिणी ने स्वीकृत कर लिया है और अब वे संशोधन सीनेट की बैठक में रखे जायेंगे। जब सीनेट उनको स्वीकार कर लेगी, तब वे संशोधन चांसलर महोदय की स्वीकृति के लिये भेजे जायेंगे।

*४२--**श्री हमीद खां**--क्या शिक्षा मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि उपरोक्त प्रस्ताव पर क्या चांसलर महोदय की स्वीकृति मिल चुकी है ? यदि नहीं, तो क्या इस प्रस्ताव से लाभान्वित होने वाले व्यक्तियों के हित को दृष्टि में रखते हुये इस विषय में शीघ्रता की जायेगी जिससे इसका लाभ इसी वर्ष उठाया जा सके ?

आचार्य जुगलकिशोर—अभी तक वे संशोधन चान्सलर महोदय को नहीं भेजे गये हैं, ये संशोधन सीनेट की बैठक में स्वीकृत होने के उपरान्त चान्सलर महोदय को उनकी स्वीकृति के लिये भेजे जायेंगे। अतएव सन् १९६३ की परीक्षा में यह कार्यान्वित नहीं हो सकते।

मुजफ्फरनगर-चरथावल-कादरगढ़ सड़क

*४३—**श्री रियासत हुसैन** (जिला मुरादाबाद)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मुजफ्फरनगर-चरथावल-कादरगढ़ सड़क पक्की हो रही है? वह कब तक पूरी हो जायेगी?

श्री गिरधारीलाल—यह सड़क पक्की बन चुकी है। केवल १-१/२ मील का भाग, जो कि हिन्डन पुल का अप्रोच है, पक्का बनना बाकी है और इसमें मिट्टी का कार्य चल रहा है। यह शेष भाग भी अक्तूबर, १९६३ तक पक्का हो जायगा।

*४४—**श्री रियासत हुसैन**—उक्त सड़क पर चरथावल और कादरगढ़ के बीच हिन्डन नदी पर अनायच के घाट पर जो पक्का पुल बनाया जा रहा है वह कब तक तैयार हो जायेगा और चरथावल व थाना भवन के बीच कृष्णा नदी पर पक्का पुल बनाने के लिये सरकार क्या इस तीसरी योजना में विचार कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री गिरधारीलाल—यह पुल जून, १९६४ तक बन कर तैयार हो जाने की आशा है। चरथावल-थाना भवन मार्ग पर कृष्णा नदी पर पुल का निर्माण तृतीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित है।

*४५—**श्री रियासत हुसैन**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उक्त सड़क मुजफ्फरनगर से चरथावल के लिये जिन किसानों की जमीन ली गई है उनको सरकार मुआवजा देने का विचार रखती है या नहीं और नहीं तो क्यों और रखती है तो कब तक?

श्री गिरधारीलाल—कथित मार्ग के निर्माण के लिये जिन किसानों की भूमि ली गई है उनको मुआवजा दे दिया गया है।

अजीतपुर ग्राम में प्राइमरी पाठशाला की कथित स्वीकृति

*४६—**श्री मतोलासिंह** (जिला बांदा)—क्या शिक्षा मंत्री को पता है कि ग्राम अजीतपुर, ग्राम सभा, सरसवाह, तहसील नरैनी, जिला बांदा को अन्तरिम जिला परिषद् द्वारा प्रधान, श्री गिरधारीलाल जी को सूचना दी गई थी कि प्राइमरी स्कूल मंजूर है और तुरन्त पढ़ाई शुरू कर दी जाय? यदि हां, तो आज तक स्कूल क्यों नहीं खुला जब कि पढ़ने वाले लड़की, लड़कों की संख्या अधिक है तथा अधिकतर बैकवर्ड क्लास के हैं?

आचार्य जुगलकिशोर—अन्तरिम जिला परिषद्, बांदा से कभी भी यह सूचना श्री गिरधरलाल, प्रधान, ग्राम सभा, सरसवाह, को नहीं दी गई कि अजीतपुर ग्राम में प्राइमरी पाठशाला मंजूर है और तुरन्त पढ़ाई शुरू कर दें।

गवर्नमेंट गर्ल्स इण्टर कालेज, मैनपुरी में कुमारी इन्द्रावती सिन्हा द्वारा रंगमंच निर्माण योजना

*४७—**श्री बृजेश्वरसहाय**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी शहर में गवर्नमेंट गर्ल्स इन्टर कालेज में कुमारी इन्द्रावती सिन्हा जो इसी कालेज की अध्यापिका हैं अपने पास से इस विद्यालय में बालिकाओं के लिये कमरा बनवाना चाहती हैं? उनको कमरे बनाने की आज्ञा दी गई है या नहीं? यदि नहीं, तो क्यों?

आचार्य जुगलकिशोर--कुमारी इन्द्रावती सिन्हा कमरा तो नहीं रंगमंच बनवाना चाहती थीं। स्वीकृति देने के पूर्व उनसे इस आशय का एक पत्र मांगा गया था कि वे सार्वजनिक निर्माण विभाग अधिकारियों द्वारा अनुमोदित आंक के अनुसार और उनकी देख-रेख में रंगमंच का निर्माण कराने को तैयार हैं अथवा नहीं। इस विषय में उनसे अभी तक उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

*४८--**श्री बृजेश्वरसहाय**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कुमारी इंद्रावती सिन्हा ने गवर्नमेंट गर्ल्स इन्टर कालेज, मैनपुरी में कोई प्रार्थना-पत्र कमरों के बनाने के संबंध में सरकार की सेवा में भेजा है? यदि हां, तो कब और उस पर क्या कार्यवाही की गई है?

आचार्य जुगलकिशोर--कमरा बनवाने के लिये कोई प्रार्थना-पत्र नहीं दिया था बल्कि रंगमंच बनवाने के लिये २-१-६२ को एक प्रार्थना-पत्र प्रधानाचार्य को दिया था। कार्यवाही प्रश्न संख्या ४७ के उत्तर में बतायी गई है।

अध्यापक दिवस के उपलक्ष्य में "धन संग्रह"

*४९--**श्रीनत्थू सिंह** (जिला इटावा), **श्री रामसुन्दर पांडेय** तथा **श्री होरीलाल यादव**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अभी हाल ही में प्रदेश में मनाया जाने वाला अध्यापक दिवस के सिलसिले में "धन संग्रह" करने की जो योजना चालू की गई थी उसमें कुल कितना रुपया प्रदेश के कोषागारों में जमा हो गया है और कितना वसूल करना बाकी है?

आचार्य जुगलकिशोर--२८ नवम्बर, १९६२ तक ४,४४,९५९ रु० ५८ नये पैसे जमा हुआ है। संभवतः कुछ जिलों में अभी कुछ धन जिलों के मुख्यालयों में जमा नहीं हुआ है। इसकी सूचना एक की जा रही है।

अस्थायी चकबन्दी कर्मचारी

*५०--**श्री जगदम्बाप्रसाद**--क्या सरकार कृपया यह बतलायेगी कि चकबन्दी विभाग में कितने कर्मचारी ५ वर्षों से भी अधिक समय से अस्थायी हैं?

श्री हुकुमसिंह विसेन--सूचना एकत्र की जा रही है।

*५१--**श्री जगदम्बाप्रसाद**--क्या अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी करने की सरकार की कोई योजना है? यदि हां, तो ५ वर्ष से अधिक समय से अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी क्यों नहीं किया गया?

श्री हुकुमसिंह विसेन--चकबन्दी विभाग स्वयं एक अस्थायी विभाग है। अतः इसके कर्मचारियों को स्थायी करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

मद्य निषेध

*५२--**श्री श्यामलाल**--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि प्रदेश में कहां-कहां "मद्य निषेध" का कानून लागू हो चुका है?

डाक्टर सीताराम--प्रदेश में ११ जिलों तथा ३ धार्मिक स्थानों में पूर्ण मद्य निषेध लागू था परन्तु १-१२-१९६२ से सरकार ने मद्य निषेध नीति को पुनर्गठित (reorganised) और संतुलित (rationalised) करके इन स्थानों से मद्य निषेध हटा दिया और इसके स्थान पर अब आबकारी की दूकानें त्योहारों तथा राष्ट्रीय छुट्टियों के अतिरिक्त पूरे प्रदेश में सप्ताह में एक दिन बन्द रहेंगी।

चिल्लूपार परगने में घाघरा का कटाव

*५३--श्री कल्पनार्थसिंह---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर जिले के बांसगांव तहसील के चिल्लूपार परगने में घाघरा से इस वर्ष कितने गांव कट रहे हैं तथा उनको सरकार की ओर से कोई सहायता क्यों नहीं दी गई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---इस वर्ष गोरखपुर जिले के बांसगांव तहसील के चिल्लूपार परगने में घाघरा नदी से सात गांव कट रहे हैं । यह कथन ठीक नहीं है कि सरकार द्वारा इन गांवों को कोई सहायता नहीं दी गई । वास्तव में गृह निर्माण हेतु सहायता के अतिरिक्त खाद्यान्न तथा अन्य सामग्री भी बांटी गई ।

*५४--श्री कल्पनार्थसिंह---क्या सरकार को उपरोक्त जिले के बगहा एवं डरेब गांवों से इस बारे में कोई तार प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---जी नहीं । अतः किसी प्रकार की कार्यवाही करने का कोई प्रश्न नहीं उठता ।

जालौन जिले में उल्का गिरने की कथित घटना

*५५--श्री रामआसरे (जिला बाराबंकी)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या दिनांक २३ सितम्बर, १९२८ के लीडर में जो समाचार छपा था वह सच है कि जिला जालौन, उत्तर प्रदेश के केत नामक गांव के पास प्राणघातक उल्का के गिरने से एक अमीन और उसके सहायक जो खेत नाप रहे थे दोनों व्यक्ति तुरन्त मर गये और तीसरा व्यक्ति सख्त घायल हुआ और पहले व्यक्ति की लाश का पता न चला, धज्जियां तक उड़ गईं और उल्का गिरने का शब्द २० मील तक सुनाई पड़ा तथा उल्का जिसका वजन ५० मन के लगभग था जांच के लिये जिले के प्रधान द्वारा सुरक्षित कर दिया गया था ? यदि हां, तो क्या सरकार ने आज तक वैज्ञानिकों द्वारा खोज कर जांच कराया है कि वह उल्का क्या है ? यदि नहीं जांच कराया, तो क्यों ?

डाक्टर सीताराम---जांच कराने पर किसी भी घटना का पता नहीं चल सका ।

*५६--श्री रामआसरे---क्या सरकार अब जांच कराकर इसकी सूचना सदन की मेज पर रक्खेगी ?

डाक्टर सीताराम---प्रश्न नहीं उठता ।

*५७--श्री रामआसरे---क्या सरकार वैज्ञानिकों द्वारा खोज करायेगी कि रात्रि में जो उल्के, तारे टूटते हुये भूमि पर आकाश से गिरते हैं वह क्यों गिरते हैं, वह कौन-सी चीज है ?

डाक्टर सीताराम---उल्का गिरने के वैज्ञानिक कारण पर वेदशास्त्र में पुस्तकें हैं ।

भूमिधरी संबंधी धन

*५८--श्री विजयसिंह---क्या राजस्व मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि १ जुलाई, १९५२ से १ जुलाई, १९६० तक प्रदेश में कितना रुपया सरकार के खजानों में जमा हुआ है जो भूमिधरी के सम्बन्ध में है और उनकी सनदें जमा करने वाले व्यक्तियों को दी गई हैं ? और क्यों ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---प्रश्न में पूछी गयी सूचना एकत्र की जा रही है । पूर्ण सूचना प्राप्त हो जाने पर उत्तर दे दिया जायगा ।

सार्वजनिक निर्माण विभाग का अस्थायी खंड, मेरठ

*५९—श्री तेजसिंह (जिला मेरठ)—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मेरठ में निर्माण विभाग की ओर से टेम्पोरेरी डिवीजन कब से खुला है और उसमें कितने अधिकारी काम कर रहे हैं और इस विभाग की ओर से ३० सितम्बर, १९६२ तक क्या-क्या निर्माण-कार्य हुये हैं ?

श्री गिरधारीलाल—मेरठ में इस विभाग की ओर से अस्थाई खंड ७-६-६० से खुला है। इस खंड में ५ अधिकारी कार्य कर रहे हैं। एक अधिशासी अभियन्ता एवं चार सहायक अभियंता। इस खंड ने जो कार्य किये हैं या हो रहे हैं उनकी सूची साथ में संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ १०८०-१०८३ पर)

*६०—श्री तेजसिंह—क्या यह सही है कि इसी विभाग का एक सब-डिवीजन दो साल से गाजियाबाद में भी खोला गया है ? यदि हां, तो इस विभाग ने अब तक वहां क्या काम किया ?

श्री गिरधारीलाल—गाजियाबाद में कोई सब-डिवीजन नहीं है परन्तु कार्य को सुचारु रूप से चलाने के लिए एक सहायक अभियन्ता की नियुक्ति वहां पर की गई है ? जिसके निरीक्षण में निम्न कार्य हैं :—

१—राजमार्ग नं० २४, गाजियाबाद से हापुड़ सड़क को ऊंचा व चौड़ा करना।

२—श्रमिकों के भवनों का निर्माण-कार्य, गाजियाबाद।

हैदर नगर ग्राम के हरिजनों की चकबन्दी के विरुद्ध शिकायत

*६१—श्री बंशीधर मिश्र (जिला खीरी) तथा श्री बंकटासिंह (जिला खीरी)—क्या इस सरकार को इस बात की सूचना है कि ग्राम हैदरनगर मजरा खम्भरिया, परगना कस्ता, तहसील मोहम्मदी, जिला खीरी के गरीब हरिजनों ने वहां के जिलाधीश महोदय की सेवा में ऐसा कोई प्रार्थना-पत्र दिया है कि उनके यहां चकबन्दी अधिकारियों के चकबन्दी कार्यक्रम में उनके सार्वजनिक हित में घूर डालने, मुर्दे जलाने, गोचर भूमि तथा पशुओं के खड़े करने आदि के निमित्त भूमि छोड़ने की व्यवस्था नहीं की ? यदि हां, तो उसमें क्या कार्यवाही हुई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—सूचना एकत्र की जा रही है।

*६२—श्री बंशीधर मिश्र तथा श्री बंकटासिंह—क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त ग्राम के लिये चकबन्दी कार्यवाही करने के पूर्व निर्मित चकबन्दी मंत्रणा-समिति में कथित ग्राम का कोई प्रतिनिधि लिया गया अथवा नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—हैदरनगर का कोई व्यक्ति भूमि प्रबन्धक समिति का सदस्य नहीं था अतः चकबन्दी समिति में उस ग्राम का कोई आदमी नहीं चुना जा सका।

भिकियां सैण-चौखुटिया मोटर सड़क की मरम्मत

*६३—श्री खुशीराम (जिला पिठौरागढ़)—क्या सरकार को ज्ञात है कि जिला अल्मोड़ा के इलाका पाली के भिकियां सैण-चौखुटिया मोटर रोड के जैनौला के पास बुरी तरह से टूट जाने से जन समूह की यात्रा बन्द हो गयी है ? तो क्या सरकार उस मार्ग को शीघ्र ठीक कराने की कृपा करेगी ? यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गिरधारीलाल—जी हां। सड़क को ठीक कराने का प्रयत्न किया जा रहा है। आशा है कि माह जनवरी, १९६३ तक सड़क ठीक हो जायेगी।

नेवलट स्कूल, बाराबंकी सेण्टर के छात्रों का रिजल्ट रोकना

*६४—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि हाई स्कूल की परीक्षा में सन् १९६०–६१ में बैठने वाले नेवलट स्कूल, बाराबंकी सेन्टर के कितने छात्रों का रिजल्ट विद हेल्ड किया गया और विद हेल्ड करने के अलग-अलग क्या कारण थे ? क्या सरकार उन छात्रों को परीक्षा में बैठने का इस वर्ष अवसर प्रदान करने जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

आचार्य जुगलकिशोर—सात छात्रों का परीक्षाफल अनुचित साधन प्रयोग के कारण रोका गया । वे १९६३ की हाई स्कूल परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं ।

*६५–६६—कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर १७वें शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये ।]

*६७—श्री छांगुर (जिला आजमगढ़)—[१८वें शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया ।]

मलेथुवा ग्राम समाज की भूमि

*६८—श्री बंशीलाल (जिला इलाहाबाद)—क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मौजा मलेथुवा, परगना मह, तहसील हड़िया, जिला इलाहाबाद में सन् १९५२ में कितने एकड़ ग्राम समाज के पास जमीनें थीं और सन् १९६२ में कितनी रह गई हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—१९५२ में ४५० एकड़ थी । १९६२ में ३८२ एकड़ है ।

*६९—श्री बंशीलाल—क्या राजस्व मंत्री यह बतावेंगे कि जो जमीनें ग्राम समाज की पट्टे पर दी गई हैं, वह किन-किन लोगों को दी गई हैं और क्या यह सही है कि पट्टे उन लोगों को दिये गये हैं जो सवा छः एकड़ के ऊपर के काश्तकार हैं ? क्या वहां के हरिजनों ने जिलाधीश महोदय को प्रार्थना-पत्र दिया था कि जमीनें हम गरीब भूमिहीन हरिजनों को न दे कर बड़े-बड़े काश्तकारों को दी जा रही हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—सूची सम्बद्ध है । यह सही नहीं है कि ग्राम समाज की भूमि ऐसे व्यक्तियों को दी गई जो पहले से ही ६, १/४ एकड़ से ऊपर के काश्तकार थे । वहां के हरिजनों ने जिलाधीश को आवेदन-पत्र दिया था । जांच में आरोप सत्य नहीं पाये गये ।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ १०८४–१०८५ पर)

प्रति उपविद्यालय निरीक्षकों में हरिजन

*७०—श्री बिपिनबिहारी तिवारी—क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत वर्ष लोक सेवा आयोग द्वारा प्रति उप-विद्यालय निरीक्षक के पदों का चुनाव हुआ था ? यदि हां, तो—

(क) कितने पदों का चुनाव हुआ तथा उनमें कितने हरिजन लिये गये ?

(ख) १८ प्रतिशत सुरक्षित स्थानों का ध्यान रक्खा गया अथवा नहीं ?

आचार्य जुगलकिशोर—जी हां ।

(क) ३७१, जिसमें १० हरिजन थे ।

(ख) ध्यान रखा गया था ।

बांदा-कमासिन सड़क निर्माण में मेट को सजा

*७१—श्री मतोलासिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बांदा जिले की सड़क बांदा कमासिन में ४ गेंग काम करती हैं जहां के सब-ओवरसियर द्वारा भरे गये मस्टर-रोल फ़र्जी पकड़े गये हैं जिसे असिस्टेंट इंजीनियर पी० डब्ल्यू० डी० ने करीब एक माह हुआ पकड़ा है ? क्या सरकार बतायेगी कि उस सब-ओवरसियर ने कितने रुपये का गबन किया और सरकार उस पर क्या कार्यवाही करने जा रही है ? अगर नहीं, तो क्यों ?

श्री गिरधारीलाल—बांदा जिले की सड़क बांदा-कमासिन में ४ गेंग नहीं केवल ३ गेंग ही कार्य करते थे । इस सड़क के बांदा-बबेरू मार्ग में फर्जी मस्टर-रोल नहीं पकड़े गये । केवल दो आदमियों की हाजिरी गलत लगाई गई थी । सब-ओवरसियर ने कोई गबन नहीं किया, फिर भी उसको भविष्य में सचेत रहने के आदेश दे दिये गये हैं । जिस मेट ने हाजिरी गलत लगाई थी उसको नौकरी से पृथक् कर दिया गया है ।

विधूना तहसील में महिलाओं के जमींदारी बाण्ड का रुपया

*७२—श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)—क्या सरकार यह बताने कृपा करेगी कि १४ मार्च, १९५७ को २०,९४७ रु० तहसील विधूना, जिला इटावा में जो भूत-पूर्व महिला जमींदारों के बांडों की किस्त व सूद की रकम थी वह सरकारी अधिकारियों ने तहसील-दार विधूना के नाम से अल्प बचत योजना में जमा कर ली थी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी हां ।

*७३—श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल—यदि हां, तो क्या उन महिला बांड होल्डर्स से कोई स्वीकृति ले ली गई थी ? यदि हां, तो वह फरदन-फरदन उन महिलाओं के नाम से जमा न करके तहसीलदार के नाम से क्यों जमा की गई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी नहीं ।

*७४—श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल—क्या यह सच है कि इस ५ साल में उन महिलाओं ने रुपया उठाने की बहुत कोशिश की परन्तु तहसीलदार के नाम जमा होने के कारण उनको रुपया न मिल सका ? यदि हां, तो क्या निकट भविष्य में सरकार यह रुपया उन महिलाओं को दिलवाने की कृपा करेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—यह सच है कि महिलाओं का रुपया अलग न जमा होने के कारण पाने में कठिनाई हो रही है । जिलाधीश से कहा जा रहा है कि इस विषय में उनकी यथा-सम्भव सहायता करें ।

सदरौना ग्राम से चकबन्दी विषयक पत्र

*७५—श्री सुखलाल (जिला लखनऊ)—क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तहसील लखनऊ, परगना बिजनौर के ग्राम सदरौना में लगभग २५० कृषकों ने एक सम्मिलित प्रार्थना-पत्र दिनांक १ अक्तूबर, १९६२ को एस० सी० ओ० को दिया था तथा उनसे प्रार्थना की थी कि उनके ग्राम की जमीन जो चकबन्दी के लायक नहीं है उसका निरीक्षण किसी उच्च अधिकारी द्वारा कराया जाये ? क्या मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि उनके ग्राम की जमीन का निरीक्षण हो चुका है या नहीं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी हां, किन्तु प्रार्थना-पत्र दिनांक १-१०-६२ का नहीं प्रत्युत २९-९-६२ का था, ग्राम की जमीन का निरीक्षण सम्बन्धित चकबन्दी अधिकारी कर चुके हैं ।

*७६--श्री चन्द्रपाल--[हटा दिया गया ।]

*७७--बेगम किश्वर आरा (जिला रामपुर)--[१८वें शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया ।]

*७८-७९--श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)--[१८वें शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये ।]

कानपुर में कथित घूसखोरी

*८०--श्री शिवनाथसिंह--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि शहर कानपुर के अन्तर्गत फरवरी, सन् १९६२ में किसी कलेक्शन नायब तहसीलदार को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया था ? यदि हां, तो उसके विरुद्ध अब तक कौन-सी कार्यवाही की गई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--कानपुर शहर के अन्तर्गत फरवरी, सन् १९६२ में किसी भी कलेक्शन नायब तहसीलदार को रिश्वत लेते गिरफ्तार नहीं किया गया । अतएव कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

*८१-८२--श्री शिवनाथसिंह--[१८वें शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये ।]

लखनऊ जिले में चकबन्दी के अनिर्णीत मुकदमे

*८३--श्री भगौतीदीन (जिला जौनपुर)--क्या सरकार को मालूम है कि A.W.R. १९६२, Page 450, H.C. Section में रिपोर्टेड नजीर गंगासिंह बनाम डिप्टी डाइरेक्टर Consolidation U.P. Lucknow and other के कारण किसानों के हजारों मुकदमे उस वक्त प्रचलित चकबन्दी कानून के मुताबिक बिना फैसले दाखिल दफ्तर हो रहे हैं और किसानों के हकों का फैसला नहीं हुआ और किसानों की भारी क्षति हुई ? यदि हां, तो सरकार उन किसानों के हकों की रक्षा के लिये कौन-सा कदम उठाने की बात सोच रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--सूचना एकत्र की जा रही है ।

प्रधान, थोरवा ग्राम समाज के विरुद्ध शिकायत

*८४--श्री रामसिंह (जिला मैनपुरी) तथा श्री बृजेश्वरसहाय--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम थोरवा, जिला मैनपुरी के प्रधान, श्री गजेन्द्रपालसिंह ने सन् १९६१-६२ में जो जमीन का पट्टा अपनी माता जी बेवा प्रागसिंह के नाम व दो ग्राम समाज के सदस्यों के नाम किया है जो अवैधानिक है उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--सरकार द्वारा इस विषय में कार्यवाही नहीं हो सकती । कार्यवाही धारा १९८ (२) के अन्तर्गत परगनाधीश के न्यायालय में होती है ।

*८५--श्री रामसिंह तथा श्री बृजेश्वरसहाय--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रधान, श्री गजेन्द्रपालसिंह, थोरवा, जिला मैनपुरी ने ग्राम समाज या सभा से बगैर पास कराये शीशम कटवा कर बेच दी है और मछली मारने का ठेका दे दिया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--जी नहीं ।

*८६--श्री रामसिंह तथा श्री बृजेश्वरसहाय--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रधान, श्री गजेन्द्रपालसिंह (थोरवा, जिला मैनपुरी) ने सोनेलाल व हुबलाल जाटव की जमीन पर अपना कब्जा अपने हाथ से लेखपाल के कागजों में फर्जी कर दिया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार इसे ठीक कराने की कृपा करेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--जी नहीं ।

बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों के विद्यार्थियों को सहायता

*८७—श्री कैलाश (जिला देवरिया) तथा श्री बंशीलाल—क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बाढ़ एरिया के छात्रों को कितने महीने की फीस में छूट की सहायता दी गयी है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—विद्यार्थियों को फीस में कोई छूट नहीं दी गई है। परन्तु अपेक्षाकृत अधिक प्रभावित आठ जिलों के उन विद्यार्थियों को जिनके अभिभावकों को बाढ़ से हानि पहुंची है ४–५ महीने के लिये आपद्कालीन छात्रवृत्ति उपलब्ध करने तथा पुस्तकें इत्यादि क्रय करने के लिये सहायता देने को जिलाधीशों को आदेश दिये जा चुके हैं।

*८८–८९—श्री देवीदत्त (जिला नैनीताल)—[१८ वें शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये।]

*९०–९२—श्री केशरीप्रसाद पांडेय—[१८वें शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये।]

*९३—श्री बृजेश्वरसहाय तथा श्री बलवीरसिंह (जिला मैनपुरी)—[१९वें शुक्रवार के लिये प्रश्न संख्या १४४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*९४–९५—श्री राममूर्ति 'अंचल' (जिला शाहजहांपुर)—[१८वें शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये।]

*९६–९७—श्री दयाराम शाक्य—[१८वें शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये।]

*९८–९९—श्री गिरधारीलाल तथा श्री रामलखन वकील (जिला वाराणसी)—[१८ वें शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये।]

राजकीय बालिका इण्टर कालेज, फर्रुखाबाद का भवन

*१००—श्री राजेन्द्रसिंह (जिला एटा)—क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद जिले में राजकीय बालिका इंटर कालेज है वह किसी प्राइवेट बिल्डिंग में है और वह बिल्डिंग इस वर्षा में गिर गयी है ? यदि हां, तो लड़कियों की शिक्षा किस बिल्डिंग में दी जाती है ?

आचार्य जुगलकिशोर—जी हां, कालेज प्राइवेट भवन में है जिसका कुछ भाग १९६१ की वर्षा में गिर गया था। लड़कियों को शिक्षा इसी बिल्डिंग के अन्य कमरों तथा शड इत्यादि में दी जा रही है।

*१०१—श्री राजेन्द्रसिंह—क्या शिक्षा मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि शिक्षा की इस समय व्यवस्था ठीक न होने के कारण लड़कियों का अधिक नुकसान हो रहा है ? क्या सरकार कोई नयी इमारत कालेज हेतु बनाने पर विचार कर रही है ?

आचार्य जुगलकिशोर—उपर्युक्त साधन की कमी के कारण शिक्षण में कुछ कठिनाई अवश्य पड़ रही है।

कालेज के लिये उचित स्थान की प्राप्ति का प्रयत्न विभाग द्वारा किया जा रहा है।

*१०२—श्री बंशीलाल—[१८ वें शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया।]

*१०३—श्री शान्तिचन्द्र शुक्ल—[१८वें शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया।]

गोंडा जिल में जोत सीमा निर्धारण से प्राप्त होने वाली भूमि

*१०४—श्री शान्तिचन्द्र शुक्ल—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जोत सीमा निर्धारण में गोंडा जिले में किस तहसील से कितनी भूमि प्राप्त होगी और प्राप्त भूमि का उपयोग किस प्रकार किया जायगा?

श्री हुकुमसिंह विसेन—इसके विषय में कोई विश्वसनीय अनुमान देना सम्भव नहीं। जो अतिरिक्त भूमि प्राप्त होगी उसका उपयोग जोत सीमा निर्धारण अधिनियम की धारा २४ से २७ तथा उसके अन्तर्गत बनाये नियमों के अनुसार किया जावेगा।

बरेली–भुता सड़क

*१०५—श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—क्या सरकार को ज्ञात है कि बरेली भुता रोड को जिला परिषद, बरेली ने सरकार को देने का प्रस्ताव पास कर दिया है? यदि हां, तो सरकार इसको कब तक अपने हाथ में ले रही है?

श्री गिरधारीलाल—ऐसे प्रस्ताव की सरकार को कोई सूचना नहीं है। सरकार के लिये इस सड़क को इस समय अपने हाथ में लेना सम्भव नहीं है।

*१०६—श्री हरीशकुमार गंगवार—क्या सरकार बरेली-भुता रोड को पक्का कराने की व्यवस्था करेगी?

श्री गिरधारीलाल—इस योजनाकाल में यह सम्भव नहीं है।

रायबरेली जिले में चकबन्दी अधिकारी क्षेत्र

*१०७—श्री रतीपाल—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि रायबरेली जिले में रायबरेली तहसील के अन्तर्गत किन-किन स्थानों पर चकबन्दी कार्यालय खोले गये हैं और इस विभाग में कितने व्यक्ति उपर्युक्त स्थानों पर कार्य कर रहे हैं?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जिला रायबरेली की तहसील रायबरेली में केवल दो चकबन्दी अधिकारी क्षेत्र स्थापित किये हैं, जिनमें से प्रत्येक के अन्तर्गत पांच-पांच सहायक चकबन्दी अधिकारी क्षेत्र हैं। ग्रामों के नाम जहां कार्यालय स्थित हैं तथा इन क्षेत्रों में कार्य करन वाले कर्मचारियों की संख्या के संबंध में तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ १०८६ पर)

*१०८—श्री रतीपाल—क्या सरकार बतायेगी कि रायबरेली तहसील में अब तक कितनी भूमि पर चकबन्दी लागू हो चुकी है?

श्री हुकुमसिंह विसेन—रायबरेली तहसील में अब तक केवल १३९ ग्राम चकबन्दी योजना के अन्तर्गत लिये गये हैं। इनका क्षेत्रफल १,११,४४६ एकड़ है।

वाराणसी जिले के लिए चकबन्दी योजना

*१०९—श्री रामलखन वकील—क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जिले में चकबन्दी योजना कब से चालू करने का विचार है तथा पहले किस तहसील में यह योजना चालू की जायगी?

श्री हुकुमसिंह विसेन--वाराणसी जिले में चकबन्दी योजना वित्तीय वर्ष १९६३-६४ में प्रारम्भ किये जाने की सम्भावना है। पहले किस तहसील में योजना चालू होगी इस विषय में कुछ निश्चय नहीं हुआ है।

*११०--श्री रामलखन वकील--क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि अब तक वाराणसी जिले में चकबन्दी योजना चालू न करने का क्या कारण है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--धनाभाव तथा प्रशासकीय कठिनाइयों के कारण ऐसा नहीं किया जा सका।

*१११-११२--श्री विजयपालसिंह (जिला मुजफ्फरनगर)--[१८वें शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये।]

*११३-११४--श्री देवेन्द्रसिंह (जिला नैनीताल)--[१८वें शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये।]

*११५-११७--श्रीमती विनयलक्ष्मी सुमन (जिला टेहरी-गढ़वाल)--[१८ वें शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये।]

प्रतापगढ़ जिले में प्रशिक्षण शिविर

*११८--श्री श्रीराम तिवारी (जिला उन्नाव)--क्या सरकार को पता है कि मीरा भवन, प्रतापगढ़ में उत्तर प्रदेश के अन्तरिम जिला परिषदों के सीनियर बेसिक विद्यालयों के अध्यापकों का एक प्रशिक्षण शिविर विगत कई मास से चल रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस केन्द्र में प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापकों के वेतन अथवा महंगाई भत्ते में कोई वृद्धि करेगी ?

आचार्य जुगलकिशोर--प्रश्नगत शिविर मार्च, १९६२ में समाप्त हो गया। प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले अध्यापकों के वेतन व महंगाई भत्ते में वृद्धि का कोई प्रश्न नहीं है। कारण यह कि यह योजना अध्यापकों को शिक्षा जगत के नये विचारों से परिचित कराने के लिये थी जिससे कार्य क्षमता बढ़े।

*११९--श्री श्रीराम तिवारी--क्या सरकार इस शिविर में भाग लेने वाले अध्यापकों को प्रशिक्षणकाल में आवास एवं भोजन व्यय आदि के लिये कोई भत्ता देती है ?

आचार्य जुगलकिशोर--जी नहीं।
कोई ऐसा भत्ता देय नहीं था क्योंकि उनको वेतन मिलता था।

*१२०--श्री दौलतलाल (जिला आजमगढ़), श्री भीमाप्रसाद (जिला आजमगढ़) तथा श्री रामसुन्दर पांडेय--[हटा दिया गया।]

*१२१--श्री दौलतलाल, श्री भीमाप्रसाद तथा श्री रामसुन्दर पांडेय--[१८वें शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया।]

*१२२-१२३--श्री भीमाप्रसाद, श्री दौलतलाल तथा श्री रामसुन्दर पांडेय--[१८ वें शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये।]

*१२४-१२६--श्री रामसुन्दर पांडेय, श्री भीमाप्रसाद तथा श्री सत्यदेव (जिला आजमगढ़)--[१८ वें शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये।]

*१२७--श्री रतीपाल--[१८ वें शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया।]

अतारांकित प्रश्न

प्रधान, ग्राम सभा, पतनई के विरुद्ध शिकायत

१—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या राजस्व मंत्री दिनांक १४ सितम्बर, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या ३ के उत्तर के क्रम में बताने की कृपा करेंगे कि जिला नियोजन अधिकारी, आजमगढ़ की जांच कब तक समाप्त हो जायेगी और यदि हो गयी है, तो उनकी रिपोर्ट क्या है ?

२—क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसीलदार घोसी द्वारा किन-किन मदों में व्यय तथा कार्यवाहियों में अनियमिततायें पायी गयी हैं और १,०२३ रु० किन-किन मदों में किये गये अपव्यय तथा अनियमितता संबंधी रुपया है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—सूचना एकत्र की जा रही है।

इण्टरमीडियेट कालेज, मलप, जिला बलिया के अध्यापकों को सेवा मुक्ति नोटिस

३—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहायता प्राप्त इंटरमीडियेट कालेज, मलप, जिला बलिया के कुछ अध्यापकों को मई, सन् १९६० में सेवा मुक्ति की नोटिस दी गयी थी और उस वक्त जिला विद्यालय निरीक्षक, बलिया उक्त स्कूल के रिसीवर थे ? यदि हां, तो अप्रैल में सेवा मुक्ति की नोटिस न देने का कारण क्या था ?

आचार्य जुगलकिशोर—जी हां। नियुक्ति अस्थायी व सीमित समय के लिये थी इसलिये अप्रैल में नोटिस देने की आवश्यकता नहीं थी।

४—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सेवामुक्त अध्यापकों ने २२ अक्तूबर, १९६०, ७ नवम्बर, १९६०, १ दिसम्बर, १९६०, २३ दिसम्बर, १९६०, २८ दिसम्बर, १९६०, १८ जनवरी, १९६१, ६ फरवरी, १९६१ और ९ मार्च, १९६१ को जिला विद्यालय निरीक्षक तथा रिसीवर, जिला बलिया को आवेदन-पत्र और स्मृति-पत्र दिये ? यदि हां, तो अब तक किसी प्रकार की कार्यवाही न करने का कारण क्या है ?

आचार्य जुगलकिशोर—जी हां। ये सभी आवेदन-पत्र केवल एक अध्यापक श्री शिवशंकर श्रीवास्तव के थे। इन पर कार्यवाही की जा चुकी है।

आगरा विश्वविद्यालय कमीशन की रिपोर्ट

५—श्री ऊदल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आगरा विश्वविद्यालय के संबंध में १९६१ के पहले जो जांच कमीशन नियुक्त हुआ था क्या उसकी रिपोर्ट सरकार को प्राप्त हो गयी है ? यदि हां, तो किन-किन विषयों की जांच कमीशन ने की और क्या क्या गड़बड़ियां पायी गयीं ? क्या उस जांच में यह भी था कि २५० अयोग्य अध्यापकों को वाइस-चांसलर ने योग्य घोषित किया था ?

आचार्य जुगलकिशोर—जी हां।

आयोग की रिपोर्ट अभी गोपनीय है। अतः अभी कुछ बताना सम्भव नहीं।

वाराणसी जिले में उर्दू स्कूल

६—श्री ऊदल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वाराणसी जिले में कहां कहां इस्लामिया उर्दू स्कूल और अन्य उर्दू स्कूल सरकार द्वारा चलाये जा रहे हैं ?

आचार्य जुगलकिशोर—प्रश्नगत स्कूल सरकार द्वारा संचालित नहीं है। अंतरिम जिला परिषद, वाराणसी द्वारा जो इस्लामियां (उर्दू) स्कूल व अन्य सहायता प्राप्त उर्दू स्कूल मकतब के रूप में चल रहे हैं, उनकी तालिका संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ १०८७ पर)

७—श्री ऊदल—क्या सरकार बरही नेवादा, ताड़ी व धौंकलगंज, दानपुर व कूड़ी, कुसुमुरा आदि तीनों स्थानों में जहां सैकड़ों की तादाद में लड़के तथा लड़कियां उर्दू पढ़ने वाले हैं, उर्दू स्कूल खोलने पर विचार करेगी ?

आचार्य जुगलकिशोर—सरकार द्वारा प्रश्नगत स्कूल नहीं खोले जाते वरन् स्थानीय निकायों द्वारा खोले जाते हैं। अन्तरिम जिला परिषद् से ज्ञात हुआ है कि प्रश्न में उल्लिखित स्थानों पर उर्दू पढ़ने वाले बच्चों की संख्या इतनी नहीं है कि पृथक उर्दू स्कूल खुल सकें किन्तु वहां के प्राइमरी स्कूलों के प्रधानाचार्यों को परिषद् द्वारा आदेश दिया जा चुका है कि उर्दू पढ़ने वाले छात्रों की निर्धारित संख्या हो जाने पर उर्दू पढ़ाने की व्यवस्था कर दी जाय। साथ ही उर्दू जानने वाले अध्यापकों का भी वहां प्रबन्ध कर दिया गया है।

गाजीपुर जिले में अप्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति

८—श्री राजनाथसिंह (जिला गाजीपुर)—क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत गाजीपुर जनपद में कितने अप्रशिक्षित अध्यापकों को रखने का प्राविधान है, किन-किन वर्षों में कितने रखे जायेंगे ? इन की संख्या किस फारमूले के आधार पर निर्धारित की जायगी ?

आचार्य जुगलकिशोर—तृतीय पंचवर्षीय आयोजना की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत गाजीपुर जनपद में अब तक २३५ अप्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति की स्वीकृति दी गई है। आगामी वर्षों के लिये उक्त अध्यापकों की संख्या निर्धारित नहीं है। यह संख्या किसी विशेष फारमूले के अनुसार नहीं वरन् अध्यापकों की आवश्यकता, दीक्षित अध्यापकों की उपलब्धि तथा सरकारी आय-व्ययक के प्राविधान पर निर्भर रहती है।

बुलन्दशहर जिले में कृषि आय-कर का बकाया

९—श्री हिम्मतसिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बुलन्दशहर में कितने लोगों पर और किस किस पर कितना कितना कृषि आय-कर आज तक बाकी है और उनके खिलाफ सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—वांछित सूचना एकत्र की जा रही है।

वाराणसी–सेवापुरी–भदोही सड़क

१०—श्री गयाप्रसाद—क्या सरकार को ज्ञात है कि वाराणसी से सेवापुरी होते हुये भदोही जाने वाली सड़क पर कबसेठी के पास ३ मील सड़क पक्की न होने के कारण वह सारी सड़क बेकार पड़ी है ? यदि हां, तो क्या सरकार बताने का कष्ट करेगी कि वह तीन मील सड़क क्यों नहीं बनायी जा रही है ? यदि बनायी जा सकती है, तो कब तक?

श्री गिरधारीलाल—इस सड़क का निर्माण भी अब सरकार द्वारा स्वीकृत किया जा चुका है। आगणन तथा भूमि प्राप्ति संबंधी कार्यवाही के पश्चात् कार्य किया जायेगा। आशा है कि लगभग ४ वर्ष में कार्य पूरा हो जायेगा।

मुहम्मदाबाद गोहना तहसील में लेखपाल मिश्रीलाल के विरुद्ध शिकायतें

११—श्री सुरजनराम विशारद—क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम पियरोपुर, ढकवा, तहसील मुहम्मदाबाद गोहना, जिला आजमगढ़ के लेखपाल श्री मिश्रीलाल के विरुद्ध दिनांक २२ मार्च, १९५७, १७ अगस्त, १९६१, २९ अप्रैल, १९६१, २० नवम्बर, १९६१, २७ जनवरी, १९६२, १२ फरवरी, १९६२, ४ अगस्त, १९६२, ६ मई, १९६१, १५ जून, १९६१, २० जुलाई, १९६१, २९ जुलाई, १९६१, ११ मई, १९६१, २९ सितम्बर, १९६१, २७ फरवरी, १९६२, २४ जनवरी, १९६२, १७ मार्च, १९६२, ५ मार्च, १९६२, ५ जनवरी, १९६२, २ जून, १९६२, १६ जून, १९६२ को उपरोक्त गांव के व्यक्तियों ने जिले के उच्चाधिकारियों को कोई

आवेदन-पत्र दिया है ? यदि हां, तो आवेदन-पत्र देने का क्या कारण है और उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—प्रश्न में निर्दिष्ट दिनांकों में से केवल १६-६-६२ का एक आवेदन-पत्र तथा इसके अतिरिक्त, दिनांक १३-९-६१, २६-१०-६१, २४-११-६१, २५-११-६१, ७-१२-६१, २५-१-६२, ५-२-६२ तथा २६-३-६२ को भी सम्बन्धित लेखपाल के विरुद्ध १३६६ फसली के खसरे के कुछ खेतों के इन्दराज के संबंध में आवेदन-पत्र प्राप्त हुए थे। जांच के पश्चात् आवेदकों को न्यायालय से मामले का निर्णय करा लेने की राय दी गयी।

हाटा तहसील में सड़क निर्माण

१२—**श्री बांकेलाल** (जिला देवरिया)—क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले में हाटा तहसील में स्टार ग्रिड फार्मूले के अन्तर्गत प्रथम द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कितने मील सड़कें बनायी गयीं ?

श्री गिरधारीलाल—स्टार एन्ड ग्रिड फारमूला तहसीलवार नहीं बनाया जाता है बल्कि जिलेवार बनाया जाता है। हाटा तहसील में प्रथम तथा द्वितीय योजना में ५९ मील सड़कें बनाई गई हैं।

१३—**श्री बांकेलाल**—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में उपरोक्त तहसील में कितनी लम्बी सड़कें उपरोक्त फार्मूले के अनुसार कहां से कहां तक बनायी जायेंगी ?

श्री गिरधारीलाल—तीसरी पंचवर्षीय योजना में २६ मील ५ फर्लांग सी० सी० ट्रैक तथा १२ मील ४ फर्लांग पेन्टेड रोड की सड़कें गन्ना मिलों के क्षेत्रों में बनायी जायेंगी। इसके अतिरिक्त ८ मील सड़कें Man Power Utilization Scheme के अन्तर्गत बनाने का प्रस्ताव है।

देवरिया जिले से टेस्ट वर्क की मांग

१४—**श्री बांकेलाल**—क्या माल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले की बाढ़ एरिया में इस वर्ष रबी और भदई की फसलें खराब हो गई हैं और उस एरिया में खास कर हाटा, सलेमपुर तहसीलों में टेस्ट वर्क चलाने की मांग की गयी है ? यदि हां, तो सरकार उस पर कौन सी कार्यवाही कर रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—इस वर्ष देवरिया जिले के बाढ़-ग्रस्त क्षेत्रों में धान की दोनों फसलें, मक्का, गन्ना आदि भदई की फ़सलों को क्षति पहुंची। रबी की फसल की क्षति के सम्बन्ध में अभी कोई विवरण दे सकना सम्भव नहीं है। जिले के विभिन्न भागों से टेस्ट वर्क चलाने के लिये आई हुई मांगों पर जिला बाढ़ समिति द्वारा विचार किया गया तदनुसार मैन पावर मोबिलाइजेशन योजना के अन्तर्गत बनाई गई कुछ योजनाओं को पंचायतों के माध्यम से क्षतिग्रस्त क्षेत्रों में प्रारम्भ किया जा रहा है।

राजकीय बालिका जूनियर हाई स्कूल, सण्डीला

१५—**श्री मोहनलाल वर्मा** (जिला हरदोई)—क्या सरकार राजकीय जूनियर स्कूल, सण्डीला फार गर्ल्स (हरदोई) को हायर सेकेन्डरी स्कूल में परिणत करने का कष्ट करेगी क्योंकि हरदोई जिले भर में कोई हायर सेकेन्डरी स्कूल लड़कियों का राज्य की ओर से नहीं चल रहा है ?

आचार्य जुगलकिशोर—राजकीय बालिका जूनियर हाई स्कूल, सन्डीला, जिला हरदोई को तृतीय पंचवर्षीय योजनाकाल में हाई स्कूल स्तर पर उच्चीकरण करने हेतु अन्य संस्थाओं के साथ विचार किया गया था परन्तु उसका उच्चीकरण करना सम्भव न हो सका।

बस्ती जिले में लेखपालों के विरुद्ध कार्यवाही

१६—श्री श्यामलाल—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी गत तीन वर्षों में १९५९, १९६०, १९६१ में बस्ती जिले में कुल अलग-अलग कितने लेखपालों के विरुद्ध आरोप थे और कितनों को सजा हुई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—सूचना सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ १०८८ पर)

१७—श्री श्यामलाल—क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि जिला बस्ती, थाना रुधौली, मुकाम घोसियारी बाजार के लेखपाल को पुलिस ने कुछ दिन पूर्व गिरफ्तार किया था, तो आरोप क्या थे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—सम्बन्धित लेखपाल को गिरफ्तार नहीं किया गया।

राजकीय रचनात्मक प्रशिक्षण विद्यालय, लखनऊ के अध्यापक

१८—श्री श्यामलाल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राजकीय रचनात्मक प्रशिक्षण विद्यालय, लखनऊ में कितने ऐसे प्रध्यापक हैं जो ३ वर्ष से अधिक कार्य करने के बाद भी स्थायी नहीं किये गये ? सरकार उन्हें स्थायी कब कर रही है ?

आचार्य जुगलकिशोर—इस प्रकार के अध्यापकों की संख्या ७ है। कालेज में प्राध्यापकों के सभी पद अस्थाई हैं। इसलिये उन पदों पर नियुक्त प्राध्यापकों के स्थायीकरण का प्रश्न नहीं उठता।

१९—श्री श्यामलाल—क्या शिक्षा मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि दो वर्ष की ट्रेनिंग करने पर उन्हें वरीयता क्यों नहीं दी जाती ? भविष्य में सरकार क्या इस पर ध्यान न देगी ?

आचार्य जुगलकिशोर—किसी भी श्रेणी के प्रशिक्षित अध्यापकों की सेवा नियमावली अभी नहीं बनी है। किस विद्यालय से प्रशिक्षित अभ्यर्थी को किस सेवा में नियुक्त करते समय वरीयता दी जा सकती है यह लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श के उपरान्त ही निश्चित किया जा सकता है। शासन इस विषय में कोई आश्वासन नहीं दे सकता।

नरवल-गजनेर कच्ची सड़क

२०—श्री रामकिशोर वर्मा—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर जिलान्तर्गत नर्वल, गजनेर-वाया-घाटमपुर खामा सड़क को तृतीय पंचवर्षीय योजना में पुख्ता बनाने का निर्णय लिया है ? यदि हां, तो यह सड़क कितने दिनों में पोख्ता हो सकेगी ?

श्री गिरधारीलाल—जी नहीं।

झांसी जिले में वर्षापीड़ितों को वितरित धन का लेखा-जोखा

२१—श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—क्या सरकार यह बतावेगी कि सन् १९६०-६१ में झांसी जिले की किन-किन तहसीलों में अतिवृष्टि से क्षति पहुंची थी और वहां की पीड़ित जनता की सहायतार्थ उसने वहां की जिला कांग्रेस कमेटी को कितना रुपया कब भेजा था ?

२२—क्या सरकार बतलावेगी कि उस रकम में कितना-कितना रुपया किस-किस तहसील में बांटा गया व कितना रुपया बचा और जो रुपया बचा वह क्या उसको वापस मिल गया ? यदि नहीं, तो क्यों तथा वह कहां जमा है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—वांछित सूचना एकत्र की जा रही है।

२३—श्री जगदम्बाप्रसाद—[हटा दिया गया।]

जैतपुर-नौगांव सड़क का निर्माण रुकना

२४—श्री मोहनलाल अहिरवार (जिला हमीरपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि हमीरपुर जिले में जैतपुर-नोगांव सड़क के निर्माण के लिए इस वर्ष के बजट में provision किया गया है? यदि हां, तो निर्माण कार्य अभी तक क्यों शुरू नहीं किया गया?

श्री गिरधारीलाल—जी हां। इस सड़क के लिये इस वर्ष के बजट में १ लाख रुपये का प्रोवीजन किया गया था किन्तु स्थानीय परिषद् तथा जनता के अनुरोध पर इस सड़क को योजना से हटा कर वेतवा नदी के पुल का निर्माण सम्मिलित कर लिया गया है। अतः जैतपुर-नौगांव सड़क पर निर्माण कार्य आरम्भ करने का, इस समय, कोई प्रश्न नहीं उठता।

२५—श्री मोहनलाल अहिरवार—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि हमीरपुर में महोबा-राठ-मुसकरा रोड पर भरवारा के नाले पर पुल व वर्मा नदी पर घतेसर नदी पर पुल से यातायात कब से चालू किया जायेगा?

श्री गिरधारीलाल—आशा है कि यह पुल दिसम्बर, १९६३ तक चालू हो जायेंगे।

गौराजामो व जगदीशपुर क्षेत्रों की सड़कें

२६—कुंवर रुद्रप्रतापसिंह (जिला सुल्तानपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद सुल्तानपुर के विधान सभा क्षेत्र गौरा जामो में कुल कितनी सड़कें हैं? उनमें कौन-कौन-सी जिला परिषद् तथा कौन-कौन सी सार्वजनिक निर्माण विभाग से सम्बन्धित हैं?

श्री गिरधारीलाल—उक्त क्षेत्र में कुल ९५ मील लम्बी सड़कें हैं जिसमें से निम्नांकित २५ मील लम्बी सड़कें सार्वजनिक निर्माण विभाग के अन्तर्गत हैं:—

	मील
१—गौरीगंज-मानमतीपुर	७
२—रायबरेली-सुल्तानपुर	१२
३—लखनऊ-सुल्तानपुर	६

शेष ७० मील सड़क अन्तरिम जिला परिषद् के अधीन हैं जिसका विवरण उपलब्ध नहीं है।

२७—कुंवर रुद्रप्रतापसिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद सुल्तानपुर के विधान सभा क्षेत्र से जगदीशपुर में कुल कितनी सड़कें हैं? उनमें कौन-कौन-सी जिला परिषद् तथा कौन-कौन सी सार्वजनिक निर्माण विभाग से सम्बन्धित हैं?

श्री गिरधारीलाल—उक्त क्षेत्र में कुल ३९ मील लम्बी निम्नांकित पक्की सड़कें सार्वजनिक निर्माण विभाग के अन्तर्गत हैं:—

	मील
१—लखनऊ-सुल्तानपुर	१९
२—फैजाबाद-रायबरेली	२०

अन्तरिम जिला परिषद् की सड़कों की सूची उपलब्ध नहीं है।

२८—कुंवर रुद्रप्रतापसिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में उपरोक्त दोनों विधान सभा क्षेत्रों की कौन-कौन-सी सड़कें सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा पूर्ण होंगी? उनमें से कौन-कौन-सी सड़कें १९६३-६४ के बजट में ली जायंगी? यदि कोई नहीं, तो क्यों?

श्री गिरधारीलाल—तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जामों विधान सभा क्षेत्र में मानमतीपुर–गौरीगंज सड़क पर कार्य हो रहा है। दूसरे क्षेत्र की कोई सड़क नहीं बनाई जायेगी जब तक १९६३–६४ का बजट विधान मण्डल द्वारा पारित नहीं हो जाता तब तक यह बताना सम्भव नहीं है कि उसमें कौन-कौन से कार्य लिये जावेंगे।

अलीगढ़ जिले में कुम्हारों को मिट्टी की दिक्कत

२९—**श्री बाबूसिंह** (जिला अलीगढ़)—क्या सरकार बतायेगी कि अलीगढ़ जिला में चकबन्दी होने वाले गांवों में कुम्हारों के मिट्टी खोदने के गढ़े या जमीन ग्राम सभा ने ले ली और अब वह लोग मिट्टी के लिये परेशान हैं और उनकी रोजी बन्द है इससे उस पूरे वर्ग में असन्तोष है? क्या सरकार उनकी रोजी को कायम रखने के लिए उनको उनकी सदियों की इस्तेमाल की जमीन को दिलायेगी? यदि हां, तो कब तक?

श्री हुकुमसिंह विसेन—चकबन्दी अधिनियम की धारा ३ (२) के अनुसार गड्ढे व पोखर चकबन्दी के अन्तर्गत नहीं आते और ये स्थान जमींदारी उन्मूलन के समय से ही गांव समाज में निहित हैं। जिला अलीगढ़ की जिन तहसीलों में चकबन्दी हो चुकी है अथवा हो रही है वहां से इस सम्बन्ध में कोई शिकायत नहीं मिली है और न वहां ऐसा कोई असन्तोष ही है।

गाजीपुर जिले में राजवाड़ी पुल सड़क निर्माण योजना

३०—**श्री कमलासिंह यादव**—क्या सरकार दिनांक ५ अक्तूबर, १९६२ की कार्य-सूची की नत्थी "ख" के प्रश्न संख्या १४, १५ व १६ के उत्तर के क्रम में बतायेगी कि पूर्ण उत्तर मय प्लान एस्टिमेट तथा जांच की रिपोर्ट मय प्लान (Map) के सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी?

श्री गिरधारीलाल—कथित प्लान और एस्टीमेट तैयार हो चुके हैं, जिस पर केन्द्रीय सरकार की अभी स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है, जब तक यह स्वीकृति प्राप्त न हो जावे, तब तक उनको सदन की मेज पर रखना उचित नहीं है। भूमि सम्बन्धी कागजात अभी तैयार किये जा रहे हैं।

मुरादाबाद जिला परिषद् के अध्यापकों का वेतन

३१—**श्री रियासत हुसैन**—क्या सरकार बतायेगी कि जिला मुरादाबाद में प्राइमरी अध्यापकों का इन्क्रीमेंट अप्रैल, सन् १९६० से मार्च, सन् १९६१ तक का अभी तक नहीं मिला? इसका क्या कारण है और कुल कितनी रकम है?

आचार्य जुगलकिशोर—अन्तरिम जिला परिषद् के केवल ३१ अध्यापकों को छोड़कर बाकी सब अध्यापकों का प्रश्नगत इन्क्रीमेंट यथासमय मिलता रहा है।

उक्त ३१ अध्यापकों में से कुछ लम्बी छुट्टी पर थे और कुछ की वार्षिक उन्नति परिषद् के कार्यालय की असावधानी से ठीक समय पर नहीं लग पाई।

उन्हें उक्त अवधि का करीब ४,००० रु० मिलना है।

३२—**श्री रियासत हुसैन**—क्या सरकार को मालूम है कि जिला मुरादाबाद के प्राइमरी अध्यापकों की १ रुपया सालाना जो तरक्की होती है वह वक्त पर नहीं लगायी जाती और आमतौर से ३–४ माह बाद लगायी जाती है? इस देर होने का क्या कारण है?

आचार्य जुगलकिशोर—लगभग सभी अध्यापकों की वार्षिक उन्नति यथासमय लगा दी जाती है। कुछ ही अध्यापक ऐसे होते हैं जिनकी वार्षिक उन्नति, लम्बी छुट्टी या अवैतनिक अवकाश पर होने के कारण, समय पर नहीं लग पाती है।

३३—श्री रियासत हुसैन—क्या शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि जिला मुरादाबाद में कुछ प्राइमरी अध्यापकों को जो कि सन् १९५५ के हैं अभी तक प्रधान अध्यापक का चांस नहीं मिला जब कि सन् १९५६-५७ के अध्यापक सब प्रधान अध्यापक हो गये और कुछ सन् १९५८ के भी प्रधान अध्यापक हो गये ? इसका क्या कारण है ?

आचार्य जुगलकिशोर—सन् १९५५ के ७ और सन् १९५६ के केवल ५ सहायक अध्यापक ऐसे हैं जिन्होंने निम्न कारणों से स्वयं प्रधान अध्यापक के पद पर जाना पसन्द नहीं किया :—

(१) उन्होंने प्राइमरी स्कूलों में अंग्रेजी अध्यापक बनना इस आशा में पसन्द किया कि कदाचित् इस पद पर कुछ अतिरिक्त भत्ता मिले।

(२) उन्होंने प्रधानाध्यापक पद के लिए घर से दूर जाना पसन्द नहीं किया।

श्री दुर्गा जी डिग्री कालेज, चंडेसर में राजनीतिक पीड़ितों के आश्रित विद्यार्थी

३४—श्री झिलमिटराम (जिला गाजीपुर)—क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि श्री दुर्गा जी डिग्री कालेज, चंडेसर (आजमगढ़) में शिक्षा सत्र जुलाई, १९५९ से जून, १९६० में राजनीतिक पीड़ित व्यक्तियों के आश्रित विद्यार्थियों में कुल कितने विद्यार्थियों को राजनीतिक पीड़ित छात्रवृत्ति स्वीकृत की गयी ? क्या उन स्वीकृत विद्यार्थियों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

आचार्य जुगलकिशोर—सूचना एकत्र की जा रही है।

३५—श्री झिलमिटराम—क्या शिक्षा मंत्री यह भी बतलाने की कृपा करेंगे कि उन स्वीकृत विद्यार्थियों में कितने विद्यार्थियों को उक्त छात्रवृत्ति पूरे समय की दी जा चुकी है तथा कितने विद्यार्थियों को अभी तक नहीं प्राप्त है ? क्या न पाने वाले विद्यार्थियों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

आचार्य जुगलकिशोर—सूचना एकत्र की जा रही है।

फतेहपुर जिले के कलेक्शन विभाग में अछूत अमीन

३६—श्री रघुवीरसहाय कैथवार (जिला फतेहपुर)—क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला फतेहपुर के कलेक्शन विभाग में कुल कितने अमीन हैं और उनमें से कितने अछूत वर्ग के अमीन हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जिला फतेहपुर में ६० स्थायी तथा २७ साल भर के लिए क्लेक्शन अमीन हैं। उनमें से ३ अछूत वर्ग के अमीन हैं। इसके अतिरिक्त ३१ सीजनल अमीन हैं जिनमें तीन अछूत वर्ग के हैं।

३७-३८—श्री बृजेश्वरसहाय तथा श्री बलवीरसिंह—[१८ वें शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये।]

जिलाधीश बुलन्दशहर के बंगले के लिए नलकूप

३९—श्री हिम्मतसिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला बुलन्दशहर में जिलाधीश के बंगले में एक ट्यूबवेल लगाने की योजना है ? यदि हां, तो यह कब तक लग जायगा और उसकी क्या लागत होगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी हां, इस संबंध में जिलाधीश बुलन्दशहर से कुछ पूछ ताछ की गई है। इस कार्य की लागत अनुमानतः ३,००० रुपये होगी।

४०—श्री दयाराम शाक्य—[१८ वें शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया।]

४१—श्री मतोलासिंह—[१८ वें शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया।]

४२-४३—श्री दीपनारायणसिंह—[१८ वें शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये।]

चायल तथा सोरांव तहसील में चकबन्दी

४४—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या राजस्व मंत्री कृपया बतलायेंगे कि इलाहाबाद जिले में तहसील सोरांव तथा तहसील चायल में चकबन्दी का कार्य कब से प्रारम्भ हुआ तथा कब तक यह कार्य समाप्त हो जायगा ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—तहसील सोरांव में चकबन्दी कार्य एक साथ २२ अक्तूबर, १९५५ से प्रारम्भ हुआ और उन गांवों के अतिरिक्त जिनके संबंध में हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दायर की गई हों, इस कार्य के दिसम्बर, १९६२ तक समाप्त होने की आशा है।

तहसील चायल के ११७ ग्रामों में कार्य ९ अप्रैल, १९६० से प्रारम्भ हुआ और १८३ ग्राम बाद को लिये गये। उन गांवों के अतिरिक्त जिनके संबंध में हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दायर हों, इस कार्य के जून, १९६३ तक समाप्त होने की आशा है।

४५—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि तहसील चायल तथा सोरांव में कितने काश्तकारों ने चकबंदी के गलत चक बनने के विरोध में कितने मुकदमे दायर किये तथा कितने मुकदमों में काश्तकारों के पक्ष में फैसला हुआ और कितनों के विरोध में ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—आवश्यक सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ञ' आगे पृष्ठ १०८९ पर)

४६-४७—श्री कैलाश—[१८ वें शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये।]

जौनपुर जिले को स्कूलों के भवन निर्माणार्थ अनुदान

४८—श्री केशरीप्रसाद पांडेय—क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर में किन-किन हायर सेकेन्डरी स्कूल तथा इन्टरमीडियेट कालेजों को बिल्डिंग और छात्रावास के निर्माण हेतु कितना-कितना राजकीय अनुदान १९५७-५८, १९५८-५९, १९५९-६०, १९६०-६१ और १९६१-६२ में दिया गया है ?

आचार्य जुगलकिशोर—छात्रावास निर्माण हेतु कोई अनुदान नहीं दिया गया है। भवन निर्माण अनुदान के विषय में वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ट' आगे पृष्ठ १०९० पर)

आबकारी अधीक्षक

४९—श्री रियासत हुसैन—क्या आबकारी मंत्री बतायेंगे कि कमिश्नर का पद होते हुये एक्साइज सुपरिंटेंडेंट की हर जिले में क्या जरूरत है और इस पर गवर्नमेंट का कितना खर्चा सालाना होता है ?

डाक्टर सीताराम—प्रदेश के हर जिले में आबकारी अधीक्षक नियुक्त नहीं हैं। प्रदेश भर में २३ आबकारी अधीक्षक हैं जिन पर २,०९,५०० रुपया वार्षिक खर्च होता है।

५०--श्री रियासत हुसैन--क्या आबकारी मंत्री बतायेंगे कि आबकारी मुहकमों में अफसरान की सीधी भर्त्ती क्यों की जाती है ?

डाक्टर सीताराम--आबकारी विभाग में अधिकारियों की सीधी भरती नहीं की जाती ।

नागर क्षेत्रों में डीह, बंजर, पोखरी पर अधिकार

५१--श्री कैलाश--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जमींदारी उन्मूलन के बाद १ जुलाई, १९६१ को टाउन एरिया, नोटीफाइड एरिया तथा म्युनिसिपल बोर्ड के डीह, बंजर तो पोखरे का इन्तजाम किन के हाथ में दिया गया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--किसी के हाथ में नहीं क्योंकि उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश अधिनियम केवल कृषि क्षेत्रों पर लागू होता है और डीह, बंजर, पोखरी तथा पोखर जमींदारी विनाश के बाद भी जमींदार की ही सम्पत्ति रहते हैं ।

५२-५३--श्री बंशीलाल--[१८ वें शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये ।]

५४--श्री श्रीराम तिवारी--[१८ वें शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया ।]

नदियों पर घाटों का नीलाम

५५--श्री कल्याणचन्द मोहिले--क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि प्रदेश में उन घाटों की संख्या क्या है जिन घाटों का ठेका (नाव चलाने का) सरकार प्रत्येक वर्ष नीलाम करती है ?

५६--क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि प्रदेश में घाटों का नीलाम १९६०-६१ तथा १९६१-६२ में कितने-कितने धन का हुआ और वह घाट किन-किन जिलों में हैं तथा नदियों में पड़ते हैं ?

५७--क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि इन घाटों पर कितने कर्मचारी रक्खे गये हैं और उनको वेतन भत्ता १९६०-६१, १९६१-६२ में कितना दिया गया ?

श्री गिरधारीलाल--जो सूचना अभी तक प्राप्त हो सकी है सदस्य महोदय की मेज पर रख दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'ठ' आगे पृष्ठ १०९२-१०९३ पर)

रायबरेली जिले में मद्य निषेध में ढिलाई की शिकायत

५८--श्री रतीपाल--क्या सरकार ने रायबरेली जिला, थाना गुरबख्शगंज के अन्तर्गत ग्राम पूरे आशाराम, पाहो, रहवां, भीतरगांव, खीरों में शराब, गांजा व अन्य मादक वस्तुओं की बिक्री का विशेष आदेश दे रक्खा है जब कि रायबरेली जिला Dry area घोषित है ? यदि नहीं, तो वहां शराब, गांजा आदि क्यों खुले आम बिकती है ?

डाक्टर सीताराम--जी नहीं । इन ग्रामों में शराब, गांजा आदि खुले आम बिकने की शिकायत नहीं है और इस प्रकार के अपराधों को रोकने के लिये पुलिस कार्यवाही करती है ।

बलिया जिले म निर्माण-कार्यों पर व्यय

५९--श्री मैनेजरसिंह--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सार्वजनिक निर्माण बलिया का आर्थिक वर्ष सन् १९६१-६२ में कितना धन किन-किन कार्यों के लिये स्वीकृत हुआ है, उस में कितना धन किस-किस कार्य में व्यय हुआ है और शेष धन का सदुपयोग कब तक हो सकेगा ?

श्री गिरधारीलाल—वांछित * सूचना सदस्य महोदय की मेज पर रखी हुई सूची† में दी हुयी है ।

१९६१-६२ में स्वीकृत अनुदान की अपेक्षा अधिक व्यय हुआ है अतएव इस वर्ष के शेष धन के सदुपयोग का कोई प्रश्न नहीं उठता ।

लेखपाल हल्का रम्पुरा को हटाने की मांग

६०—श्री बिशनलाल यादव (जिला मुरादाबाद)—क्या सरकार को ज्ञात है कि हल्का रम्पुरा के लेखपाल से (जो तहसील सम्भल, जिला मुरादाबाद) वहां की जनता बहुत दुखी है ? क्या सरकार शीघ्र से शीघ्र उनको वहां से हटाने का प्रयत्न करेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी नहीं ।

६१—श्री बिशनलाल यादव—क्या जिलाधीश मुरादाबाद को किसी लेखपाल (तहसील सम्भल) के विरुद्ध सरपंचों के चुनाव में भाग लेने के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई है? यदि हां, तो सरकार ने उसमें क्या कार्यवाही की ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी हां, लेखपाल को मौखिक चेतावनी दे दी गयी है ।

६२—श्री बिशनलाल यादव—क्या सरकार को पता है कि तहसील सम्भल में ऐसे कितने लेखपाल हैं जो अपने ही गांव के हल्के में कार्य कर रहे हैं ? इसका ऐसे लेखपालों के विरुद्ध शिकायतें होने पर भी सरकार उन्हें वहां से नहीं हटा रही है ? इसका क्या कारण है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—पांच लेखपाल, जिनमें से केवल एक लेखपाल के विरुद्ध शिकायत प्राप्त हुई जो जांच के पश्चात् निराधार पायी गयी । यद्यपि इन लेखपालों का अपने गांव के हल्के पर नियुक्त होना नियम-विरुद्ध नहीं है फिर भी इन्हें स्थानान्तरित कर दिया गया है ।

गोरखपुर जिले में सड़कों का निर्माण

६३—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रथम तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं में गोरखपुर जिले की विभिन्न तहसीलों में कितने मील लम्बी सड़कें कहां से कहां तक बनाई गईं तथा उनका अलग-अलग क्या प्राक्कलन था और कितना खर्चा हुआ ?

श्री गिरधारीलाल—वांछित सूचना सदस्य महोदय की मेज पर रखी हुई सूची में दी हुई है ।

(देखिये नत्थी 'ड' आगे पृष्ठ १०९४ पर)

६४—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले की विभिन्न तहसीलों में प्रथम तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं में कितने पुल विभिन्न तहसीलों में कहां-कहां बने तथा उनका प्राक्कलन कितने का था और कितना खर्चा हुआ ?

श्री गिरधारीलाल—गोरखपुर जिले, गोरखपुर तहसील में केवल गोरखपुर फरेंदा मार्ग की मील नं० ९ में राहिन नदी पर ४३० फिट लम्बे पुल का निर्माण हुआ। जिसका आगणन ८,७४,००० रुपये का स्वीकृत हुआ था जिस पर ७,३२,७७८ रुपया खर्च हुआ ।

---

†छापी नहीं गई ।

जगतपुर ग्राम सेवा मंडल भवन

६५—श्री बंशीलाल—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला इलाहाबाद के तहसील फूलपूर में ग्रैन्ड ट्रंक रोड पर स्थित ग्राम जगतपुर में ग्राम सेवा मन्डल का भवन पी० डब्लू० डी० के कर्मचारियों द्वारा गिरवा दिया गया है ? यदि हां, तो उसमें का रक्खा हुआ हजारों रुपये का सामान अम्बर चर्खे तथा मशीन आदि नष्ट भ्रष्ट कर दिया गया है ?

श्री गिरधारीलाल—इस समय ग्राम सेवा मंडल के मकान के गिरवाने की कोई सूचना सरकार के पास नहीं है । श्री जगरूप द्वारा निर्मित कथित सड़क पर अनधिकृत मकान को एस० डी० एम०, फूलपुर के आदेशानुसार हटा दिया गया ।

६६—श्री बंशीलाल—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बतायेंगे कि ग्राम सेवा मंडल, जगतपुर से भी सड़क के नजदीक जो मकान बने हैं, वह क्यों नहीं गिराये गये ?

श्री गिरधारीलाल—इस ग्राम में अन्य अनधिकार मकानों को हटाने के लिये ४ मुकदमे चल रहे हैं । निर्णय होने पर आवश्यक कार्यवाही की जायगी ।

पुलों पर टैक्स

६७—श्री कन्हैयालाल (जिला मथुरा)—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रथम व द्वितीय पंचवर्षीय योजनान्तर्गत निर्मित कौन-कौन से नदियों के पुल ऐसे हैं जिन पर जनता को टैक्स नहीं देना पड़ता है और कौन-कौन से पुलों पर जनता को टैक्स देना पड़ता है ?

श्री गिरधारीलाल—वांछित सूचना माननीय सदस्य की मेज पर रखी] †सूचियों में दी हुई है ।

६८—श्री छत्रपति अम्बेश (जिला आगरा)—[हटा दिया गया ।]

बस्ती—नौगढ़ सड़क

६९—श्री जगदीश (जिला बस्ती)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बस्ती में बस्ती से नौगढ़ जाने वाली पी० डब्लू० डी० की सड़क पर नौगढ़ तहसील में सीनवल ग्राम से जो जमीन ली गई है उसका मुआवजा अभी तक नहीं दिया गया है और पक्की सड़क को सरकार के कागजों में खेत दर्ज किया जाता है तथा लगान लिया जाता है ?

श्री गिरधारीलाल—बस्ती जिले में बस्ती से नौगढ़ जाने वाली सड़क में को जमीन सीनवल ग्राम में नहीं ली गई है ।

७०—श्री जगदीश—क्या सरकार उपरोक्त मुआवजा दिला कर इन्दराज ठीक कराने की कृपा करेगी ?

श्री गिरधारीलाल—प्रश्न नहीं उठता ।

आगरा में यमुना और रेलवे लाइन के बीच पक्की सड़क की आवश्यकता

७१—श्री बालोजी अग्रवाल—क्या यह सही है कि आगरा में यमुना और रेलवे लाइन के बीच बसे "नागला देवजीत, गढ़ी चंदना, कच्छपुरा, नगला बालचन्द आदि" ग्राम निवासियों के लिये आने-जाने के लिये कोई सड़क नहीं है ?

---

†छापी नहीं गईं ।

श्री गिरधारीलाल—जी हां। यह सही है कि इन ग्रामवासियों के लिये कोई पक्की सड़क नहीं है।

७२—**श्री बालोजी अग्रवाल**—यदि हां, तो क्या सरकार कोई सड़क बनाने की योजना बनायेगी ?

श्री गिरधारीलाल—तृतीय पंच वर्षीय आयोजना का सीमित आकार होने के कारण, इस समय, इन ग्रामवासियों के लिये कोई सड़क बनवाना सम्भव नहीं है।

चरखारी-राठ कच्ची सड़क

७३—**श्री मदनपालसिंह** (जिला हमीरपुर)—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में जिला हमीरपुर के अन्तर्गत चरखारी से राठ जाने वाली कच्ची सड़क को पक्की कर रहे हैं ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री गिरधारीलाल—जी नहीं। इस सड़क के निर्माण के लिये तृतीय पंचवर्षीय योजना में कोई प्राविधान नहीं है।

७४—**श्री मदनपालसिंह**—क्या यह सत्य है कि वह वर्तमान उपरोक्त चरखारी से राठ कच्ची सड़क के बजाय अन्य नये रास्ता से जिसमें किसानों की उपजाऊ भूमि पड़ रही है पक्की सड़क बनाने का विचार कर रहे हैं ? क्या सरकार को इस तथ्य का ज्ञान है ? यदि नहीं, तो सरकार इसको सूचना मानकर क्या सरकार ऐसा कोई आदेश देगी कि वही कच्ची सड़क चरखारी से राठ को पक्का किया जावे ?

श्री गिरधारीलाल—इस समय चरखारी-राठ सड़क के निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है। अतः इसको किस ओर से बनाया जाय, इस बारे में अभी किसी आदेश देने का प्रश्न नहीं उठता।

७५—**श्री मदनपालसिंह**—क्या निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि ऐसा क्यों किया जा रहा है ?

श्री गिरधारीलाल—क्योंकि इस समय सड़क निर्माण की कोई योजना नहीं है, ऐसा किये जाने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

इंटरमीडियेट बोर्ड, इलाहाबाद के सहायकों की भरती

७६—**श्री कल्याणचन्द मोहिले**—क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि इलाहाबाद के इंटरमीडियट बोर्ड के सहायकों की भरती हेतु १३ तथा १४ अक्तूबर को जो परीक्षा हुई थी उस में कितने उम्मीदवारों ने आवेदन-पत्र भेजे थे, उस में कितने लोगों को परीक्षा में सम्मिलित किया गया तथा कितने लोग सम्मिलित हुये ?

आचार्य जुगलकिशोर—३०६,
२६६,
२०२।

७७—**श्री कल्याणचन्द मोहिले**—क्या यह सही है कि शिक्षा विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों में कार्य करने वाले उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा पार करने के कारण उस परीक्षा में नहीं बैठाया गया ?

आचार्य जुगलकिशोर—जी हां।

राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, फर्रुखाबाद

७८—**श्री दयाराम शाक्य**—क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, फर्रुखाबाद में अब तक कक्षा ११ क्यों नहीं खोली जा सकी ?

आचार्य जुगलकिशोर—फर्रुखाबाद नगर में चार इंटरमीडियट कालेज हैं जो कि हर ग्रुप में मान्य हैं तथा वहां के बालकों की सुविधाओं की पूर्ति कर रहे हैं इसलिये राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, फर्रुखाबाद में कक्षा ११ खोलने की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती ।

७९—श्री रामनाथ पाठक (जिला मिर्जापुर)—[१८ वें शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया ।]

८०—श्री रामनाथ पाठक—[१६ वें मंगलवार के लिये प्रश्न संख्या १ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

८१–८३—श्री रामनाथ पाठक—[१८ वें शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये ।]

बरेली जिले में रामगंगा दरियाबुर्द जमीन

८४—श्री हरीशकुमार गंगवार—क्या सरकार को ज्ञात है कि तहसील बरेली, जिला बरेली के ग्राम घनेटी, हैबतपुर, भोलापुर, मुबारकपुर, सूदनपुर, पिथूपुरा, गोतारा, सीतापुर, माधोपुर, रूपपुर आदि की जमीनें राम गंगा से काटी जाने के बाद फिर से बरामद हो गयी हैं ? क्या उनका पंचवर्षीय बन्दोबस्त इसी वर्ष होना है ? यदि हां, तो कब तक यह बन्दोबस्त हो जायगा जिस से उक्त ग्रामों के कृषकों की आर्थिक दशा सुधर सके ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जिला बरेली के जिन दस गांवों का उल्लेख प्रश्न में किया गया है, उनमें से ९ गांवों की जमीनें राम गंगा नदी से कट जाने के बाद फिर से बरामद हो गई हैं । केवल एक ग्राम रूपपुर की भूमि अभी तक बरामद नहीं हुई ।

इन ग्रामों में पंचवर्षीय बन्दोबस्त इस वर्ष १३७० फसली में नहीं बल्कि आगामी वर्ष १३७१ फसली में किया जायगा ।

८५—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—[१९ वें गुरुवार के लिये प्रश्न संख्या ६७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

८६—श्री बलवानसिंह—[१८ वें शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया ।]

८७—श्री शिवनाथसिंह—[१८ वें शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया ।]

८८—श्री जमादारसिंह तथा श्री ऊदल—[१७ वें शुक्रवार के लिये प्रश्न संख्या ११ के अन्तर्गत निर्धारित किया गया ।]

जौनपुर जिले में कृषि शिक्षा

८९—श्री केशरीप्रसाद पांडेय—क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर में कितने ऐसे इंटर कालेज हैं जिन में कृषि शिक्षा दी जाती है और उस के लिये उन के पास कितनी जमीन, बैल और कर्मचारी हैं ?

आचार्य जुगलकिशोर—सूचना संलग्न तालिका में प्रस्तुत है ।

(देखिये नत्थी 'ढ' आगे पृष्ठ १०९५ पर)

९०—श्री केशरीप्रसाद पांडेय—[१८ वें शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया ।]

९१–९३—श्री शिवसम्पति शर्मा (जिला जालौन)—[१८वें शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये ।]

माडल तथा जूनियर हाई स्कूलों के हेड मास्टरों का एस०डी०आई० के लिए चुनाव

९४—श्री केशरीप्रसाद पांडेय—क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माडल और राजकीय जूनियर हाई स्कूलों में कार्यरत प्रधानाध्यापकों में से सन् १९५४ के बाद अब तक विभागीय चुनाव से कितनी नियुक्तियां की गयीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

आचार्य जुगलकिशोर—१२ नियुक्तियां की गयीं । प्रश्न नहीं उठता ।

९५—श्री केशरीप्रसाद पांडेय—क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विभागीय चुनाव से नियुक्त एस० डी० आई० अब तक अस्थायी क्यों हैं ?

आचार्य जुगलकिशोर—कोई अस्थायी पद पर नहीं है । केवल २ परीक्षण में हैं और विधि अनुसार उनका स्थायीकरण यथासमय विचारणीय होगा । अन्य स्थायी हो चुके हैं ।

लखनऊ में हायर सेकेंडरी स्कूलों के अध्यापकों का फण्ड

९६—श्री केशरीप्रसाद पांडेय—क्या शिक्षा मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि लखनऊ शहर में स्थित कितने ऐसे हायर सेकेन्डरी स्कूल हैं जहां के अध्यापकों का प्राविडेंट फंड उनके स्थायी होने की तिथि से नहीं काटा जाता है ?

९७—क्या शिक्षा मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि इन स्कूलों में १ जुलाई, सन् १९६२ से बढ़ा हुआ २० रुपया महंगाई भत्ता दिया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

आचार्य जुगलकिशोर—सूचना एकत्र की जा रही है ।

९८–१००—श्री रामचन्द्रसिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—[१८ वें शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये ।]

अयोध्या में सरयू का घाटों से हट जाना

१०१—श्री शान्तिचन्द्र शुक्ल—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अयोध्या में बंधा बन जाने के कारण सरजू नदी की धारा स्वर्गद्वार आदि घाटों से हट गयी है ? यदि हां, तो कितनी भूमि बन्धा और घाटों के बीच पड़ी हुई है ?

श्री गिरधारीलाल—जी नहीं, नदी स्वयम् घाटों को छोड़ कर पहले से ही बहने लगी थी । घाटों और बांध के मध्य में लगभग १७ एकड़ भूमि है ।

१०२—श्री शान्तिचन्द्र शुक्ल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनता की मांग आयी है कि सरजू नदी का जल उस के पास बंधा और घाटों के मध्य प्रवाहित करने की व्यवस्था की जाय ? यदि हां, तो सरकार की योजना क्या है ?

श्री गिरधारीलाल—जी हां, घाटों और बंधा के बीच जल प्रवाहित का प्रस्ताव तो स्वीकृत करना सम्भव नहीं है, किन्तु उक्त स्थान पर उद्यान बना कर रमणीक स्थान बनाने की योजना सरकार के विचाराधीन है ।

पौड़ी-गढ़वाल जिले में बाढ़ से क्षति

१०३—श्री गंगाधर मैठाणी—क्या यह सही है कि २४ जून, १९६० को भट्ठी सेरा–गधेरा पट्टी चलणस्यू, जिला पौड़ी–गढ़वाल पर भयंकर बाढ़ आने से लंगवालिया बगड़ और भट्टीसेरा स्थान पर नुकसान हुआ था ? यदि हां, तो क्या सरकार उस नुकसान का विवरण देने की कृपा करेगी ?

श्री हुकुम सिंह विसेन—जी हां। वांछित विवरण संलग्न सूची में प्रस्तुत है।
(देखिये नत्थी 'ण' आगे पृष्ठ १०९६-१०९७ पर)

१०४—**श्री गंगाधर मैठाणी**—क्या यह सही है कि अपर स्कूल बालक, अपर स्कूल बालिका, जूनियर हाई स्कूल का छात्रावास, जिला परिषद् का पुल, डाकखाना, बाजार की दुकानों को अभी तक खतरा बना हुआ है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—लिंगवालिया बगड़ में ध्वस्त पुल, स्कूल तथा अन्य इमारतों के स्थान पर अभी तक नवीन निर्माण नहीं हुआ है और स्कूल एक टिन शेड में सुरक्षित स्थान पर चल रहा है। अतः किसी खतरे के बने रहने का प्रश्न नहीं उठता। परन्तु भट्टीसेरा में दो नदियों के बीच स्थित आधारिक विद्यालय को कटाव से अवश्य कुछ खतरा है। वहां से विद्यालय हटाने का प्रश्न स्थानीय अन्तरिम जिला परिषद् का कार्य है जो उनके विचाराधीन है।

१०५—**श्री गंगाधर मैठाणी**—क्या यह सही है कि सरकार ने इन स्थानों की सुरक्षा के लिये कोई विशेष योजना बना रक्खी है ? यदि हां, तो वह क्या है और कब तक लागू होगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—सिंचाई विभाग ने स्थानीय जांच के पश्चात् क्षतिग्रस्त स्थानों की सुरक्षा के सम्बन्ध में किसी योजना को बनाना सम्भव नहीं पाया क्योंकि गंधेरों की बहुत ढाल होने के कारण बाढ़ के समय इसमें बहुत बड़े-बड़े पत्थर आने के कारण किसी बांध इत्यादि का बनाना सम्भव नहीं है। सुरक्षा की दृष्टि से भट्टीसेरा के विद्यालय को खतरे की सीमा से हटा कर दूसरे स्थान पर ले जाना निश्चित हुआ।

विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न के सम्बन्ध में जानकारी

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)—अध्यक्ष महोदय, मेरा विशेषाधिकार का प्रश्न ले लिया जाय, माननीय हुकुमसिंह जी मौजूद भी हैं।

श्री अध्यक्ष—माननीय दीपनारायण जी, जैसा मैंने आपसे निवेदन किया आपके विशेषाधिकार के प्रश्न पर, मैंने उस पोर्शन को कार्यवाही से डिलीट कर दिया है। उसमें किसी विशेष व्यक्ति का नाम नहीं लिया गया था, इसलिये इसको आप प्रेस न करें।

श्री दीपनारायणसिंह—इतना कह दें कि तकलीफ हुई, यह तो ऐसा है कि जबरा मारे रोने न दे।

माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—अगर भाई दीपनारायणसिंह जी को तकलीफ हुई है तो मुझे भी तकलीफ हुई है।

नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—नियम ५२ के अन्तर्गत जो सूचनाएं प्राप्त हुईं थीं, अब उसके लिये समय तो नहीं था, लेकिन मैंने आदरणीय सदस्यों की सुविधा के लिये उन सूचनाओं को संबंधित मंत्री जी के पास भेज दिया है, उचित कार्यवाही के लिये।

उन्नाव जिलान्तर्गत जिला परिषद् के अध्यापकों को वेतन न मिलने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

शिक्षा उपमंत्री (श्री केशभान)—अध्यक्ष महोदय, यह सूचना सही है कि अन्तरिम जिला परिषद्, उन्नाव की स्थानीय कठिनाइयों के कारण परिषद् के अन्तर्गत काम करने वाले अध्यापकों का वेतन पिछले कुछ महीनों से नहीं मिला है। शासन को यह सूचना मिली है कि

[श्री केशभान]

अध्यक्ष, अन्तरिम जिला परिषद् ने बहुत से ऐसे अध्यापकों की नियुक्तियां कीं जो निर्धारित संख्या से अधिक थीं और ऐसे भी अध्यापकों की नियुक्ति की जो निर्धारित योग्यता नहीं रखते थे। अध्यापकों की नियुक्तियां, स्थानान्तरण और पदोन्नतियों का पूरा रिकार्ड भी कहा जाता है उपलब्ध नहीं है। अध्यक्ष के विरुद्ध बहुत सी शिकायतें शासन को प्राप्त हुई थीं, जिनमें अध्यापकों की नियुक्तियों की अनियमितता भी सम्मिलित थी। इन्हीं शिकायतों पर कतिपय आरोप लगा कर शासन ने अध्यक्ष को निलम्बित कर उनसे स्पष्टीकरण मांगा। अध्यक्ष ने इस आदेश के विरुद्ध हाई कोर्ट में रिट दायर किया। वहां से स्टे-आर्डर हो गया। परिषद् का बजट नियमानुसार पास हुआ या नहीं यह भी मामला माननीय हाईकोर्ट के विचाराधीन है।

इन कठिनाइयों से अधिकृत सरकारी कर्मचारियों ने वेतन के बिलों को प्रमाणित करने में असमर्थता प्रकट की। २६ अक्तूबर,१९६२ को अध्यक्ष ने तीन चेक ७,०७,९१८ रुपये के कैश करने के लिये उन्नाव ट्रेजरी को भेजा इन चेकों पर एक कर्मचारी के हस्ताक्षर थे जिसको अध्यक्ष ने परिषद् के सचिव के स्थान पर अस्थायी नियुक्त किया था। अनियमितता के कारण ट्रेजरी आफिसर ने चेक कैश नहीं किया। अध्यक्ष द्वारा इसके उपरान्त क्या कार्यवाही हुई इसकी सूचना शासन को उपलब्ध नहीं है। अध्यापकों की कठिनाई को सुलझाने के लिये इसके बारे में और जानकारी की जायेगी। चूंकि इस परिषद् से संबंधित मामला हाई कोर्ट के विचाराधीन है इसलिए विस्तृत आख्या देना सम्भव नहीं है।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—नियम ५२ के अन्तर्गत एक ही प्रश्न पूछना था। हमारी निश्चित सूचना है कि इन ३,००० अध्यापकों को पिछले ५ महीने से वेतन नहीं मिला है हालांकि मंत्री जी ने स्पष्ट नहीं कहा। उनमें से ६० सैकड़ा ऐसे हैं जो वेतन पर ही अपना जीवन बसर करते हैं। अब उन्हें दूकानदारों से उधार मिलना भी बन्द है। सरकार उन्हें वेतन जल्दी दिलाने के लिये क्या करने जा रही है?

श्री केशभान—उन्नाव परिषद् के अध्यक्ष ने कागजात अपने पास रख लिये हैं। वह नहीं दे रहे हैं। बिना उनके सहयोग के यह काम होना मुश्किल है। सरकार उनका सहयोग प्राप्त करने की कोशिश कर रही है जो मिल नहीं रहा है। इसलिये सरकार विवश है।

श्री काशीनाथ मिश्र—क्या यह सही नहीं है कि उन्नाव जिला परिषद् के अध्यक्ष अब कांग्रेसी नहीं हैं, किसी विरोधी पार्टी के हैं और उन्हें हैरस करने के लिये यह बहाना लेकर सरकार वेतन देना टाल रही है?

श्री अध्यक्ष—वे किसी भी दल के हों, अगर सरकार गलती करती है तो करती है। आक्षेपात्मक प्रश्न नहीं होना चाहिये।

श्री काशीनाथ मिश्र—अध्यापकों को वेतन देने के लिये कौन से कदम उठाये हैं?

श्री केशभान—प्रेसीडेंट महोदय से कागजात लेने की कोशिश की जा रही है, ताकि शिक्षकों की सूची मालूम हो जाय। वह नहीं देते हैं तो क्या किया जाय?

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)—सरकार कब तक इन अध्यापकों का वेतन दिलाने का प्रयत्न प्रारम्भ करेगी?

नियोजन मंत्री (श्री हरगोविन्दसिंह)—प्रश्न तो यह है कि कौन-कौन अध्यापक हैं। उन्होंने बहुत से लोगों को लिखकर दे दिया कि आप अध्यापक हैं, लेकिन उनका डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से कहीं एप्वाइंटमेंट नहीं है। वह लिस्ट भी नहीं देते हैं, तो निश्चय कैसे हो ?

श्री केशरीप्रसाद पाण्डेय (जिला जौनपुर)—इन अध्यापकों में कितने ऐसे हैं जिनकी नियुक्ति जिला बोर्ड से हो चुकी है और वे उनके रैग्यूलर अध्यापक हैं ?

श्री हरगोविन्दसिंह—मैंने उत्तर दिया कि उसके पेपर्स नहीं मिलते हैं तो कैसे बतलाया जाय ?

श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)—क्या माननीय मंत्री जी अपने जिला विद्यालय निरीक्षक से और उप निरीक्षक से जानने की कोशिश करेंगे कि उनमें से कितने ऐसे अध्यापक हैं जिन्होंने पढ़ाया है या पढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये लोग समय-समय पर दौरे करते रहे हैं ?

श्री केशभान—कुछ तो ऐसे जरूर हैं जो नियुक्त हुए और पढ़ा रहे हैं। लगभग ८०० नियुक्तियां अवैधानिक हुई हैं, तो कैसे छांटा जाय ? बहुत से स्कूल साधिकार नहीं खोले गये हैं। कौन से नियमित हैं और कौन से अनियमित हैं, यह खिचड़ी पकी हुई है। अध्यक्ष से कागजात मिलने पर ही सही बात मालूम हो सकती है। बोर्ड के हाथ में सारा दफ्तर है। जिला विद्यालय निरीक्षक के हाथ में नहीं है। परिषद् के अध्यक्ष के सहयोग से ही सारे कागजात मिल सकते हैं।

श्री अध्यक्ष—उनका कहना है कि बहुत से ऐसे स्कूल हैं जिन्हें मान्यता नहीं थी और वे खुले हुए हैं। यानी वे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड द्वारा रिकगनाइज्ड नहीं हैं। ८०० टीचर्स ऐसे हैं जिनकी नियुक्तियां कायदे से नहीं हुईं। अब इन दोनों बातों का अन्वेषण हो रहा है। अन्वेषण जब तक न हो जाय और सूची तैयार न हो जाय कि किन-किन अध्यापकों को क्या देना है, तब तक रुपया नहीं दिया जा सकता। क्या यही एक्सप्लेनेशन है या कुछ और ?

श्री केशभान—हां यही है और यह भी कि बजट पास नहीं हुआ है।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—३००० में से ८०० अवैधानिक नियुक्तियों के अलावा बाकी को शिक्षा मंत्री जी उस रुपये में से दिलाने का प्रबन्ध करेंगे जो जिला बोर्ड को अनुदान शिक्षा के लिये दिया जाता है ?

श्री केशभान—यह प्रश्न सरकारी अनुदान का तो नहीं है। जो कुछ अनुदान दिया जा चुका है, वह उनके पास है। जब तक बजट पास न हो जाय तो कायदे से भी नियुक्त होने वालों को कौन देने के लिये अधिकृत करे ?

श्री रामायणराय—माननीय मंत्री जी ने पहले तो कहा कि हमें पता नहीं है कि कौन उनमें से बेकायदा नियुक्त हैं और कौन बाकायदा हैं। फिर वह फरमा रहे हैं कि ८०० बेकायदा और बाकी बाकायदा हैं। इस बात का ज्ञान उन्हें कैसे हुआ जबकि उनके पास उनकी नियुक्ति के सम्बन्ध में कागजात नहीं हैं ?

(श्री हरगोविन्दसिंह के खड़े होने पर)

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

शिक्षा मंत्री जी एक विशेष विषय के बारे में ज्ञान रखते हैं। तो क्या यह हो सकता है कि नियोजन मंत्री जी बीच में कूद पड़ें और वह शिक्षा मंत्री जी की तरफ से जबाव देने लगें ?

श्री अध्यक्ष—जो अपना नियम है उसको समझ लीजिये। जहां तक किसी मंत्री का संबंध है अगर संबंधित मंत्री किसी दूसरे मंत्री को अपनी ड्यूटीज को डेलीगेट कर देते हैं तो वे भी जवाब देने के अधिकारी हैं।

श्री मैनेजरसिंह—श्रीमन्, व्यवस्था का प्रश्न। माननीय नियोजन मंत्री जी ने जिला बोर्ड शब्द का इस्तेमाल किया। क्या नियोजन मंत्री जी पुराने शिक्षा मंत्री की हैसियत से उत्तर दे रहे थे ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री अध्यक्ष—रामायणराय जी, आप फिर से प्रश्न कर लीजिये।

श्री रामायणराय—माननीय शिक्षा मंत्री जी से कुछ हजार अध्यापकों के बारे में पूछा गया था कि उनको वेतन क्यों नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि ३ हजार में से ८०० अध्यापक बेकायदा हैं और शेष बाकायदा हैं। उनको इस बात का ज्ञान किस प्रकार से हुआ जब कि वे स्वयं इस बात को मानते हैं कि जिन कागजात में लिखा पढ़ी हुई है वे उनके कब्जे में नहीं आये हैं ?

श्री केशभान—अध्यक्ष महोदय, जिस वक्त परिषद् के अध्यक्ष को सस्पेंड नहीं किया गया था उस समय उन्होंने सूचना जिला विद्यालय निरीक्षक के पास स्वीकृति के लिये भेजी थी, जिसमें उन्होंने पाया कि बहुत से अध्यापक अनियमित थे। जिला विद्यालय निरीक्षक ने उस सूची को लौटा दिया और कहा कि इन लोगों की नियुक्तियां अनियमित हैं। उससे उन्हें यह जानकारी हुई थी। ऐसे अध्यापकों की संख्या करीब ८०० है जिनकी नियुक्ति नियमित नहीं है, लेकिन उसके बाद परिषद् ने कागजात नहीं लौटाये।

श्री अध्यक्ष—माननीय शिक्षा मंत्री जिस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं अगर वह प्रश्न स्वायत्त शासन मंत्री से पूछा जाता तो हमें पूरी सूचना मिल जाती क्योंकि शिक्षा मंत्री, अन्तरिम जिला परिषद् के अन्तर्गत जो अध्यापक हैं उनके बारे में उत्तर दे रहे हैं। इसलिये इस प्रश्न को इस समय स्थगित समझा जाय।

श्री हरगोविन्दसिंह—अब यह विभाग स्वशासन मंत्री जी के पास नहीं रहा, विकास में चला गया है। इस समय हर एक प्रश्न का पूरा उत्तर दिया गया है, मैं नहीं समझता कि इसको किस बात के लिये स्थगित किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष—बात यह है कि शिक्षा मंत्री अगर चाहते तो मुझसे कह सकते थे कि इसको विकास मंत्री के पास भेज दिया जाय, लेकिन उन्होंने स्वयं ही इस परेशानी को मोल ले लिया।

श्री हरगोविन्दसिंह—इसका उत्तर चाहे वे दें चाहें मैं दूं, लेकिन पूरा उत्तर तो दिया गया है।

श्री श्यामलाल—यह प्रश्न स्थगित किया गया या नहीं ?

श्री अध्यक्ष—आप बैठ जाइये। मैं जो कुछ कह चुका हूं, वह रहेगा।

श्री देवदत्त मिश्र—मैं जानना चाहता हूं कि कब तक के लिये इसे स्थगित किया जा रहा है ?

श्री अध्यक्ष—यह कोई अदालत नहीं है जहां कोई तारीख मुकर्रर की जाती है।

भारत सरकार द्वारा वर्तमान वर्ष में निर्धारित चीनी नीति के गन्ने के मूल्य पर प्रभाव के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

गन्ना विकास राज्य मंत्री (श्री दाऊदयाल खन्ना)—अध्यक्ष महोदय, मैं सर्वश्री गेंदासिंह, कल्पनाथसिंह, रियासत हुसैन, कैलाशसिंह तथा रामायण राय द्वारा नियम ५२ के अन्तर्गत प्रस्तुत ध्यान आकृष्ट करने के प्रस्ताव (Calling attention motion) के विषय में जिसमें इस बात का उल्लेख किया गया है कि इस वर्ष से जो नीति भारत सरकार ने गन्ने के मूल्य के सम्बन्ध में निर्धारित की है वह गन्ना उत्पादकों के हित में नहीं है तथा इस नीति से चीनी का उत्पादन भी कम हो गया है व चीनी मिलों के अतिरिक्त लाभ में जो भाग गन्ना उत्पादकों को मिलना पहले निश्चित हुआ था उस आश्वासन को केन्द्रीय सरकार ने पूर्ण रूप से नहीं निभाया जिससे गन्ना उत्पादकों को बहुत हानि हो रही है, यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह दोनों विषय केन्द्रीय सरकार से सम्बन्धित है, परन्तु प्रदेशीय सरकार भी महत्वपूर्ण मामलों पर अपनी राय रखती है और वह राय समय-समय पर भारत सरकार को देती रहती है ।

जहां तक पहले विषय का सम्बन्ध है, सदन को पूरा ज्ञान है कि केन्द्रीय सरकार ने जो नयी नीति गन्ने के मूल्य के सिलसिले में अपनाई है उससे प्रदेशीय सरकार सहमत नहीं है, न ही बिहार प्रदेश की सरकार । इन दोनों प्रदेशों के ज्वाइंट शुगर केन बोर्ड ने भी इस नयी नीति को स्वीकार नहीं किया, हम अपनी राय से केन्द्रीय सरकार को पूर्ण तथा स्पष्ट रूप से आगाह कर चुके थे परन्तु और प्रदेशों की सरकारों ने इस नयी नीति को स्वीकार किया । केन्द्रीय सरकार ने इस विषय पर काफी विचार करने के बाद यह उचित समझा कि इस वर्ष से नई नीति लागू की जाय जिससे उत्तरोत्तर गन्ने से चीनी का पर्ता जो इस प्रदेश में बहुत कम है बढ़े और इसके आधार पर गन्ना उत्पादकों को अगले वर्षों में अधिक मूल्य मिल सके । यद्यपि प्रदेशीय सरकार इस नीति से सहमत नहीं थी, परन्तु केन्द्रीय सरकार से इस विषय का सम्बन्ध होने के कारण उनके आदेश पर यह नई नीति सारे देश में लागू हुई ।

इस नई नीति के आधार पर इस प्रदेश में गन्ने का मूल्य भिन्न-भिन्न मिलों के गन्ना देने वाले किसानों को भिन्न-भिन्न दरों पर मिल रहा है । मिल गेट पर मूल्य १ रु० ५० न० पै० प्रति मन से लेकर १ रु० ७५–१/२ न० पै० प्रति मन तक मिलता है । केवल ५ मिलों के क्षेत्रों के किसानों को १ रु० ५० न० पै० मूल्य मिल रहा है । ४१ मिलों के किसानों को १ रु० ५० न० पै० से १ रू० ६२ न० पै० प्रति मन के बीच मिल रहा है । ७ मिलों में किसानों को १ रु० ६२ न० पै० प्रतिमन और १८ मिलों में १ रु० ६२ न० पै० प्रति मन से अधिक मूल्य मिल रहा है । प्रदेश का औसत मूल्य १ रु० ५९ न० पै० प्रतिमन है जो लगभग पिछले वर्ष के मूल्य से ३ नया पैसा प्रति मन कम है ।

इस प्रकार इस वर्ष गन्ना किसानों को गन्ने के मूल्य से ९० लाख रुपया पूरी सप्लाई पर कम मिलेगा न कि ३ करोड़ रुपया जैसा कि प्रस्ताव में दिखाया गया है । यदि इस वर्ष चीनी का पर्ता बेहतर रहा तो अगले वर्ष इससे अधिक मूल्य मिल सकेगा । अतः गन्ना उत्पादकों के हित में यह है कि वह अच्छे-अच्छे किस्म के गन्ने को पैदा करें ताकि ज्यादा मूल्य पा सकें और चीनी का उत्पादन भी बढ़े । अब चीनी के उत्पादन के बढ़ाने की और भी अधिक आवश्यकता है इसलिये कि चीनी का निर्यात भी काफी मात्रा में हो रहा है और संकटकालीन स्थिति में जितनी भी विदेशी मुद्रा मिल सके वह कम है ।

जहां तक चीनी के पर्ते की जांच का प्रश्न है प्रत्येक फैक्टरी में केन्द्रीय सरकार का एक एक्साइज इंस्पेक्टर नियुक्त है जो चीनी के उत्पादन को देखता है । इसके अतिरिक्त जहां कहीं भी

[श्री दाऊदयाल खन्ना]

चीनी के पर्ते के आंकड़ों में कुछ सन्देह का कुछ आभास होगा वहां नेशनल शुगर इंडस्ट्रीज, कानपुर के एक्सपर्ट पर्ते की जांच के लिये भेजे जायेंगे ।

दूसरे विषय की स्थिति से भी यह सदन वाकिफ है, इसके इतिहास को बार-बार दोहराने की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती । सन् १९५८–५९ से भारत सरकार ने कानून द्वारा एक फार्मूला बनाया जिसके अन्तर्गत चीनी मिलों को गन्ने को निर्धारित मूल्य के अतिरिक्त कतिपय परिस्थितियों में गन्ना उत्पादकों को अतिरिक्त मूल्य देने के लिये बाध्य हुई परन्तु उस फार्मूले का एक्स फेक्टरी यानी कि किस मिल में किस दर से किसानों को अतिरिक्त मूल्य मिलेगा यह भारत सरकार ने घोषित नहीं किया । इसी बीच में भारत सरकार ने यह विषय टेरिफ कमीशन को भेज दिया । टेरिफ कमीशन की रिपोर्ट पर भारत सरकार ने १ नवम्बर, सन १९६१ को आदेश द्वारा पुराने फार्मूले में कुछ तरमीम करके एक संशोधन फार्मूला नोटिफाइ किया । इस संशोधित फार्मूले के एक्स फैक्टर के भारत सरकार द्वारा घोषित होने पर १९५८–५९ से सन् १९६१–६२ के वर्षों से संबंधित अतिरिक्त मूल्य गन्ना उत्पादकों को मिल सकेगा जहां कहीं वह नियमानुसार देय हो ।

सन १९६२–६३ से यह फार्मूला लागू नहीं रहेगा क्योंकि अब गन्ने का मूल्य ही चीनी के पर्ते के आधार पर निर्धारित होने लगा है ।

श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर)—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अभी अभी गन्ना कमिश्नर साहब का बयान निकला था जिसमें कहा गया था कि गन्ने की कमी की वजह से इस साल चीनी मिलें कुछ जल्द बन्द हो जायंगी ? तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या इसी नीति के फलस्वरूप गन्ना मिलों को गन्ना नहीं मिल रहा है और उसकी वजह से यह मिलें जल्द बन्द होन जा रही है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—इसमें नीति की कोई बात नहीं है, इस प्रकार का इस पर कोई असर नहीं है बल्कि इस साल मौसम जिस तरह का रहा है उससे गन्ने की फसल को काफी नुकसान पहुंचा है ।

श्री कल्पनार्थसिंह—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि एक ही तरह के गन्ने से भिन्न-भिन्न मिलें भिन्न-भिन्न प्रकार की रिकवरी पैदा करती हैं जैसा कि बैतालपुर, देवरिया, सरदार नगर और गौरी बाजार शुगर फैक्टरीज की रिकवरीज से प्रमाणित है, तो मैं जानना चाहता हूं कि इसमें किसानों का क्या कसूर है कि वह एक ही प्रकार के गन्ने की दो तरह की कीमतें पायें ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—गन्ने की जो कीमत आज मिल रही है यह सब माननीय सदस्य जानते हैं कि पिछले साल जो फैक्टरी की रिकवरी हुई है उसके आधार पर मिल रही है और जिस फैक्टरी की जो रिकवरी रही है उसी के आधार पर कीमत मिलों के द्वारा दी जा रही है ।

श्री अध्यक्ष—आपने पूछा कि एक किसान को दो जगह अलग-अलग रेट मिल रहे हैं इस पर उन का उत्तर है कि अलग अलग मिलों में जैसा जैसा रिकवरी का रिकार्ड है उसके अनुसार कीमत मिल रही है, अब इसके ऊपर आप प्रश्न करें ।

श्री कल्पनार्थसिंह—उनका उत्तर इसलिये साफ नहीं हुआ कि पिछले साल भी इसी तरह का गन्ना इन मिलों को सप्लाई हुआ । अब गन्ने की रिकवरी का जहां तक सवाल है उसमें एफीशेयंट मैनेजमेंट और चीनी का....

श्री अध्यक्ष—आप बैठें । वे कहते हैं कि एक काश्तकार अपने खेत का गन्ना दो जगह देता है, एक जगह उसकी रिकवरी कम आती है और दूसरी जगह अधिक, यह फर्क रिकवरी का क्यों होता है । उस की असलियत कैसे मालूम हो ?

श्री दाऊदयाल खन्ना---आम तौर से तो ऐसा नहीं है कि एक काश्तकार दो जगह गन्ना दे रहा हो क्योंकि सबसे अलग-अलग जोन्स बने हुये हैं और सब अलग-अलग गन्ना अपना सप्लाई करते हैं, ऐसा हो सकता है कि कुछ खेत ऐसे हों कि जहां जोन मिलते हैं वहां बराबर के खेत का गन्ना एक मिल में जाता हो और दूसरे खेत का दूसरे मिल में । इसमें भी सन्देह नहीं कि मेनेजमेंट की एफीशियेंसी पर भी यह निर्भर है, उसका भी असर पड़ जायगा, लेकिन यह भी होता है कि जिस वक्त गन्ना काटा जाय वह जल्दी से न पहुंचाया जा सके, उससे भी रिकवरी में फर्क हो जाता है ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---मंत्री जी बतायेंगे कि नई शकर नीति निर्धारित करने के पहले भारतीय सरकार ने प्रदेशीय सरकार की सम्मति प्राप्त की या नहीं ? यदि हां, तो प्रदेशीय सरकार की क्या राय थी ?

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)---मैं कई दफा सदन को सूचना दे चुका हूं कि केन्द्रीय सरकार ने जो फैसला किया वह तो स्वतः ही फैसला किया और जहां तक इस सरकार का सम्बन्ध है और वहां की सरकार का सम्बन्ध है दोनों सरकारों ने उस फैसले से सहमति प्रकट नहीं की । जो हमारा शुगर बोर्ड बिहार और उत्तर प्रदेश का है जो शुगर केन के मसले पर सलाह देता है उससे भी मिल कर इस प्रश्न पर विचार किया और एक राय से जो राय केन्द्रीय सरकार ने इस विषय में निर्धारित की उसका विरोध किया ।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---क्या यह सही है कि पिछले शुगर केन बोर्ड की मीटिंग में जो पटना में हुई सिर्फ मिल मालिकों ने तो नई शकर नीति का समर्थन किया था बाकी प्रदेश और बिहार की सरकार और गैर-सरकारी सभी सदस्यों ने विरोध किया था ? मैं पूछना चाहता हूं मिल मालिकों ने समर्थन किया था कि नहीं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---यदि सरकार से यह जवाब चाहा जाता है कि माननीय गेंदा सिंह ने उसका विरोध किया तो मैं सदन को बताना चाहता हूं माननीय गेंदा सिंह ने भी प्रदेशीय सरकार के दृष्टिकोण को अपनाते हुए इस नीति का विरोध किया था ।

श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह (जिला गोंडा)---सरकार बतायेगी रिकवरी बेसिस पर जो गन्ने का दाम निर्धारित हुआ रिकवरी केवल शुकरोज कंटेन्ट पर नहीं होती बल्कि देखा जाता है इसमें कितना रस निकला और शकर निकली और रस निकालने का कार्य मशीनों की कुशलता पर निर्भर करता है ? अगर मशीनें खराब हैं उसकी वजह से शकर कम पड़ी । इसका जिम्मेदार किसान होगा, सरकार होगी या मिल होगी ? और उसके लिये सरकार क्या जिम्मेदारी लेती है कि मिलों की मशीनें एफीशियेंटली चलेंगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---जो दृष्टिकोण माननीय सदस्य ने प्रस्तुत किया यही दृष्टिकोण उत्तर प्रदेश और बिहार सरकार का इस सम्बन्ध में था और इसी दृष्टिकोण को केन्द्रीय सरकार के समक्ष प्रदेश की सरकार ने व्यक्त किया । केन्द्रीय सरकार का इस विषय में कथन यही है कि जो एक्साइज का इंस्पेटर उनके यहां रहता है वह देख रेख करेगा और साथ में शुगर इंस्टीट्यूट, कानपुर का है कुछ उसके विशेषज्ञ विभिन्न फैक्टरियों में जाते रहेंगे और देख रेख इस बात की रख सकेंगे कि जो हमारी भ्रान्ति है कदाचित वह भ्रान्ति और आशंका किसानों को न हो, वे उन्हें उस भ्रान्ति से बचा सकें ।

श्री गेंदासिंह---सरकार इसका क्या प्रबन्ध करेगी कि एक ही खेत का एक ही किसान का गन्ना एक फैक्ट्री में साढ़े दस परसेंट रिकवरी लायेगा और उसी खेत का गन्ना दूसरी फेक्टरी में साढ़े नौ परसेंट रिकवरी लायेगा, इस क्षति को पूरा करने का क्या बन्दोबस्त किया जा रहा है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—हमारे उनके दृष्टिकोण में कोई अन्तर नहीं है। यह सवाल लोक सभा में प्रस्तुत होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—माननीय मुख्य मंत्री ने स्पष्ट कर दिया कि हम कुछ ऐसा प्रयत्न कर रहे हैं जिससे किसानों को नुकसान न होने पाये। अब जो उनकी दिक्कतें हैं उनको तो सरकार ने स्वयं स्वीकार करके केन्द्रीय सरकार के सामने रखा है। अब अगर आप कोई और तरीका सजेस्ट करना चाहते हैं तो कर दें।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)—रिकवरी का ठीक ठीक पता चल सके इसके लिये जिन ऐजेंसीज की ओर माननीय मुख्य मंत्री जी ने संकेत किया है मेरा उनसे निवेदन है कि गन्ना तौल होने से लेकर क्रशिंग तक जो पूरा प्रोसेस है पर सरकार या गन्ना उत्पादक का कोई नियंत्रण नहीं है। इसलिये मुख्य मंत्री जी से मेरा निवेदन यह है कि रिकवरी के जिस बेसिस को केवल उत्तर प्रदेश तथा बिहार में माना गया है और अन्य राज्यों में नहीं माना जा रहा है तो फिर इस नीति पर इतना जोर देने की क्या आवश्यकता मालूम पड़ती है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—मैं अर्ज करूं कि वाकया बिलकुल दूसरे तरीका का है। भारत सरकार ने जो नीति घोषित की थी उसे सब प्रदेशों ने तो माना, उत्तर प्रदेश तथा बिहार ने नहीं माना था। उसी के खिलाफ सिफारिश की थी।

श्री गेंदासिंह—यह सही है कि राज्य सरकारों में उत्तर प्रदेश और बिहार ने इस नीति को स्वीकार नहीं किया था और उसका विरोध करती रहीं, गन्ना उत्पादकों ने विरोध किया अर्थात् मिल मालिकों को छोड़ कर सबने विरोध किया तो मैं यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि इस सदन में एक लाइन का प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकार करके भारत सरकार को भेज दिया जाय कि वह इस नई नीति को वापस ले ले ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इस विषय में अपना सदन मत व्यक्त कर चुका और सदन तथा प्रदेश की सरकार की तरफ से हमने केन्द्रीय सरकार के समक्ष उस दृष्टिकोण को एक दफा नहीं कई दफा प्रस्तुत किया है। उसके बाद केन्द्रीय सरकार ने उनके कथन के अनुसार शुगर इंस्डस्ट्री की बहबूदी के लिये उस दृष्टिकोण को अपनाया है जिसे उन्होंने नई नीति के रूप में हमारे समक्ष प्रस्तुत किया।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—इस बात को देखते हुए कि जो डिसपेरिटी है रेट्स में नई नीति के मुताबिक इसका एक कारण यह भी है कि जो आपका केन डेलवपमेंट बोर्ड है जिसके मातहत गन्ने की उपज और उसके शुगर कंटेंट को बढ़ाने की कोशिश की जाती है उसकी नीति में कुछ विशेष सुधार की आवश्यकता है क्योंकि १९३६–३७ में जब कि ४३७ मन गन्ना फी एकड़ पैदा होता था और जब २५ ० एकड़ फी मन का ही औसत रह गया है जिससे शुगर कंटेंट भी नहीं बढ़ रहा है, तो इस नीति में सुधार करने के लिये सरकार क्या प्रबन्ध कर रही है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—जो कमेटी बैठी, हाई पावर कमेटी के नाम से हुई उसमें उत्पादकों के, सरकार के तथा मिल मालिकों सभी के प्रतिनिधि हैं और वह इस बात पर विचार कर रही है कि क्या क्या तरीके हम ऐसे अपनायें जिससे ईल्ड तथा शुगर कंटेंट दोनों बढ़ें।

श्री उग्रसेन—अभी इस वर्ष उतना ही गन्ना पेरा जायगा जितना कि गत वर्ष पेरा गया तो गन्ना उत्पादकों को गन्ने की कीमत पर ४ करोड़ का नुकसान होगा।

श्री दाऊदयाल खन्ना—मैंने अभी जवाब दिया कि ९० लाख रुपया कम होगा इस प्रकार ३ नये पैसे फी मन औसत के हिसाब से गन्ने की कीमत में कमी होगी।

श्री भानुप्रतापसिंह (जिला बस्ती)—यह कहा गया है कि इस नीति के फलस्वरूप चीनी की रिकवरी बढ़ जायगी। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि कौन सी ऐसी बात किसान की शक्ति के अन्दर है जिसके करने से वह रिकवरी बढ़ा सकता है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—यह तो माननीय सदस्य जो प्रश्नकर्ता है वे बहुत बड़े विशेषज्ञ हैं। अच्छे किस्म का गन्ना बोया जाय, खूब खाद दी जाय, पानी दिया जाय यही चीजें हैं जिनसे गन्ने की पैदावार ज्यादा बढ़ सकती है और शुक्रोज कन्टेंट अधिक बढ़ सकता है।

श्री भानुप्रतापसिंह—इसी उत्तर की मैं आशा करता था, लेकिन वास्तविक बात यह है कि जितनी अधिक खाद और पानी दिया जायगा रिकवरी उतनी ही कम होती जायगी।

श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह—सरकार ने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि रिकवरी बेसिस की वजह से इस साल ९० लाख रुपये का किसानों को घाटा होगा। तो यह ९० लाख का घाटा सरकार ने किस आधार पर जोड़ा है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—यह आधार तो रिकवरी का ही है। जिसके खेत में जैसी रिकवरी रही है उसके लिहाज से कीमत मिलेगी। जो ३ नये पैसे फी मन कीमत कम हो रही है पूरे प्रदेश में उसी वजह से ९० लाख का हिसाब आता है।

गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़ तथा बस्ती जिलों के बाढ़ पीड़ितों के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य (क्रमागत)†

श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर)—एक निवेदन है कि हमारे नियम ५२ की नोटिस के संबंध में राजस्व मंत्री जी का वक्तव्य सबको बंट कर मिल चुका है। तो उस पर हम लोगों को अनुपूरक प्रश्न करने की आज्ञा दें।

श्री अध्यक्ष—यह इतना लम्बा है कि उसके पढ़ने में थोड़ा समय लगेगा।

श्री कल्पनार्थसिंह—मैं उस दिन की कार्यवाही आपको दिखा दूं, आपने उस दिन प्रश्न करने के लिये कहा था।

श्री अध्यक्ष—मैं तो यह कह रहा था कि यह इतना लम्बा है कि शायद आज आप प्रश्न करना पसन्द न करें, लेकिन आप पूछना चाहते हैं तो प्रश्न कीजिये।

श्री कल्पनार्थसिंह—जैसा कि इस वक्तव्य में दिया गया है कि टेस्ट वर्क संबंधी सारा बकाया गोरखपुर जिले में ३ लाख २५ हजार रुपया अक्तूबर तक अदा कर दिया गया और उस दिन भी मैंने कहा था कि बकाया अभी नहीं दिया जा सका है, मैंने दरख्वास्त दिखायी थी और मंत्री जी ने कहा था कि रेडियोग्राम से उनको सूचना मिल गयी है तो मैं यह जानना चाहता हूं कि किस आधार पर बकाया फिर से दिखाई जा रही है जब कि मंत्री जी ने कह दिया कि सारा पैसा वितरित किया जा चुका है ?

माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—अक्तूबर तक जितने बिल आये थे सबका पैसा अदा कर दिया गया था। ये बिल बाद को आये थे जो बाकी हैं।

श्री कल्पनार्थसिंह—श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता था कि इसमें लिखा हुआ है कि टेस्ट वर्क से संबंधित बड़हलगंज दरवा रोड पर किये गये टेस्ट वर्क का वास्तविक धन कितना देय है इस संबंध में कुछ विवाद है। मैं यह जानना चाहता हूं कि यह विवाद कब पैदा हुआ और बिल कब दिये गये थे ?

---

†१२ दिसम्बर, १९६२ की कार्यवाही से।

श्री हुकुमसिंह विसेन---जब बिल आये तो एक्जामिन हुए और यह मालूम हुआ कि काम को देखते हुए बिल बहुत ज्यादा है।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि विद्यार्थियों की फीस माफी के संबंध में जो सरक्यूलर गया है और विभिन्न जिलों को विभिन्न धनराशियां दी गई हैं तो उनका आधार क्या रहा है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---जो वर्स्ट अफेक्टेड एरियाज है वहां के लोगों को दिया जायगा।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि गोरखपुर में विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को २० हजार रुपया दे दिया गया और फरेंदा नौतनवां, बांसगांव और सदर जो बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र हैं उनको रुपया क्यों नहीं दिया गया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---यह तो जिलाधीश समझते हैं कि कहां जरूरत है और जहां जरूरत समझी वहां उन्होंने भेजा।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय---श्रीमन्, मेरा कहना यह है कि फरेंदा तहसील में रोहिन राप्ती नदी की बाढ़ से....

श्री अध्यक्ष---नरसिंहनारायण जी, मंत्री जी कह रहे हैं कि जिलाधीश द्वारा मांग आती है उनके अनुसार दिया जाता है। अगर आपको यह मालूम हो कि किसी स्थान के डी० एम० ने लिखकर भेजा है तो कहिये।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि फरेंदा तथा नौतनवां के इंटर कालेजों के प्रिंसपलों ने तथा बड़हलगंज के प्रिंसपल ने जिलाधीश और सरकार को लिखकर भेजा है कि यह बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है और यहां बहुत ज्यादा जरूरत है ? क्या मंत्री जी को सूचना है और यदि नहीं है तो क्या वे जांच करायेंगे कि वहां रुपया क्यों नहीं दिया गया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---इन स्कूलों के नाम लिखकर दे दीजिये मैं कलेक्टर से पूछूंगा कि इनको क्यों नहीं दिया गया।

श्री कल्पनार्थसिंह---जो लिस्ट टैस्ट वर्क तथा मैन पावर मोबलाइजेशन स्कीम की दी गई है उसमें गोरखपुर का नाम क्यों नहीं है जब कि यह सब से अधिक बाढ़ पीड़ित जिला है ? वहां यह स्कीम चालू न करने का क्या कारण है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--- प्लानिंग कमीशन जहां मुनासिब समझता है उसके मुताबिक स्कीम बनती है।

श्री कल्पनार्थसिंह---टैस्ट वर्क प्लानिंग कमीशन कहां तय करता है ?

श्री हुकुमसिंहविसेन---यह तो जिलाधीश रिलीफ कमेटी तजवीज करते हैं।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)---मंत्री जी ने बाढ़ से संबंधित वक्तव्य में जौनपुर जिले को बाढ़ ग्रस्त माना है और उन्होंने कहा था कि वहां पर २१ गांव प्रभावित हुये, फिर भी इस जिले के लिये कोई अनुदान स्वीकार नहीं किया गया है। मैंने सचिव से प्रार्थना की थी और एक पत्र भी दिया था कि इस जिले के बारे में भी विचार करें तो मैं यह जानना चाहता हूं कि उस पत्र पर क्या विचार किया और क्या निर्णय लिया ?

श्री अध्यक्ष—यह नियम ५२ का प्रश्न गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़ तथा बस्ती जिलों के संबंध में है। इसमें जौनपुर नहीं है, उसके संबंध में आप प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री कैलाश (जिला देवरिया)—माननीय मंत्री जी मेरी सूचना को मान कर यह बतायेंगे कि जो देवरिया जिले में लिखा गया है २० हजार रुपया भेज दिया गया और बट रहा है, आज किसी विद्यालय में एक रुपया नहीं बट पाया है और जैसा कि यह भी कहा गया है कि देवरिया जिला सबसे अधिक बाढ़ पीड़ित है तो कब विद्यालयों में फीस की सहायता पहुंचाने की कृपा करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—मैं ताकीद कर दूंगा कि जल्द से जल्द बांट दें।

श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि रुद्रपुर इलाके, जैसा कि मंत्री जी भी मानते हैं कि वह बाढ़ पीड़ित है, रुद्रपुर-नगवा सड़क और रुद्रपुर-गजपुर सड़क जो बिलकुल क्षतिग्रस्त हो गयी है, उनको बनवाने का क्यों उपाय नहीं किया गया है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—डिस्ट्रिक्ट रिलीफ कमेटी ने तय किया है कि कोई टेस्ट वर्क नहीं करेंगे। लिहाजा मैन पावर यूटिलाइजेशन स्कीम में जो प्लानिंग कमीशन रेकमेंड करेगा वही हम कर सकते हैं।

श्री चन्द्रबलीसिंह—उस एरिया में डेढ़ सौ गांव भी पीड़ित हैं, एक दाना फसल पैदा नहीं है, न गन्ने की फसल है, तो उन बेकार मजदूरों को काम देने के लिये कौन सा उपाय किया गया है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—मैन पावर यूटिलाइजेशन स्कीम जो चलायी जायगी उसमें काफी मौका मिलेगा।

श्री चन्द्रबली सिंह—काम तो कोई नहीं है।

श्री कल्पनार्थसिंह—माननीय राजस्व मंत्री से जानना चाहता हूं कि नत्थी 'क' 'ख' में कटाव पीड़ित क्षेत्र के लोगों को बसाने की चर्चा की गयी है, उसमें गोरखपुर जिले को छोड़ दिया है, तो गोरखपुर जिले के कटाव पीड़ित लोगों को बसाने के लिये सरकार ने क्या इन्तजाम किया है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—मुझे याद नहीं है कि मैंने गोरखपुर छोड़ दिया है। गोरखपुर से ऐसा नजदीकी ताल्लुक है हम कैसे छोड़ देंगे ?

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सरकार की गांवों को ऊंचा करने की पालिसी जो बीच में अमल में या तो छोड़ दी गयी थी या धीमी कर दी गयी थी, उसको जारी करने का निश्चय सरकार के वक्तव्य से मालूम होता है, फिर ले लिया गया है, क्या यह निश्चय केवल नदियों के किनारे के गांवों पर ही लागू है या ताल-खाल के जो एरिया हैं, जिनका ध्वंस हर साल ज्यादा होता है, नदियों के किनारे के गांवों से उनपर भी यह लागू होता है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—इसको सिंचाई मंत्री से पूछे तो न बता सकेंगे। हम नहीं बता सकते।

श्री झारखंडेराय—माननीय सिंचाई मंत्री हैं।

श्री अध्यक्ष—बाद में पूछ लीजियेगा।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)---क्या माननीय मंत्री जी इस बात को देखते हुए कि मैनपावर यूटिलाइजेशन की स्कीम की जो योजनायें ली जाती हैं सरकार उन को स्वीकार कर प्लानिंग कमीशन की स्वीकृति लेती है, तो कृपा करके नगवा-रुद्रपुर और रुद्रपुर-गजपुर सड़कें, जिनकी चर्चा माननीय चन्द्रबलीसिंह ने की है, उनको प्लानिंग कमीशन से स्वीकृत करवाने की कोशिश करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---जिले की जो रिलीफ कमेटी है उसमें सभी लोग हैं, तो वह बेहतर समझ सकते हैं कि जरूरत है या नहीं। उन लोगों ने कहा कि हम टेस्ट वर्क करायेंगे नहीं, वरना हम टेस्ट वर्क करा देते।

श्री मैनेजरसिंह---मैंने कहा कि मैन पावर यूटिलाइजेशन स्कीम में क्या उसे लेने की कृपा करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---अगर वह प्लानिंग कमीशन मुनासिब समझेगा और सजेस्ट करेगा तो हम करेंगे।

श्री मैनेजरसिंह---अध्यक्ष महोदय, सजेस्ट तो प्लानिंग कमीशन नहीं करता है, वह तो आपके विभाग से होता है।

श्री हुकुमसिंह विसेन---जी नहीं, ऐसा नहीं होता है।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---गोरखपुर से तो माननीय राजस्व मंत्री का बड़ा मधुर संबंध है, तो हमसे भी तो कोई तीखा संबंध नहीं है।

श्री हुकुमसिंह विसेन---नहीं, और अच्छा हो गया है अब।

श्री गेंदासिंह---तो हमारे इलाके में एक मुहकमे ने कहा कि तुम्हारी जमीन कट गई और तुम जाकर यहां बस जाओ और दूसरे मुहकमे ने उनके ऊपर मुकदमा चला दिया, फौजदारी में ३१ आदमियों को पिछली ३ या ४ तारीख से परेशान कर रहे हैं, तो उस संबंध में कोई कार्यवाही की जायगी जिससे उनकी बचत हो सके ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---वह तय हो जायगा सब। हमने आदेश दे दिया है।

श्री झारखंडेराय---श्रीमन्, मेरा जो पहला प्रश्न था उसी को मैं फिर दोहरा रहा हूं। क्या सिंचाई मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो सरकार की नीति गांवों को ऊंचा करने की थी जिसको बीच में अमल में लाना खत्म कर दिया गया था या धीमा कर दिया गया था, ऐसा लगता है उसको फिर से ग्रहण किया गया है, तो क्या यह पालिसी केवल नदियों के किनारे के गांवों के लिये ही लागू है या ताल और खाल की एरिया के जो गांव हैं और जहाँ नदियों के किनारे के गांवों से कम नुकसान नहीं होता है, उन पर भी यह नीति लागू है या नहीं, यह मैं जानना चाहता हूं।

सिंचाई मंत्री (श्री राममूर्ति)---महोदय, जहां पर बाढ़ का प्रकोप बहुत होता है और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हमारे यहां रिपोर्ट करते हैं कि इस इलाके के गांव उठाये जायं, तो उनको प्रियारिटी दी जाती है। मैं माननीय सदस्यों की इत्तला के लिये बता दूं कि मथुरा जिले में तीन गांव ऐसे उठाये गये हैं जहां पर बाढ़ का इतना प्रकोप नहीं था बल्कि जहां कि गरकी वगैरह बहुत थी तालाबों वगैरह की वजह से। तो अगर ऐसी कोई बात नोटिस में आयेगी तो वह भी विचार में ली जा सकती है।

श्री रामसुन्दर पांडेय---श्रीमन्, आजमगढ़ जिले में मैन पावर मोबिलाइजेशन स्कीम के अन्दर १६ लाख २० हजार रुपया स्वीकृत हुआ है और किन स्थानों पर काम होगा वह भी तालिका में है, तो मैं जानना चाहता हूं कि यह रुपया खर्च करने की जो व्यवस्था की गई है और स्थानों का जो चुनाव हुआ है यह चुनाव किस अधिकारी द्वारा हुआ है या किस कमेटी द्वारा हुआ है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---प्लानिंग कमीशन द्वारा हुआ है जहां तक मेरी जानकारी है, प्लानिंग विभाग के जरिये से।

श्री रामसुन्दर पांडेय---अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय राजस्व मंत्री जी का ध्यान और विशेष रूप से पंडित बृजबिहारी जी का ध्यान नत्थी 'क' की ओर दिलाना चाहता हूं। इसमें धर्मपुर और बिशुनपुर दो गांव दिखलाये गये हैं, जो कि वास्तव में एक ही गांव हैं और इसको वह जानते भी हैं, तो श्रीमन्, अब मैं क्या कहूं इस वक्त व्यय के संबंध में ? एक गांव है भूसाडीह और चक्की भूसाडीह वहां के लोग आज भी बांध पर बसे हुये हैं, तो उन गांवों के निवासियों को बसाने के लिये सरकार की तरफ से क्या इन्तजाम है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---कोई मुकदमा चल रहा था उनके संबंध में, यह दिक्कत है।

१० दिसम्बर, १९६२ के तारांकित प्रश्न २० के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)---अध्यक्ष महोदय, दिनांक १० दिसम्बर, १९६२ को श्री कल्याणचन्द मोहिले द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २० के संबंध में उक्त सदस्य ने पूछा था कि "क्या माननीय मंत्री जी को इलाहाबाद नगर महापालिका ने इस अवधि को बढ़ाने के लिये लिखा है ?"

उस समय सदन में उत्तर दिया गया था कि "जो वहां से खबर आयी है कि उसको थोड़े दिन के लिये और बढ़ा दिया जाय और यह प्रश्न विचाराधीन है।"

उक्त उत्तर ठीक नहीं था जिसका बाद में पता चला। सही उत्तर इस प्रकार है कि "जी नहीं, ऐसी कोई प्रार्थना नगर महापालिका, इलाहाबाद से नहीं प्राप्त हुई है।"

मूल प्रश्न तथा उसका उत्तर संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'त' आगे पृष्ठ १०९८ पर)

टेक्निकल शिक्षा पर व्यय के सम्बन्ध में सूचना

नियोजन मंत्री (श्री हरगोविन्दसिंह)---श्री ऊदल और श्री चन्द्रजीत यादव ने नियम ५२ के अन्तर्गत यह सूचना दी थी कि टैक्नीकल एजुकेशन के बारे में जो पहले ८।। लाख रुपया रखा गया था वह अब खत्म हो गया है। तो अब उसके लिये गवर्नमेंट इस बात का प्रयत्न कर रही है कि करीब ५ लाख ७० हजार रुपया उसमें रख दिया जाय जिससे लोगों को सुविधा रहे।

राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में दिये गये धन के संबंध में घोषणा

श्री अध्यक्ष---कुंवर श्रीपाल सिंह जी ने लिखा है कि १,००१ रुपये और उनकी धर्मपत्नी एक सोने का कंगन, जिसका वजन लगभग ९३ ग्राम है सुरक्षा कोष में अर्पित करते हैं। उन्होंने लिखा है कि कृपया इसको उचित स्थान पर भेज दिया जाय।

माननीय भगवतीदीन तिवारी ने लिखा है कि जब तक देश में संकटकालीन स्थिति रहे उनके वेतन से ५० रुपया मासिक काटकर मुख्य मंत्री सुरक्षा कोष में जमा होता रहे। इसकी सूचना दिनांक १३-११-६२ को मैंने जिलाधीश जौनपुर तथा मुख्य मंत्री जी उत्तर प्रदेश को दे दी है। अतः आपसे प्रार्थना है कि ५० रुपये माहवार हमारे वेतन से काटकर मुख्य मंत्री सुरक्षा कोष में जमा कर दिये जायं।

प्रजा सोशलिस्ट तथा सोशलिस्ट पार्टी के विलयन के सम्बन्ध में व्यवस्था

श्री अध्यक्ष---कल मैंने प्रजा सोशलिस्ट पार्टी तथा सोशलिस्ट पार्टी के एकीकरण के संबंध में सूचना दी थी। मैं आदरणीय सदन को बता दूं कि लोकतंत्रीय पद्धति में जितनी कम पार्टियां हों और उनका एक कार्यक्रम तथा एक प्रोग्राम चले तो इससे राष्ट्रीय या लोकतंत्रीय प्रक्रिया को बल मिलता है और वैसे भी कोई दो दल चाहें तो जनतंत्र में विलयन कर सकते हैं। अतः मैं इस विलयन को स्वीकार करता हूं। अब केवल प्रश्न यह रह जाता है कि प्रमुख विरोधी दल इस अवस्था में किसको माना जाय। इसके संबंध में माननीय उग्रसेन, माननीय बलवानसिंह, माननीय नरसिंहनारायण पांडेय, माननीय काशीनाथ आज प्रातःकाल मेरे पास आये थे। उनसे बात हो गई है। उस पर मैं विचार कर रहा हूं और यथासमय शीघ्र ही इस सम्बन्ध में निर्णय करूंगा।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)---इसके बारे में मैं कुछ प्रार्थना करना चाहता हूं। जहां तक पार्लियामेंटरी पद्धति का संबंध है उसके सिलसिले में माननीय खेर साहब ने इस सदन के समक्ष यह कहा है...

श्री अध्यक्ष---एक बात मैं आपको बता दूं कि इसमें बात यह है कि अगर आप इस सम्बन्ध में सदन में बात करेंगे तो फिर एक सब्जेक्ट आफ डिबेट हो जायगा तो फिर जनसंघ की तरफ से भी कुछ कहा जायगा और उनके नेता भी इस पर बोलेंगे। माननीय नरसिंहनारायण पांडेय से भी मैंने इस संबंध में यही निवेदन किया था कि वह नियम और मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस के संबंध में लिखकर दे दें। इसी तरह से आप भी मेरे पास लिखकर भेज दीजियेगा।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)---आपकी स्टडी के लिये मैं पृष्ठ बतला दूं तो आप स्वयं उस पर विचार कर सकते हैं। मैं इतना ही बताना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष---आप लिखकर भेज दें तो उसमें मुझे सुविधा रहेगी।

श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)---मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हम लोग बराबर पार्लियामेंट और इंग्लैण्ड की नकल ही करते रहेंगे या कोई नयी चीज भी करेंगे।

श्री अध्यक्ष---मैं आप से सहमत हूं। हम को नयी चीज करनी चाहिये।

वीरगति प्राप्त सैनिकों के प्रति श्रद्धांजलि

श्री अध्यक्ष—अब माननीय मुख्य मंत्री जवानों के लिये एक श्रद्धांजलि प्रस्ताव तथा एक और प्रस्ताव करेंगे ।

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—श्रीमन्, मुझे परसों श्री बनारसीदास जी ने यह बतलाया था कि विभिन्न दलों के नेतागण यह चाहते हैं कि चीन के विषय में और उस के आक्रमण के विषय में जो प्रस्ताव हमने पहले पास किया था उसे दोहराते हुये एक दूसरा प्रस्ताव इस अवसर पर हम पास करें । मैंने उस समय उनसे कहा था कि इसकी इस समय आवश्यकता तो नहीं है, क्योंकि वास्तविक बात तो यह है कि यह जो फारेन अफेयर्स के मसले हैं उनका संबंध केन्द्रीय सरकार से है और लोक सभा से है । इस विषय में लोक सभा विचार-विनियम कर चुकी है, परन्तु उन्होंने मुझे ऐसा कहा कि सब दल एक मत हो कर प्रस्ताव पास करेंगे । मैंने उनकी बात को स्वीकार कर के आप से भी बातचीत की और मैंने आज सुबह एक प्रस्ताव तैयार किया अपनी बुद्धि के अनुसार । मैंने उस प्रस्ताव की प्रतिलिपियां माननीय नेतागणों को दीं । जैसा मुझे अभी तक विदित हुआ है, माननीय उपनेता जनसंघ, माननीय नेता स्वतंत्र पार्टी, माननीय नेता कम्युनिस्ट पार्टी और माननीय नेता निर्दलीय दल ने, इन सबने तो उस प्रस्ताव में संशोधन करने की बात मेरे सामने पेश नहीं की, माननीय उग्रसेन जी उसमें कुछ संशोधन करना चाहते हैं और मेरे हिसाब से वह संशोधन हमें एक विवाद में डाल देगा । इस सदन ने २४ अक्तूबर को सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव स्वीकार किया था और उस प्रस्ताव को स्वीकार कर के सारे प्रदेश में एक नया वातावरण पैदा किया था । मैं ऐसा समझता हूं अध्यक्ष महोदय, कि इस अवसर पर कोई प्रस्ताव हमारी तरफ से पेश हो और उसमें एक दल के नेता को सहमति न हो और हम उस प्रस्ताव पर यहां विवाद करें तो वह उस वातावरण के विरुद्ध होगा जो हम सब ने मिल जुलकर प्रदेश में बनाने की चेष्टा की है । इसलिये मैं उस प्रस्ताव को आप के समक्ष प्रस्तुत नहीं करूंगा । मैंने अवश्य कल आप से कहा था कि मैं उस प्रस्ताव को सदन के समक्ष लाऊंगा इसलिये अब आपकी आज्ञा चाहूंगा कि वह प्रस्ताव यहां पेश न करूं । सिर्फ आप से इतना निवेदन करूंगा कि इस सदन ने अभी कोई श्रद्धांजलि उन हमारे जवानों के प्रति अर्पित नहीं की है जो कि वीरगति को प्राप्त हुये हैं और जिन्होंने वीरता का और शौर्य का परिचय लड़ाई के मैदान में दिया है । मैं आपके द्वारा चाहूंगा कि हम खड़े हो कर उन अपने वीर जवानों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करें और ऐसा कर के उनके शौर्य और वीरता की कद्र करते हुये, प्रशंसा करते हुये अपने कर्त्तव्य का पालन करें । और साथ में ऐसे कार्य का और इस बात का परिचय दें कि वे जो लड़ाई के मैदान में वीरगति को प्राप्त हुये हैं और वे जो आज उन बर्फीली पहाड़ियों की चट्टानों पर बैठे हुये हैं और उस अपने उत्तरदायित्व का संपादन कर रहे हैं, हम सब उनके प्रति आदर के साथ श्रद्धा रखते हैं और उनकी कुर्बानियों का आदर करते हैं । इन चन्द शब्दों के साथ मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि हम इस अवसर पर किसी प्रस्ताव के ऊपर विचार न करते हुये, केवल उन व्यक्तियों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करें, जो उस लड़ाई में वीर गति को प्राप्त हुये हैं ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—श्रीमन्, मैं इस संबंध में कुछ निवेदन करना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष—आप कृपया बैठ जायं ।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—श्रीमन्, मैंने कोई प्रस्ताव अभी पेश नहीं किया है ।

श्री उग्रसेन—श्रीमन्, यदि एक प्रस्ताव देते तो ठीक था मगर यह सही है कि जो उन्होंने मुझे भेजा है, उसमें उन्होंने मुझे लिखा है कि "केन्द्रीय सरकार. . . . ।"

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---आप कृपया बैठ जायें और मेरी बात सुनिये। इस वक्त जो हमारे सामने प्रस्ताव है वह केवल यह है कि जो जवान लड़ाई में वीरगति को प्राप्त हुये हैं उनके शौर्य और वीरता के प्रति अपनी श्रद्धांजली अर्पण करें और इस प्रस्ताव के प्रति खड़े होकर हमें अपनी श्रद्धांजली देना है।

(सारे सदन ने खड़े होकर वीर गति प्राप्त जवानों के प्रति श्रद्धांजलि मौन हो कर दो मिनट तक अर्पित की)

श्री उग्रसेन---श्रीमन्, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष---अब जो प्रस्ताव हमारे कार्यक्रम की सूची में था कि मुख्य मंत्री चीनी आक्रमण से उत्पन्न परिस्थिति के कारण राष्ट्रीय आपत्ति के समय में प्रदेश के योगदान के विषय पर प्रस्ताव करेंगे। तो यह प्रस्ताव तो नहीं दिया गया है। अब मैं वही आपको बता रहा हूं कि वह पेश नहीं हो रहा है इसलिये उसके संबंध में किसी प्रकार का संशोधन नहीं आ सकता है और न किसी प्रकार का प्रश्न ही उठ सकता है। और न कोई व्यवस्था आदि ही हो सकती है। इस वजह से उस संबंध में कोई बात करना अनुपयुक्त होगा।

(व्यवधान)

श्री उग्रसेन---श्रीमन्, मेरी एक बात आप सुन लीजिये। यदि मुझे सफाई का मौका नहीं दिया जायगा तो देश और प्रदेश में बड़ा भ्रम होगा।

श्री अध्यक्ष---इसमें सफाई का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। आप कृपया बैठ जायें।

श्री उग्रसेन---श्रीमन्, माननीय मुख्य मंत्री जी ने मेरा नाम लिया इसलिये मुझे आप सफाई का मौका दें तो ठीक होगा। वरना यह उचित नहीं है।

श्री अध्यक्ष---जहां तक मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को समझा हूं, उन्होंने कल यह कहा है कि जो प्रस्ताव हम रखना चाहते हैं उसमें संशोधन अगर आयेंगे तो प्रदेश में जो वातावरण वे बनाये रखना चाहते हैं और उसके पीछे जो उद्देश्य है, उसमें कदाचित् कोई दिक्कत हो....

श्री उग्रसेन---उन्होंने हमारा नाम लिया है, हमें सफाई का मौका तो दीजिये। हमने नियम १०६ के अन्दर आपको प्रस्ताव भेजा था, आपने कहा कि बहस होने वाली है, मेरा वह प्रस्ताव अपनी जगह स्टैन्ड करता है, उस पर पहले बहस करा ली जाय और जब तब १५ अगस्त, १९४७ की सीमा के बाहर चीनी वापस न चले जायं, केन्द्रीय सरकार कोई समझौता वार्ता न करे। इस पर बहस होनी चाहिये।

श्री चन्द्रभानु गुप्त---जैसा कि मैंने प्रारम्भ में कहा है, इस सदन को कोई अधिकार नहीं है कि वह देश की फारेन पालिसी के बारे में विचार-विनिमय करे। इस सदन को यह अधिकार नहीं है कि क्या हमारी नीति लड़ाई के विषय में हों, उस पर कोई चर्चा करे। माननीय उग्रसेन जी ने अभी बात कही है मैं उसका विरोध करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि वह बार-बार उस चीज को लाना चाहते हैं जिसका इस सदन को अधिकार नहीं है।

श्री अध्यक्ष---मैं वही कह रहा हूं।

श्री उग्रसेन---पहले मेरा निवेदन आप सुन लें, तब उठें। मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)---मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष---आप कृपया बैठें। हमारे राष्ट्र और केन्द्र की यह घोषित नीति है कि ८ सितम्बर, १९६२ के पूर्व जो स्थिति थी वह होनी चाहिये। उसको हमारा देश स्वीकार कर चुका है। इस वजह से कोई आपत्ति उस पर नहीं होनी चाहिये और न वह यहां हो सकती है।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय---कार्यक्रम के बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं---

श्री अध्यक्ष—आप कृपया बैठ जायं ।

श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)—मैं एक सफाई चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष—मैंने रूलिंग दे दी है । आप कृपया बैठें । (व्यवधान)

विधान सभा का सत्रावसान

श्री अध्यक्ष—अब मैं एक सूचना सदन को देना चाहता हूं । भारत का संविधान के अनुच्छेद १७४ के खंड (२) के उपखंड (ए) द्वारा मिले अधिकारों का प्रयोग करके राज्यपाल महोदय, उत्तर प्रदेश विधान सभा का सत्रावसान, उसकी दिनांक १४ दिसम्बर, १९६२ के उपवेशन की समाप्ति से करते हैं । अब हम उठते हैं ।

(इसके बाद १२ बजकर ४९ मिनट पर श्री राज्यपाल के आदेशानुसार विधान सभा का सत्रावसान हो गया ।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ,
१४ दिसम्बर, १९६२ ।

विधान सभा पुस्तकालय

नत्थी 'क'

[देखिये नियम ३९ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न ६ का उत्तर पीछे पृष्ठ १०१५ पर]

सूची 'क'

पिछले तीन वर्षों में घाघरा नदी के कटाव से हुई क्षति के कारण लगान में दी गई छूट के आंकड़े रुपयों में

		१३५५ फ०	१३६७ फ०	१३६८ फ०
१—रामनगर धौरहरा	..	२२११.५९	३९९६.४८	..
२—सीयार	..	१५४८.९४	२५८१.६२	..
३—महोली	..	१०३१.१५	३८६.६८	..
४—सैदपुर	..	..	..	..

विधान सभा पुस्तकालय

विधान सभा
उत्तर प्रदेश

नत्थी

[देखिये नियम ३९(२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न

	१९५८–५९		१९५९–६०		
नाम दूकान	नाम ठेकेदार	लाइसेंस फीस	नाम ठेकेदार	लाइसेंस फीस	नाम ठेकेदार
१	२	३	४	५	६
१—अलहदादपुर	जमुना प्रसाद	५४,०००	जमुना राम रामदुलारे	५५,५००	शिवमंगल प्रसाद राम मूरत
२—हांसूपुर	नेबूलाल	४५,०००	,,	५०,०००	,,
३—हजारीपुर	रामबचनसिंह	८६,०००	मदन मोहन अनंत दास	८७,०००	रामबचनसिंह शिवपूजन सिंह
४—जटेपुर	बेचूराम	१०,६०,०००	भगवती प्रसाद नेबूलाल	१,०९,५००	रामबचनसिंह बेचूराम
५—जाफरा बाजार	गंगाप्रसाद	३८,०००	मदनमोहनदास अनंतदास	३८,०००	शिवमंगल राम मूरत
६—नैखास	महादेवराम रामअवध	९५,०००	,,	९५,०००	,,
७—उर्दूबाजार	गंगाचरन लाल	८६,०००	जमुनाप्रसाद रामदुलारे	९०,०००	रामबचनसिंह बेचूराम
८—नौतनवां	हंसराजप्रसाद रामचन्दर	८०,१००	राजबहादुर सिंह	७५,१००	रघुराजसिंह जगदीश प्रसाद
९—निचलौल	रामबचनसिंह	८०,०००	रामबचनसिंह	८४,५००	रामबचनसिंह
		६,७०,१००.००		६,८४,६००.००	

'ख'

१४ का उत्तर पीछे पृष्ठ १०१७ पर]

१९६०–६१		१९६१–६२		१९६२–६३
लाइसेंस फीस	नाम ठेकेदार	लाइसेंस फीस	नाम ठेकेदार	लाइसेंस फीस
७	८	९	१०	११
५८,०००	बेचूराम रामबचन सिंह	६३,०००	सरजू प्रसाद राजेन्द्र प्रसाद	९०,०००
५३,०००	बिन्देश्वरी प्रसाद चुल्हाई राम	५४,०००	विन्देश्वरी प्रसाद चुल्हाई राम	७१,०००
९०,०००	,,	१,०५,०००	,,	१,३५,०००
१,१०,०००	,,	१,२५,०००	,,	१,५०,०००
४,२५,०००	बेचूराम रामलखन सिंह	६०,०००	सरजू प्रसाद राजेन्द्र प्रसाद	८४,०००
१,००,०००	,,	१,२४,०००	,,	१,७०,०००
९०,०००	,,	९३,०००	,,	१,३६,०००
७७,०००	रघुराजसिंह जगदीश प्रसाद	८०,५००	बेचूराम रामबचन सिंह	८८,५५०
८७,०००	शिवपूजन सिंह बेचूराम	९२,५००	,,	१,०२,४५०
७,०७,५००.००		७,९७,०००.००		१०,२७,०००.००

संसद विधान सभा

नत्थी 'ग'

[देखिये नियम ३९(२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न २० का उत्तर पीछे पृष्ठ १०२० पर]

क्रम-संख्या	नाम ग्राम	क्रम-संख्या	नाम ग्राम
१	गगौली	१९	बहरौली
२	अकिंकाबाद	२०	गौरी
३	वेन	२१	पारादान
४	धामेमऊ	२२	सेकावन
५	चित्रापुर	२३	कोसारा
६	जलाला	२४	छीछा
७	अकबराबाद	२५	कोरवा
८	तेन्दुली	२६	अमेना
९	हरदौली	२७	नवाबीपुर
१०	गधरया	२८	टिकरी मनौटी
११	हजरतपुर (कसवा बिन्दकी)	२९	जोनिहा
१२	सौह	३०	विकौना
१३	वरगवां	३१	बरदंरा
१४	जोनापुर	३२	मडरांव
१५	वरेठर खुर्द	३३	बाग बादशाही
१६	वरेठर बुजुर्ग	३४	नन्दापुरा
१७	अल्लीपुर	३५	कसपुरा
१८	जाफराँबाद		

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'घ'

[देखिये नियम ३९(२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न २३ का उत्तर पीछे पृष्ठ १०२१ पर]

प्रदेश के एल० टी० प्रशिक्षण महाविद्यालयों के नाम :—

राजकीय एल० टी० कालेज

१—राजकीय केन्द्रीय पेडागाजिकल इन्स्टीट्यूट, इलाहाबाद (सामान्य एल० टी०)

२—राजकीय रचनात्मक प्रशिक्षण महाविद्यालय, लखनऊ (एल० टी० रचनात्मक)

३—राजकीय बेसिक प्रशिक्षण महाविद्यालय, वाराणसी (एल० टी० बेसिक)

४—राजकीय महिला प्रशिक्षण महाविद्यालय, इलाहाबाद।

अराजकीय एल० टी० कालेज

५—के० पी० ट्रेनिंग कालेज, इलाहाबाद।

६—डी० ए० वी० ट्रेनिंग कालेज, कानपुर।

७—क्रिश्चियन ट्रेनिंग कालेज, लखनऊ।

८—किशोरी रमन ट्रेनिंग कालेज, मथुरा।

९—तिलक धारी ट्रेनिंग कालेज, जौनपुर।

अध्यक्ष प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५९ का उत्तर पीछे पृष्ठ १०३६ पर)

मेरठ में अस्थायी खंड सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा ३०-९-६२ तक के दिये गये कार्यों का विवरण

क्रम-संख्या	काम का विवरण	अनुमानतः कीमत	व्यय प्रारम्भ से ३०-९-६२ तक	कार्य की प्रगति
१	२	३	४	५
		रु०	रु०	
१	श्रमिकों के लिये गोविन्दपुरी में फेस तृतीय के अन्तर्गत १२० क्वार्टर्स का निर्माण ।	३,६६,०००	३,६६,०२७	कार्य पूर्ण हो गया
२	श्रमिकों के लिये गोविन्दपुरी में फेस पंचम के अन्तर्गत ३६६ क्वार्टर्स का निर्माण ।	१४,०२,८००	१३,६७,७१९	कार्य प्रगति में है
३	श्रमिकों के लिये गोविन्दपुरी में फेस पंचम के अन्तर्गत २५२ क्वार्टर्स का निर्माण, गाजियाबाद ।	८,७२,०००	२६४	जमीन हस्तगत कर ली गई है और कार्य प्रारम्भ होने वाला है ।
४	श्रमिकों के लिये गोविन्दपुरी में फेस गोविन्दपुरी के अन्तर्गत ७०८ क्वार्टर्स का निर्माण, ।	२५,५३,६००	२२,८७,१३९	कार्य प्रगति में है
५	श्रमिकों के लिये गोविन्दपुरी में फेस गोविन्दपुरी के अन्तर्गत ४१४ क्वार्टर्स का निर्माण ।	१५,८८,८००	५,२०,९७७	कार्य प्रगति में है
६	श्रमिकों के लिये गोविन्दपुरी में फेस आठ गाजियाबाद के अन्तर्गत ७०८ क्वार्टर्स का निर्माण	२७,२५,८००	शून्य	जमीन नहीं मिली जिस के कारण कार्य रुक रहा है ।
७	श्रमिकों के लिये वैलफेयर सेन्टर का निर्माण, गोविन्दपुरी ..	१,०५,०००	७५,१७२	कार्य प्रगति में है

उत्तर प्रदेश विधान सभा

८	पिलखुवा में स्त्रियों के लिये अस्पताल निर्माण	८५,०००	७३,७६५	कार्य प्रगति में है।
९	खरखोदा में प्राइमरी हेल्थ सेन्टर का निर्माण	४८,५००	शून्य	कार्य शीघ्र शुरू होने वाला है।
१०	तपेदिक के रोगियों के लिये गाजियाबाद में अस्पताल में बिस्तरों का विस्तार	२,००,०००	शून्य	कार्य शुरू नहीं हुआ।
११	तहसील गाजियाबाद में तहसीलदार का दफ्तर व निवास स्थान तथा अन्य माल विभाग के कार्यालयों का निर्माण	२,५९,५२०	२,५८,९३५	कार्य पूर्ण हो गया।
१२	गाजियाबाद में मैजिस्ट्रेटों एवं सब-डिवीजनल आफिसरों के कार्यालयों एवं निवास स्थानों का निर्माण	२,६६,६००	शून्य	कार्य शुरू नहीं हुआ।
१३	गोविन्दपुरी में पुलिस चौकी का निर्माण	३०,३३८	२२	कार्य शुरू होने वाला है।
१४	मोदीनगर में पुलिस थाने का निर्माण	७८,५००	शून्य	कार्य अगले वर्ष शुरू होगा।
१५	खरखोदा नगर में पुलिस थाने का निर्माण	६७,०००	शून्य	तदेव
१६	गाजियाबाद के डाक बंगले के विस्तार का कार्य	२३,५००	शून्य	तदेव
१७	पशुओं के अस्पताल का मोदीनगर में निर्माण	४०,०००	शून्य	तदेव
१८	बाबूगढ़ कृषि फार्म में मुर्गी पालन केन्द्र का विस्तार ..	३८,३००	३,३५३	कार्य प्रगति में है।
१९	बाबूगढ़ कृषि फार्म में सीमन इकट्ठा करने के लिये केन्द्र का निर्माण..	७,०००	शून्य	संबंधित विभाग से कार्य का विवरण प्राप्त नहीं हुआ।
२०	बाबूगढ़ कृषि फार्म में बैलों के शेड इत्यादि का निर्माण ..	१८,३००	शून्य	तदेव
२१	गाजियाबाद में लोहे की फाउन्डरी का निर्माण	६३,०००	शून्य	कार्य अगले वर्ष शुरू होगा।
२२	हापुड़ में विकास क्षेत्र का निर्माण	८०,४००	७४,५८७	कार्य पूर्ण होने वाला है।
२३	सियमावली में विकास क्षेत्र का निर्माण	१,०४,०००	शून्य	कार्य अगले वर्ष होगा।
२४	हापुड़ में पशुपालन अस्पताल का निर्माण	४,०००	शून्य	कार्य शीघ्र पूरा होने वाला है।
२५	हापुड़ में ह्यूगन अस्पताल का निर्माण	४०,०००	शून्य	कार्य शुरू होने वाला है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम-संख्या	काम का विवरण	अनुमानतः कीमत	व्यय प्रारम्भ से ३०-९-६२ तक	कार्य की प्रगति
१	२	३	४	५
		रु०	रु०	
२६	गोविन्दपुरी में १६-ए टाइप क्वार्टर्स का निर्माण	७६,५९२	७५,९७०	कार्य पूरा हो गया है।
२७	गोविन्दपुरी में ४८ सी टाइप क्वार्टर्स का निर्माण ..	१,०६,०००	१,०४,३०२	कार्य पूरा होने वाला है।
२८	गोविन्दपुरी में सड़कों एवं खंडों की भराव का काम ..	६३,००१	६३,०६१	कार्य पूरा हो गया है।
२९	गोविन्दपुरी में प्लाटों का सुधार	८०,०००	३२,८९१	कार्य प्रगति में है।
३०	गोविन्दपुरी में लड़कियों के जूनियर स्कूल का निर्माण ..	२५,०००	२३,१९१	तदेव
३१	गोविन्दपुरी में प्राइमरी स्कूल का निर्माण	१२,५००	१२,६७९	तदेव
३२	गोविन्दपुरी में ठा० हुकुमसिंह हायर सेकेन्डरी स्कूल का निर्माण ..	११,०००	५,३४५	तदेव
३३	गोविन्दपुरी में लड़कियों के स्कूल का विस्तार	१०,०००	३,५००	तदेव
३४	गढ़ मेरठ-हाजीपुर रोड का निर्माण	१,७७,५००	२१,९२७	तदेव
३५	विलेज उवार पुर रोड	५०,०००	४०,३८६	तदेव
३६	कुटी बहादुर गढ़ रोड का निर्माण	१,५०,०००	३४,८५८	तदेव
३७	थाना बकसर और वेट कुटी सी सी ट्रेक	४,१४,१००	१,६३,०६४	तदेव
३८	गाजियाबाद शहर को मुख्य सड़क से मिलाने हेतु सड़क का निर्माण ..	२२,००,०००	शून्य	कार्य अगले वर्ष होगा।
३९	हापुड़ डाक बंगले की विशेष मरम्मत का कार्य	३,६००	३,५९९	कार्य पूरा हो चुका है।
४०	गाजियाबाद बंगले की विशेष मरम्मत का कार्य	६,३००	६,२५३	तदेव

उत्तर प्रदेश विधान सभा

४१	गाजियाबाद डाक बंगले की विशेष मरम्मत का कार्य.. ..	२,५००	२,४८८	तदेव
४२	इस खंड के भीतर की सड़कों का वार्षिक मरम्मत का कार्य इत्यादि ..	३५,२००	२,७५,५७५	कार्य प्रगति में है।
४३	गाजियाबाद-देहली-सूरहत से हापुड़ तक की सड़क को ऊंचा एवं चौड़ा करने का काम नं० २२२५ यू० पी० २४	३,२३,२००	१६,९२,२०४	तदेव
४४	हापुड़ से गढ़मुक्तेश्वर तक की सड़क को ऊंचा एवं चौड़ा करने का काम जाब न० २३३५ यू० पी० २४	२०,२७,२००	११,९८,१००	तदेव
४५	एपरोज रोड मील ५३ से ५७ जा नं० २४०९	१,८४,२००	१,५०,६७८	तदेव
४६	एपरोच रोड जाब नं० २३१३ यू०पी० २४	५,५०,६००	४,७४,०४८	कार्य गढ़ विस डिविजन ने पूरा किया था लेकिन अब यह कार्य इस खंड के अधीन है।
४७	पुल एवं पुलियों को पक्का करने का काम गाजियाबाद से हापुड़ ..	८७,३००	शून्य	कार्य शुरु होना है।
४८	पुल एवं पुलियों को पक्का करने का काम हापुड़ से गढ़ तक ..	४७,८००	शून्य	शून्य
४९	राजकीय मार्ग रूट नम्बर २४ की वार्षिक देखरेख का कार्य ..	४,८८,६००	३,२७,६५५	कार्य चल रहा है।
	अन्य कार्य			
५०	बाबूगढ़ कृषि फार्म में बिजली के खम्भों का बदलना	९,८३०	९,८६६	कार्य पूरा हो चुका है।
५१	हापुड़ कोषागार को सुधारने का कार्य	३,३५०	३,४५५	तदेव
५२	गाजियाबाद-हापुड़ रोड पर कदराबाद नाला पर आर सी०सी०टी का डालना।	१,८३,०००	१,८३,४१५	तदेव
५३	तहसील गाजियाबाद की सीमा का बनाना	१०,३२०	१०,४६०	तदेव

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६९ का उत्तर पीछे पृष्ठ १०३७ पर)

पट्टेदार का नाम व जाति	पट्टेदार का नाम व जाति
१—मुरली कुरमी	४०—हीरालाल, राजाराम अहीर
२—विपत कोहार	४१—मियाउद्दीन केवट
३—अयोध्या कुर्मी	४२—रामकिशन केवट
४—सहदेव कुर्मी	४३—सीताराम केवट
५—सहादुव कुर्मी	४४—रामलाल केवट
६—श्याम लाल बैश्य	४५—बंशी केवट
७—बुद्धू पासी	४६—रामकिशोर केवट
८—सहदेव पासी	४७—बचन केवट
९—महादेव पासी	४८—राम खलावन केवट
१०—शिव हरख पासी	४९—छोटेलाल डगर केवट
११—अहादेव कुर्मी	५०—राजपत केवट
१२—जगदेव केवट	५१—जगदेव, दुलार केवट
१३—हीरालाल कुर्मी	५२—राम नाथ बन्धू केवट
१४—देवी अहिर	५३—रामअधार बन्धू केवट
१५—श्रीराम मेवालाल कुर्मी	५४—रामकुमार केवट
१६—लछमन कुर्मी	५५—भाईलाल केवट
१७—सत्यवती देवी पासी	५६—रामसुमेर भुजवा
१८—वहीउद्दीन मुस्ल०	५७—रामकिसुन केवट
१९—मुनाईलाल भुजवा	५८—जैकरन आदि केवट
२०—मुइनउद्दीन मुस्ल०	५९—शिवभरत केवट
२१—श्यामलाल वैश्य	६०—रंगीलाल केवट
२२—सम्बत पासी	६१—श्रीमती सुन्दरी ननक केवट
२३—सीतारा श्रीराम कुर्मी	६२—जग्गू, लखपत केवट
२४—रामगोपाल वैश्य	६३—राजाराम केवट
२५—जग्गू, लखपत ननकू केवट	६४—सुमेर केवट
२६—रामस्वरूप पासी	६५—शोभई आदि केवट
२७—रामअधार केवट	६६—गीताराम आदि केवट
२८—सरजुन पासी	६७—शंकर केवट
२९—डगर पासी व ईश्वरदीन पासी	६८—बुधानी बद्री केवट
३०—राम किशुन केवट	६९—मसुरियादीन आदि केवट
३१—रामसुमेर पासी	७०—श्रीमती चमेमिला केवट
३२—बालगोविन्द अहिर	७१—हरीलाल सुखदेव केवट
३३—रामलाल केवट	७२—वल्देव आदि केवट
३४—रामनाथ केवट	७३—राजाराम केवट
३५—सरजू लोहार	७४—रामअवध केवट
३६—हरीलाल कुर्मी	७५—श्रीराम आदि कुर्मी
३७—मोहन लाल कुर्मी	७६—जगदेव पासी
३८—रामअधार राम प्यारे कुर्मी	७७—लुरखुर केवट
३९—अरजुन सिंह जोखई कुर्मी	७८—राम लाल केवट

पटटेदार का नाम व जाति	पट्टेदार का नाम व जाति
७९—कल्लू केवट	९०—मुन्नीलाल चमार
८०—राम दास लोहार	९१—बाबूलाल चमार
८१—लोटन केवट	९२—मोहन लाल चमार
८२—राम औतार पासी	९३—गरीब चमार
८३—राम लाल वैश्य	९४—पुन्नवाली आदि चमार
८४—कन्धई चमार	९५—सीताराम रामलाल चमार
८५—राम स्वरूप चमार	९६—गोविन्द चमार
८६—रामफल आदि चमार	९७—रीपू आदि चमार
८७—सूरजदीन चमार	९८—हरीराम चमार
८८—राधेश्याम चमार	९९—रामऔतार पासी ।
८९—भाईलाल चमार	

विधान सभा प्रदेश

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १०७ का उत्तर पीछे पृष्ठ १०४१ पर)

क्रम-संख्या	कार्यालय का नाम	ग्राम जहां कार्यालय स्थित है	कर्मचारियों की संख्या
१	२	३	४
१	चकबन्दी अधिकारी नं० १	.. अटोरा बुजुर्ग ..	९
२	सहायक चकबन्दी अधिकारी नं० १	.. ओनई बहादुरपुर ..	१८
३	,, ,, २	.. सतार्व	१८
४	,, ,, ३	.. अटोर बुजुर्ग ..	१८
५	,, ,, ४	.. दिदौर ..	१८
६	,, ,,	.. कुल्बापुर रेली ..	१८
७	चकबन्दी अधिकारी नं २	.. कैढ़ा मेला उर्फ उत्तर पारा।	९
८	सहायक चकबन्दी अधिकारी नं० ६	.. सड़वां ..	१८
९	,, ,, ७	.. मधुपुरी ..	१८
१०	,, ,, ८	.. कुनाली ..	१८
११	,, ,, ९	.. घोधवारी ..	१८
१२	,, ,, १०	.. भेत मफ़ ..	१८

सत्यमेव जयते

नत्थी 'ज'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ६ का उत्तर पीछे पृष्ठ १०४३ पर)

इसलामियां उर्दू स्कूल

१—सुलतानीपुर
२—कटेसर
३—बबुरी
४—अलीनगर
५—दरयारपुर
६—नांदी
७—नेढ़ी
८—सढ़ाने
९—सैयदराजा

सहायता प्राप्त उर्दू स्कूल

१—चंदौली
२—इस्लामपुर
३—कमालपुर
४—नई बाजार
५—पौरा
६—परसरा
७—धानापुर
८—सिकन्दरपुर
९—ककरमत्ता ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'झ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न १६ का उत्तर पीछे पृष्ठ १०४६ पर)

सन्				संख्या लेखपाल जिनके विरुद्ध आरोप लगे	संख्या लेखपाल जिनको सजा मिली
१९५९	..	..	..	८४	६०
१९६०	..	..	..	६७	५०
१९६१	..	..	..	३३	३०

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ञ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ४४-४५ का उत्तर पीछे पृष्ठ १०५० पर)

इलाहाबाद जिले की सोरांव तथा चायल तहसीलों में चक प्रस्तावों के विरुद्ध दायर किये गये मुकदमों की संख्या

क्रम-संख्या	अधिकारी का पद जिसके न्यायालय में मुकदमें दायर हुये	चक प्रस्तावों के विरुद्ध खातेदारों के मुकदमों की संख्या	मुकदमों की संख्या जिनमें खातेदारों के पक्ष में निर्णय हुये	मुकदमों की संख्या जिनमें खातेदारों के विरुद्ध निर्णय हुआ	मध्यस्थ को भेजे गये मुकदमों की संख्या	अब तक अनिर्णीत मुकदमों की संख्या
१	२	३	४	५	६	७
	तहसील—सोरांव					
१	चकबन्दी अधिकारी	१०४५५	६८०७	३६२४	२४	..
२	बंदोबस्त अधिकारी, चकबन्दी ..	४१७१	२०५७	२०६१	..	५३
३	उप संचालक, चकबन्दी	३१७९	१२१३	१९४८	..	१८
	तहसील—चायल					
१	चकबन्दी अधिकारी	२९७३	१६५६	११८१	..	१३६
२	बंदोबस्त अधिकारी, चकबन्दी ..	१२०१	६७९	४४१	..	८१
३	उप संचालक, चकबन्दी	११७	३९	६७	..	११
४	चकबन्दी संचालक ..	३३	१	४	..	२८

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ट'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ४८ का उत्तर पीछे पृष्ठ १०५० पर)

तालिका

नाम विद्यालय		अनुदान धन
१९५७–५८		
१—श्री गांधी स्मारक इन्टर कालेज, समोधपुर	..	३,०००
२—बी० ए० बी० इन्टर कालेज, मडियाहूं	..	२,०००
३—नागरिक इन्टर कालेज, जधंई	..	१०,०००
४—मुहम्मदहसन कालेज, जौनपुर	..	१०,०००
१९५८–५९		
१—किसान आदर्श राष्ट्रीय इन्टर काजेज, प्रतापगंज	..	१०,०००
२—बी० एन० बी० इन्टर कालेज, मड़ियाहूं	..	२,०००
३—जनता हा० से० स्कूल, बरसठी	..	१,५००
४—जय हिन्द हा० से० स्कूल, तेजीबाजार	..	२,०००
१९५९–६०		
१—राम जानकी दिनकर हा० से० स्कूल, जमालापुर	..	२,०००
१९६०–६१		
*१—मुहम्मदहसन कालेज, जौनपुर	..	१०,०००
२—सार्वजनिक इन्टर कालेज, मुंगरा बादशाहपुर	..	१०,०००
१९६१–६२		
*१—मुहम्मद हसन कालेज, जौनपुर	..	१०,०००
२—सहकारी हा० से० स्कूल, मेहरावां	..	५,०००

*यह अनुदान कैम्पस वर्क प्रोजेक्ट के संबंध में दिया गया है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

विधान सभा
मध्य प्रदेश

नत्थी 'ठ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ५५–५७

क्रम-संख्या	घाट का नाम		नदी का नाम	जिले का नाम	नीलाम की धनराशि
१	२		३	४	५
					१९६०–६१ का विवरण
१	डुमरियागंज	..	राप्ती	बस्ती	९१,८३६.००
२	पिपराघाट	..	टौंस	बलिया	९०,७५३.००
३	चन्दवक घाट	..	गोच्छो	जौनपुर	९५,१०१.००
४	गेरूआ घाट	..	गेरूआ	बहराइच	५२,०००.००
५	अयोध्याघाट	..	सरयू	फैजाबाद	५०,६६६.६६
६	घाघराघाट	..	घाघरा	गोंडा	१,००,०५०.००
७	घटियाघाट	..	गंगा	फर्रुखाबाद	१,१४,७००.००
८	विछपुरियाघाट	..	राम गंगा	फर्रुखाबाद	४७,३५०.००
९	राजघाट	..	जमुना	इटावा	१,५६,६३६.००
१०	ऊदीघाट	..	चम्बल	इटावा	६४,१५२.००
११	दोहरी घाट	..	सरयू	आजमगढ़	२,०९,९९४.००
१२	मर्द्घाट	..	राप्ती	गोरखपुर	५२,५६०.००
१३	काजी टोला	..	गंगा	गाजीपुर	१,२०,१३२.००
					१९६१–६२ का विवरण
१	रावलीघाट	..	गंगा	बिजनौर	४५,१००.००
२	दरखेड़ा	..	राम गंगा	बिजनौर	१९,४५०.००
३	मुहचोखा घाट	..	बूढ़ी राप्ती	बस्ती	४०,५००.००
४	मोहाना घाट	..	बेतवा	जालौन	६१,९२०.००
५	मासला घाट	..	मातला	बहराइच	६७,५००.००
६	कटरा घाट	..	सरयू	गोंडा	४०,२००.००
७	चिल्ला घाट	..	यमुना	बांदा	२,२७,७३३.००
८	भूराघाट	..	केन नदी	बांदा	७९,१२३.००
९	जमुनाघाट	..	यमुना नदी	हमीरपुर	३,५८,७१५.००
१०	वेतवा घाट	..	वेतवा	हमीरपुर	२,०३,२३७.००
११	अयोध्या घाट	..	सरयू	फैजाबाद	५०,६६६.६६
१२	पचफेरिया घाट	..	शारदा	लखीमपुर-खीरी	१,८०,०००.००

का उत्तर पीछे पृष्ठ १०५१ पर)

नीलाम की अवधि	कर्मचारियों की संख्या	कर्मचारियों का वेतन तथा भत्ता	कर्मचारियों की संख्या	कर्मचारियों का वेतन तथा भत्ता	विवरण
६	७	८	९	१०	११
तीन वर्ष	१२	२,३५०.००	२२	४,१४०.००	
तीन वर्ष	१	४८०.००	१	४८०.००	
तीन वर्ष	१३	७,१६४.००	१३	७,१६४.००	
तीन वर्ष	२३	२७,६७२.००	..	..	१९६०–६१ तथा १९६१–६२ का कुल खर्च।
एक वर्ष	१२	१४,५४२.००	..	..	
तीन वर्ष	३५	३८,५९२.००	..	..	
तीन वर्ष, तीन वर्ष	१	८५०.००	१	८४०.००	
तीन वर्ष, तीन वर्ष	१	४९७.००	१	४९७.००	
तीन वर्ष	२	१,८००.००	२	१,८००.००	
दो वर्ष	४३	७,३१२.००	४३	७,३१२.००	
तीन वर्ष	५९	२८,८००.००	५९	२८,८००.००	
तीन वर्ष			..	२,१६८.५०	
एक वर्ष	..	..	..	२५८ ७५	
तीन वर्ष	..	..	११	२,९१०.००	
तीन वर्ष	..	..	३३	१२,०७२.००	
तीन वर्ष	..	..	३२	१९,३६५.००	१९६०–६१ तथा १९६१–६२ का कुल खर्च।
तीन वर्ष	..	..	८	६,२४८.००	
तीन वर्ष					
तीन वर्ष	..				
तीन वर्ष	..				
तीन वर्ष	..				
तीन वर्ष	..				
तीन वर्ष	..				
एक वर्ष	..	..	१२	१४,५०८.००	
पांच वर्ष	..	..	७	४,८१२.००	

इन घाटों पर कोई भी कर्मचारी नहीं रखा जाता है। घाटों की देखभाल ओवरसियर और सहायक अभियन्ता करते हैं जिन को कि प्रतिवर्ष करीब ७००.०० पये भत्ते के दिये जाते हैं।

नत्थी 'ड'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ६३ का उत्तर पीछे पृष्ठ १०५२ पर)

क्रम-संख्या	सड़क का नाम	स्वीकृत लम्बाई	स्वीकृत लागत	प्रथम तथा द्वितीय योजनाओं की लम्बाई	खर्च	तहसील
५	२	२	४	५	६	७
		मील० फ०		मील० फ०		
१	फरेंदा–नौतनवां मार्ग ..	२७–५	६,४४,६००	२७–५	५७,७,२२३	फरेंदा
२	नौतनवां–सिनौली मार्ग ..	५–०	२,८३,८००	५–०	२,९५,१४६	फरेंदा–महाराजगंज ९ मील ६ फ० गोरखपुर १२ मील
३	गोरखपुर–फरेंदा मार्ग ..	२१–६	८,७०,०००	२१–६	८,७,००००	
४	महाराजगंज–निचलौल ..	१५–३	३,२१,०००	१५–३	३१,७,८३४	महाराजगंज
५	सिसवा–निचलौल मार्ग ..	१२–०	६३,६,०००	१२–०	५,९४,५१७	महाराजगंज
६	रूद्रपुर–खंजनी, उरवा मार्ग ..	२७–०	८,७०,८००	२७–०	८,६९,३३७	बांसगांव
७	फटवा–इनार } सी० सी० ट्रेक ..	६–५	२६,६,०००	४–०	१.६०	गोरखपुर
८	फरेंदा–महाराजगंज } सी० सी० ट्रेक ..	४–०	१,१२,७००	२–६	०.७८	फरेंदा
	योग ..	..	..	.. .. ११५–४		

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(देखिये अतारांकित प्रश्न ८९ का उत्तर पीछे पृष्ठ १०५५ पर)

जौनपुर जिले में इण्टर कक्षा तक कृषि के लिये मान्यता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के पास भूमि तथा कृषि संबंधी साज-सज्जा की सूचना

क्र०सं०	विद्यालय का नाम	भूमि तथा कृषि संबंधी साज-सज्जा	कृषि कर्मचारी
१	२	३	४
१	नागरिक इण्टर कालेज, जंघई, जौनपुर	२० एकड़ भूमि आवश्यकतानुसार सभी साज-सज्जा है।	१ अध्यापक
२	शाहगंज पब्लिक इण्टर कालेज, शाहगंज, जौनपुर	२५ एकड़ भूमि आवश्यकतानुसार सभी साज-सज्जा है।	१ अध्यापक
३	राजा हरपालसिंह इण्टर कालेज, सिंगरामऊ, जौनपुर ..	२३.६९ एकड़ भूमि आवश्यकतानुसार सभी साज-सज्जा है।	१ अध्यापक
४	तिलकधारी सिंह क्षत्रिय इण्टर कालेज, जौनपुर .. .	३२.९९ एकड़ भूमि आवश्यकतानुसार सभी साज-सज्जा है।	१ अध्यापक
५	सार्वजनिक इण्टर कालेज, मुगराबाद शाहपुर, जौनपुर ..	३५ एकड़ भूमि तथा २५,००० रुपये की साज-सज्जा है।	१ अध्यापक
६	श्री गान्धी स्मारक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, समोधपुर, जौनपुर	१८.५९ एकड़ भूमि आवश्यकतानुसार सभी साज-सज्जा है।	१ अध्यापक

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ण'

(देखिये अतारांकित प्रश्न १०३ का उत्तर पीछे पृष्ठ १०५७ पर)

जिला पौड़ी गढ़वाल में बाढ़ से हुई हानि के विवरण की सूची

नाम तहसील	पीड़ित ग्रामों की संख्या	हानि मनुष्य	हानि पशु	क्षति हुये पशुओं का अनुमानित मूल्य	पीड़ित जन-समाज की संख्या
१	२	३	४	५	६
पौड़ी ..	१५	१	३	४०	५३५

बाढ़ से ग्रसित क्षेत्र	क्षेत्र जिसका विनाश हुआ	नष्ट हुई भूमि का अनुमानित मूल्य	अनुमानित पैदावार खरीफ जो नष्ट हुई	अनुमानित क्षति पैदावार की रुपयों में	संख्या नष्ट हुई गूलों की	अनुमानित धन क्षति ग्रस्त गूलों की
७	८	९	१०	११	१२	१३
लगभग ३८ एकड़	लगभग ३२ एकड़	रु० ४१,९६०	लगभग मन ८१९ १/२	रु० नये पैसे १२,२९२.५०	२४	रु० २१,९००

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्षति हुये भवनों की संख्या	क्षति हुये भवनों का अनुमानित मूल्य	अन्य क्षति हुई वस्तुयें		
		पुल	पुल का अनुमानित लागत	पोस्टेज व रेवन्यू स्टाम्प
१४	१५	१६	१७	१८
४	७,५००	१	२,०००	११.७० यह राशि ब्रांच पोस्ट मास्टर द्वारा स्वयं जमा कर दी गई थी ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'त'

(देखिये पीछे पृष्ठ १०६९ पर)

प्रश्न	उत्तर
२०—क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया बतायेंगे कि इलाहाबाद के नैनी इन्डस्ट्रीयल एरिया में जो सामान बाहर से आता है उसको चुंगी लगने से वंचित रखा गया है? यदि हां, तो क्यों इसके लिये कोई समय निर्धारित है?	२०—जी हां। औपचारिक रूप से तो कोई आदेश नहीं दिये गये थे, परन्तु अनौपचारिक रूप से यह अवश्य निर्णय किया गया था कि इलाहाबाद में नगर महापालिका बनने के पश्चात् तीन वर्ष की अवधि तक नैनी इन्डस्ट्रीयल एरिया को चुंगी सीमा में सम्मिलित न किया जाय।

विचित्रनारायण शर्मा,
स्वायत्त शासन, मंत्री।

विधान परिषद सचिवालय

पी० एस० यू० पी० ए० पी०—२७४ एल० ए०—१९६३—८५०।